खण्ड-224, अंक-1
शुक्रवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1883
(5 मई, 1961 ई0)

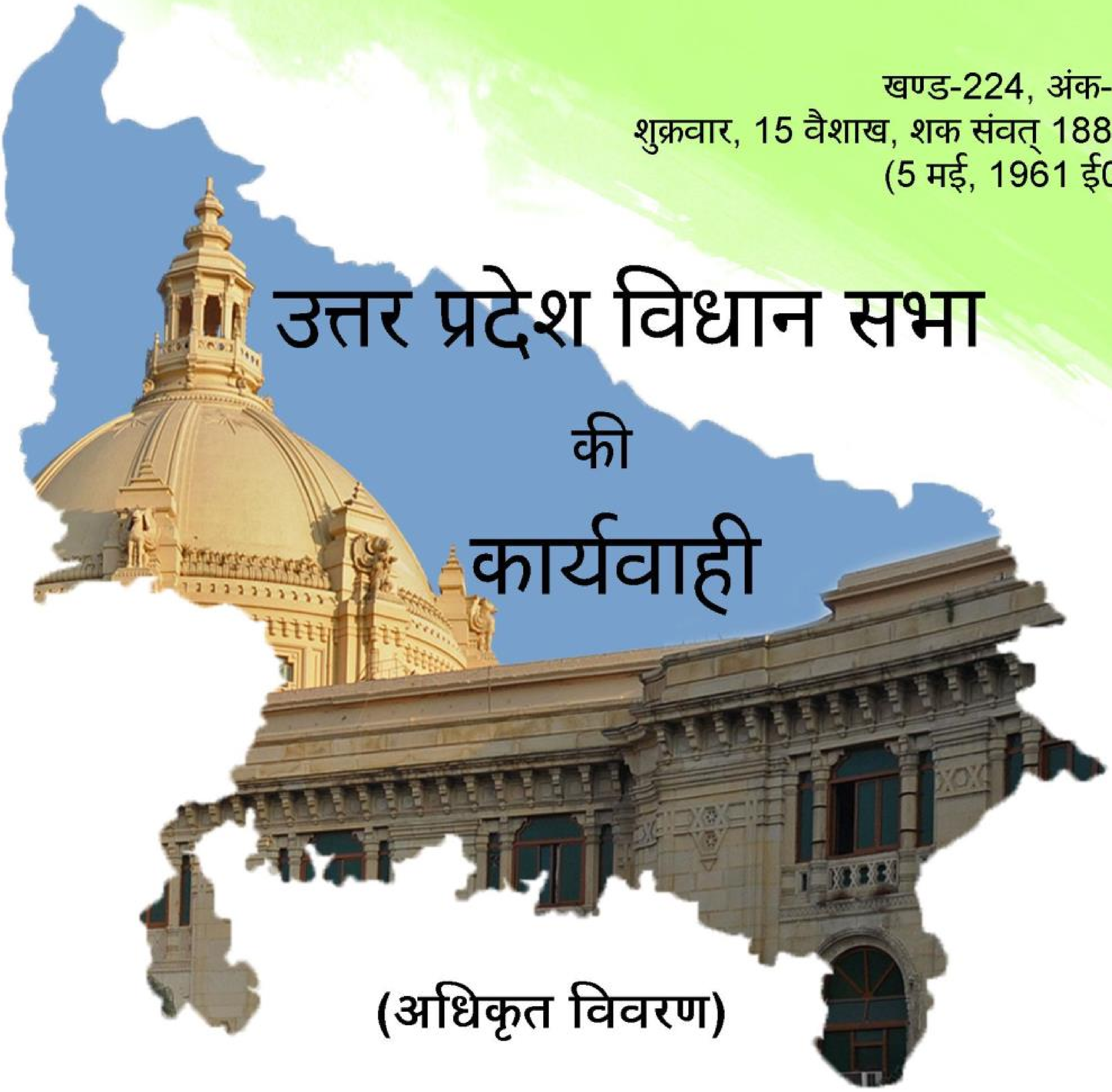

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132581

शुक्रवार, ५ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु फरुग, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपाण्डेय, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरली धर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मदहुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री

रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ५ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

थाना धूरपुर के पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को पीटने की शिकायत

**१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद में थाना धूरपुर के पुलिस कर्मचारियों ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को, जो सार्वजनिक सभा का आयोजन कर रहे थे, १५ व १६ अप्रैल, १९६१ को क्यों पीटा ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—धूरपुर थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता को नहीं पीटा गया ।

**२—श्री त्रिलोकीसिंह तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भोगी तथा डवरा के ग्रामवासी इस मारपीट तथा भय के कारण भाग गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि भोगी ग्राम के रामबहादुर कार्यकर्त्ता और उनके बहुत से साथी जब वहां उस गांव में प्रचार कर रहे थे तो उनको पीटा गया और वह तेजबहादुर अस्पताल, इलाहाबाद में भरती हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उत्तर तो इस बात का दिया गया था कि १५ और १६ को किसी को पीटा नहीं गया। जहां तक पुलिस का संबंध है, पीटा तो पहले भी नहीं गया था। यह बात सही है कि रामबहादुर एक सज्जन हैं, वह हिस्ट्री शीटर हैं, तीन बार के सजा-याफ्ता हैं, १९५७ में ११० में भी सजा हो चुकी है और कुछ दिनों से अपने को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्त्ता कह रहे हैं । कुछ लोगों और उनमें १३ अप्रैल को झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में इसहाक, रामबहादुर और दूसरी पार्टी के लोग थे। उस सिलसिले में उन्होंने रिपोर्ट लिखायी थी । यह उनका आपस में झगड़ा हुआ था और पुलिस ने उनको नहीं पीटा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि १५ और १६ तारीख को उस गांव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की एक मीटिंग थी और उसके लिये वह प्रचार कर रहे थे। उस समय पुलिस ने उनको मारा और उनको बल्लम भी लगा और उनकी रिपोर्ट भी थाने में नहीं लिखी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—१३ तारीख को इसहाक और रामबहादुर जब वापस आ रहे थे तो सिपाही लाल वगैरह ने उनको मारा और उसकी रिपोर्ट उन्होंने ३२४ में लिखायी थी। १६ अप्रैल को एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। उस गांव में बांदा पुलिस का एक वारन्ट आया था चोरी के सिलसिले में और उसमें एक रामप्यारे कुर्मी की गिरफ्तारी हुई थी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि कोई इस तरह की शिकायत सरकार को मिली है कि पुलिस द्वारा जिस सज्जन को मारे जाने की बात कही गई है, अगर उसकी रिपोर्ट मिली है तो उसकी जांच किस मुहकमे के किस अफसर द्वारा करायी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने नहीं कहा कि पुलिस ने उनको पीटा।

श्री गौरीशंकर राय—उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं मारा। तो क्या ऐसी रिपोर्ट मिली है सरकार को कि पुलिस ने उनको मारा ? यदि हां, तो उसकी जांच करायी गयी है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो शिकायत नहीं आयी कि पुलिस ने उनको मारा, लेकिन आपस में उन दोनों का झगड़ा हुआ था और दफा ३२४ की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसके बाद डाक्टरी मुआयना हुआ था। चूंकि उसके इंवेस्टीगेशन की जरूरत नहीं थी, अदम तफतीश थी इसलिये कागजात दाखिल हो गये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब उन्होंने यह रिपोर्ट लिखायी कि मारपीट का मामला हुआ तो उस के बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो उत्तर दे दिया अदम तफतीश। जरूरत कुछ नहीं थी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि आपस में मारपीट हुई तो क्या यह सही है कि आपस में जब मारपीट हो रही थी तो उस समय पुलिस मौके पर पहुंच गयी और उसकी भी एक ग्रूप से कुछ हाथापायी हो गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, वह तो रामबहादुर ने और इसहाक ने रिपोर्ट लिखाई है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखायी, जिनसे झगड़ा हुआ था उनके बारे में लिखायी है।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि धारा ३२४ भारतीय दंड विधान का मतलब यह है कि किसी तेज धार वाले हथियार से चोट लगी और जो काग्निजेबिल आफेंस है, उस पर पुलिस ने जांच करके कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह रिपोर्ट उन्होंने धारा ३२४ में लिखायी थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वह धारा ३२५ में परिणत कर दी गयी। तेज आले की इंजरीज नहीं पायी गयीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद की प्रजासोशलिस्ट पार्टी ने सरकार के पास इस आशय की एक शिकायत भेजी है कि वहां की पब्लिक मीटिंग में १५ और १६ अप्रैल को उनके कार्यकर्त्ताओं को पीटा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे ज्ञान में तो नहीं है, बस यही प्रश्न आया है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपा कर किसी उच्चाधिकारी से इस बात की जांच करायेगी कि वास्तव में राम बहादुर को पुलिस वालों ने ही मारा था, किन्तु अपनी बचत के लिये उस व्यक्ति से रिपोर्ट लिखा दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच की आवश्यकता नहीं है, वह तो इसहाक और रामबहादुर न शिकायत की थी।

श्री अध्यक्ष—यह रामबहादुर ही क्या पी० एस० पी० का आदमी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह तो मैंने बताया है कि वह पी० एस० पी० का आदमी है और उसने ही रिपोर्ट लिखाई है ।

पशुओं की बीमा संबंधी पाइलट रिसर्च योजना

**३—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, क्या प्रदेश में वह पशुओं के जीवन बीमा कराने का इरादा रखते हैं ? यदि हां, तो क्या वे इस योजना की रूप-रेखा पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—पशुओं की बीमा संबंधी एक पाइलट रिसर्च स्कीम तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी है जिसकी रूपरेखा संलग्न नोट में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७८ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ और मेरठ जो प्रस्तावित जिले हैं वहां पर कोई सर्वे भी कराया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पशु बीमा सरकार करने जा रही है उसमें इलाहाबाद और कानपुर के पशु भी शामिल हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तो जो हमारा पाइलट रिसर्च है वह अलीगढ़ और मेरठ में ही शुरू किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकर कृपा कर बतायेगी कि प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत जो सहकारी बीमा समितियों का निर्माण होगा, वह क्या प्रत्येक जिले में एक ही सहकारी समिति बनेगी अथवा हर जगह अलग-अलग ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो बड़ी लम्बी स्कीम है, इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—अगर इन सहकारी समितियों को जिले वाले अधिक संख्या में बनाने को तैयार हों, तो क्या वहां भी पाइलट स्कीम चालू की जायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तो शुरुआत हम उन्हीं दोनों जगह से कर रहे हैं, फिर जहां-जहां उसका स्वागत होगा, उसी हिसाब से आगे के लिये सोचा जायेगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत मेरठ और अलीगढ़ को ही क्यों चुना गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरठ तो इस मामले में आगे बढ़ा हुआ ही है, आप सभी उसको समझते हैं, अलीगढ़ में चूंकि एक दूसरा प्रोजेक्ट अमेरिकन ग्रांट से संबन्धित गेहूं की पैदावार के लिये लग रहा है और उसकी वहां पर एक विशेष योजना है, इसलिये उसको शामिल किया गया है । ६ सोसाइटियों की शुरुआत सन् १९६१-६२ में हो जायेगी, यह आशा की जाती है।

वाराणसी जेल में जहरीली दवा पीने से तीन कैदियों की मौत

**४—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वाराणसी जेल में अप्रैल, १९६१ के तीसरे सप्ताह के मंगलवार से २४ अप्रैल, १९६१ तक तीन आदमी जहर खाने से मर गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुर्घटनाओं का पूर्ण विवरण बताने की कृपा करेगी ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां, कीड़ों को मारने की दवा पीने के कारण तीन कैदी मर गये ।

दिनांक १७ अप्रैल, १९६१ को कुछ कैदी जेल स्टोर में सफेदी कर रहे थे । उस स्टोर में एक पीपे में कीड़ों को मारने की दवा बहुत अरसे से रखी हुई थी। उन कैदियों में से एक ने उस दवा को स्प्रिट या अल्कोहल समझा और वार्डरों की आंख बचाकर वह १८ अप्रैल, १९६१ को एक बोतल दवा अपने बैरेक में ले जाने में सफल रहा। उसने रात में अन्य चार कैदियों के साथ उसे पी लिया। दस बजे रात से उनको कय दस्त आने शुरू हो गए। तुरन्त ही चिकित्सा आरम्भ हो गई और रात के १ बजे उनकी हालत सुधरी। किन्तु सुबह सवा पांच बजे एक कैदी की हालत अचानक गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। अन्य दो कैदियों की हालत भी संतोषजनक न पाई गई और सिविल सर्जन के परामर्श से उन्हें शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में भरती करवाया गया। उक्त अस्पताल में एक कैदी दिनांक २० अप्रैल, १९६१ को तथा दूसरा २१ अप्रैल, १९६१ को मर गया।

इन कैदियों के शव पोस्ट मार्टम के पश्चात् दाह क्रिया के लिये उनके संबंधियों को दे दिये गये। पीपे के द्रव को तथा उक्त कैदियों के पेट के पानी को सुरक्षित रखा गया है जिसे केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा जायेगा।

जेल मैनुअल के पैरा ६५९ के अनुसार जिलाधीश व अन्य अधिकारियों को सूचना भेजी गई और मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी भी हो गई है। जेल के अधीक्षक भी अलग से इंक्वायरी कर रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी, मैजिस्ट्रेट ने जो इंक्वायरी की है उसकी सूचना सदन को देंगे ?

डाक्टर सीताराम—इंक्वायरी तो हो चुकी है, लेकिन मैजिस्ट्रेट से फोन पर कंट्रैक्ट नहीं हो सका, सूचना इसलिये अभी अपेक्षित है ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—इस दवा का क्या नाम था और क्या वह स्प्रिच्वस ड्रग थी ?

डाक्टर सीताराम—अभी उसे अधिकारीगण जांच के लिये केमिकल एग्जामिनर के पास भेजने वाले हैं, लेकिन असिस्टेंट मेडिकल आफिसर ने सूंघकर बताया कि शायद यह आयल लिटोनिला होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मन्त्री महोदय जांच हो जाने पर उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यकता प्रतीत होगी तो अवश्य रखी जायगी।

श्री ऊदल—जैसा कि उत्तर में बताया है कि पोस्ट-मार्टम के बाद जो एक ग्लास पानी है उसको सुरक्षित रख दिया गया है, तो क्या सरकार बतायेगी कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में सिविल सर्जन ने मृत्यु का कारण क्या लिखा है ?

डाक्टर सीताराम---यह मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आधार पर उत्तर दे रहा हूं जेल मैनुअल की धारा ६५९ के अनुसार जिलाधीश ही को रिपोर्ट देने का अधिकार है, जब तक वह शासन को प्राप्त न हो जाय तब तक इस सम्बन्ध में अधिक बताना ठीक न होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--- जब बोतल के कंटेंट्स को पी लिया गया तो अब केमिकल एग्जामिनेशन को क्या भेजा गया है? क्या उसमें से कुछ बचा था या दूसरी बोतल भेजी है?

डाक्टर सीताराम---जिस स्टोर में कनविक्ट्स सफाई कर रहे थे उसी में वह द्रव पदार्थ एक ड्रम में रखा हुआ था और उसी में से निकाल कर वह पी गए। एक बोतल में कोई चीज़ नहीं थी, वह ड्रम में भरा हुआ था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के कार्यालय में फीस माफी संबंधी क्षतिपूर्ति के मामले

*१---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के कार्यालय में छठी श्रेणी के छात्रों की फीस माफी से हुई क्षति की पूर्ति हेतु प्रदेश के कितने हजार स्कूलों के प्रार्थना-पत्र, कितने लाख रुपये के लिये ३१ मार्च, १९६० को विचाराधीन थे?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, १३१ स्कूलों के १,२७,६३८ रु० के प्रार्थना-पत्र ३१-३-६० को विचाराधीन थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या इन स्कूलों के प्रार्थना-पत्र समय से आ गये थे या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव---समय से पूरे नहीं आये थे, लेकिन जो शेष रह गये थे उनको १९६०-६१ में १,२७,६३८ रुपये का अनुदान दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इन प्रार्थना-पत्रों पर विचार समाप्त हो गया या अभी इनका निर्णय बाकी है?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने उत्तर दिया कि १९६०-६१ में उनको १,२७,६३८ रुपया अनुदान दिया जा चुका है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न।]

गोंडा जिले में कुछ अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१---**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले के जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का माह अक्तूबर, १९६० तक लगभग पांच माह के वेतन का वितरण नहीं हुआ था? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव--- जी हां, कुछ अध्यापकों का अक्तूबर, सन् १९६० तक लगभग पांच मास का वेतन वितरण नहीं हुआ था। इसका कारण बिल क्लर्कों की असावधानी से बिल का देर से बनाया जाना तथा पास होना है।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को ५ महीने का वेतन नहीं मिला उनकी क्या संख्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, गोंडा जिले के जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की कुल संख्या २,६११ है। जिसमें से लगभग २७६ अध्यापकों का वेतन बिल क्लर्कों की असावधानी के कारण अक्तूबर, सन् १९६० तक लगभग पांच मास का वितरण नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संबंधित बिल क्लर्कों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

जुलाई, १९६० का वेतन सब अध्यापकों का ५-१०-६० तक प्राप्त हो गया था। केवल २३ अस्थायी अध्यापकों का दो मास (अगस्त व सितम्बर) के वेतन के अतिरिक्त अन्य सब अध्यापकों का अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर का वेतन भी ६-१-६१ को प्राप्त हो चुका है। और अब तक फरवरी, १९६१ तक का वेतन सभी अध्यापकों को तथा कुछ को मार्च का भी प्राप्त हो चुका है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-सी ऐसी असावधानी थी जो क्लर्कों ने की जिसकी वजह से वेतन नहीं मिल पाया ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने उत्तर दिया कि इसी वजह से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिल देर से तैयार हुये, पास होने में भी देरी लगी और २३ अध्यापकों की पोस्टें अगस्त और सितम्बर के लिये सैंकशन भी नहीं थीं, उनकी वह पे अब भी झगड़े में पड़ी हुई है। इन कारणों से देरी हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के आवास गृहों पर केन्द्रीय अनुदान का व्यय

*२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में भारत सरकार द्वारा प्राप्त १३ लाख ८४ हजार रुपये की उस सहायता का उपयोग जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिये आवास-गृहों का निर्माण करना था, किया जा चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। अभी लगभग ९,४४,०४३ रु० का उपयोग करना शेष है।

*३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में कितने आवास-गृह ३१ जनवरी, १९६१ तक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत बन चुके हैं और कहां-कहां बनना उक्त तारीख तक शेष थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---उत्तराखण्ड के नये जिलों को जिन्हें १९५८-५९ में अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं था, तथा अन्तरिम जिला परिषद्, लखनऊ को, जिसने अनुदान खजाने से निकाला ही नहीं, छोड़ कर अनुदान के आंशिक उपयोग से जिन जिलों में जितने गृह निर्मित हुए हैं उनकी सूची संलग्न है। उक्त सूची में जिन जिलों के नाम नहीं हैं वहां उक्त गृहों का निर्माण ३१-१-१९६१ तक नहीं हुआ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९ पर)

*४---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत आवास-गृहों के निर्माणार्थ एलाटेड धन का सम्पूर्ण उपयोग किन-किन अन्तरिम जिला परिषदों ने ३१ जनवरी, १९६१ तक कर लिया है और कितनी अन्तरिम जिला परिषद् ऐसी हैं जो उक्त तिथि तक उक्त धन का उपयोग नहीं कर सकी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—३१ जनवरी, १९६१ तक किसी भी परिषद् ने धन का पूर्ण उपयोग नहीं किया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—जब किसी भी परिषद् द्वारा इस धन का पूर्ण उपयोग इतने दिनों के पश्चात् तक नहीं किया जा सका तो क्या सरकार किसी ऐसे कार्यक्रम पर विचार करने की कृपा करेगी जिससे प्लान के अन्दर स्वीकृत योजनायें निश्चित अवधि में ही समाप्त हो जाया करें ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो बहुधा देखा गया है कि जिला परिषदें ऐसी योजनाओं को पूरा नहीं कर पातीं, उनकी अपनी कठिनाइयां भी हैं। इस वजह से आदेश दे दिये गये हैं कि जो जिला परिषदें पूरा नहीं कर सकतीं वह ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स को रुपया भेज दें ताकि उनके द्वारा काम कराया जा सके। और अब जो रुपया दिया जाता है वह इसी तरह ए० डी० एम० (प्लानिंग) को दिया जाता है ताकि जिस क्षेत्र में काम करना हो उसी ब्लाक के जरिये से वह उसको पूरा करा सकें।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रदेशीय सरकार के पास अध्यापकों के क्वार्टर्स बनवाने के लिये धन नहीं है, तब क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलों को जब रुपया दिया गया उस समय सरकार ने उनको इस बात का आदेश क्यों नहीं दिया कि इतने दिन के अन्दर क्वार्टर बन जाने चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार एवं अध्यापकों का प्रशिक्षण नामक योजना में रुपया आ रहा था। पया जिला बोर्डों को भेजा गया क्योंकि पाठशालायें उन्हीं की हैं इसलिये उन्हें ही यह कार्य करना चाहिये लेकिन जब वह नहीं कर पाये तो अब ब्लाकों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत ३१ नवम्बर पर बाराबंकी जिले में रफी मेमोरियल कमेटी द्वारा सहायता दी गई है तो क्या अन्य जिलों में भी ऐसी कमेटियों को सहायता प्राप्त हो सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—रफी अहमद कमेटी, मसौली को बाराबंकी में दिया गया है लेकिन अभी हमारे सामने और कमेटियों को देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है और न शायद धन ही उपलब्ध हो सकेगा कि और कमेटियों को भी दे सकें लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण स्थान से, जहां पर आवश्यकता हो, कोई प्रार्थना-पत्र आये तो विचार तो हो ही सकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—लखनऊ अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा धनराशि को न निकाले जाने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने समय पर नहीं निकाला, अब उसके बारे में क्या कहा जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जब किसी भी अन्तरिम जिला परिषद् ने इस धन का उपयोग नहीं किया है अध्यापिकाओं के आवासगृह बनाने के लिये, इस प्रकार के स्पष्ट आदेश देंगे कि प्लानिंग विभाग उनको बनवाये ?

श्री रामस्वरूप यादव—इससे पहले भी कई योजनाओं में जिला परिषदों को धन दिया गया था लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। मजबूरी में यही आदेश देने पड़े कि वह रुपया नियोजन अधिकारियों को दे दिया जाय जो इसका उपयोग आवश्यकतानुसार करें। सरकार इस बारे में स्वयं चिन्तित है।

जेलों में नलकूप लगाने की योजना

*५--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी जेलें कौन-कौन सी हैं, जिनमें वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में बिजली के नलकूप लगाये जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम--१९६१-६२ में, जिला जेल, मिर्जापुर, सुल्तानपुर तथा सम्पूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक शिविर सितारगंज, नैनीताल में नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने पिछले सेशन में यह कहा था कि मैनपुरी की जेल में नलकूप लगाने का विचार है और उसके लिये वहां से एस्टीमेट मांगा गया है, तो क्या वहां पर बिजली का नलकूप लगाया जायगा या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--पिछले सेशन में क्या कहा गया था, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी पिछले सेशन की कार्यवाही को देखेंगे जिसमें सरकार की तरफ़ से यह आश्वासन दिया गया था कि मैनपुरी जेल में बिजली का नलकूप लगाया जायगा ? अगर इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः विचार करेंगे कि बिजली का नलकूप मैनपुरी जेल में लगाया जाय ?

डाक्टर सीताराम--उसको तो मैं देख लूंगा लेकिन इस समय यह कहना कठिन है कि कोई आश्वासन दिया गया था।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जिन जेलों में बिजली के नलकूप नहीं हैं वहां बिजली के नलकूप लगाये जायं ?

डाक्टर सीताराम--अब तक प्रदेश की जेलों में २२-२३ नलकूप लगाये जा चुके हैं, प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि ३ जेलों में और नलकूप लगाये जाने की योजना है तथा ६२-६३ में करीब ७ जेलों में नलकूप लगाये जाने की व्यवस्था की जाने वाली है। यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जेल डिपार्टमेन्ट नान-प्लान्ड विभाग है। ज्यों ज्यों प्रशासन के पास रुपया उपलब्ध होता जायगा, इन सब बातों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करती रही है और करती रहेगी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार ने इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक जेल में एक नलकूप लगेगा ?

डाक्टर सीताराम--प्रत्येक जेल के बारे में कहना तो संभव होगा नहीं क्योंकि जो पहाड़ी जेल हैं वहां पर नलकूप नहीं लगाये जा सकते क्योंकि पहाड़ों में पानी की व्यवस्था दूसरी तरह से करनी होती है। साथ ही जहां कैदियों की संख्या थोड़ी होती है वहां इस प्रकार की व्यवस्था करना मेरे विचार में उचित न होगा लेकिन जिन जेलों में कैदियों की संख्या अधिक है वहां इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार सरकार रखती है और जैसे जैसे धन उपलब्ध होता जायगा सरकार नलकूपों की व्यवस्था करती जायगी और करती रही है।

अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के जे०टी० सी० अध्यापकों का वेतन

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के शिक्षा विभाग में काम करने वाले अधिकांश जे० टी० सी० अध्यापक को अपर प्राइमरी स्कूल के वेतन-क्रम में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, ६८ जे० टी० सी० अध्यापक प्राइमरी स्कूल में कार्य कर रहे हैं। वे जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, उसका वेतन-क्रम पाते हैं।

*७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् ,आजमगढ़ द्वारा संचालित कितने जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिये अनट्रेण्ड अध्यापक रखे गये हैं, और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--कुल ५८ अध्यापकों में से केवल पांच अध्यापक अनट्रेण्ड हैं।

ये अध्यापक अनुभवी हैं और बहुत दिनों से परिषद् के शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जे० टी० सी० अध्यापकों को प्राइमरी स्कूलों में रखने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--कारण तो श्रीमन्, रखने का नहीं है लेकिन जे० टी० सी० अध्यापकों को जब जूनियर हाई स्कूल में स्थान नहीं मिलता है तो वे प्राइमरी स्कूलों में तलाश करते हैं और जब वे प्राइमरी स्कूलों में जायेंगे तो वहीं के अध्यापकों का वेतन-क्रम उनको मिल सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी है और फिर भी प्राइमरी स्कूलों में ये क्यों रखे गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार को तो इसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य हैं, वे ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि यदि जे० टी० सी० अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं तो उनको जूनियर हाई स्कूलों में ही रखा जाय।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--जब जे० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापक हैं तो इन ५ अन्ट्रेंड अध्यापकों की जगह पर उन्हें क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--५ अनट्रेंड अंग्रेजी के अध्यापक हैं। हर जे० टी० सी० अंग्रेजी का अध्यापक नहीं हो सकता। मुमकिन है कि कुछ ऐसे अंग्रेजी के अध्यापक हों जो जे० टी० सी० भी हों लेकिन यह काम तो अन्तरिम जिला परिषद् का उनको रखने का है। हो सकता है कि अपने पुराने अध्यापकों के अनुभव के आधार पर उन को रखा गया हो और उनको अधिकार है उनको रखने का।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ में जे० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापकों की काफी संख्या है, और वे अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--दो तीन दफा वे उत्तर दे चुके हैं कि अन्तरिम जिला परिषद् इसको तय करती है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जे० टी० सी० की मिनिमम योग्यता क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जे० टी० सी० की मिनिमम योग्यता हाई स्कूल है लेकिन क्या हर हाई स्कूल पास अंग्रेजी पढ़ा सकता है ? हो सकता है कि किसी ने जेनरल इंगलिश का हिस्सा पढ़ कर ही हाई स्कूल पास किया हो।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जे० टी० सी० अध्यापक जो सन् ५४ तक के ट्रेंड हैं और जो नये ट्रेंड हैं, उनकी तनख्वाहों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो उसको दूर करने के लिये सरकार ने कौन-सा कदम उठाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, कुछ वर्ष पहले सम्भवतः ५६-५७ में उस वक्त की सरकार ने जे० टी० सी० अध्यापकों के वेतन-क्रम में तब्दीली की थी। उस वक्त जितने जे० टी० सी० अध्यापक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम कर रहे थे उनके आंकड़े मांगे गये थे। उनके आंकड़े आ जाने के बाद सरकार की तरफ़ से अनुदान दे दिया गया। बाद में जिला परिषद् ने जितनी नियुक्तियां कीं, उन को नया वेतनक्रम नहीं दिया। शासन की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि हर जे० टी० सी० को नया वेतनक्रम दिया जाय।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिये ट्रेंड होना आवश्यक नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ट्रेंड होना तो प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों, सभी के लिये आवश्यक है। यह भी प्रश्न है कि अगर ट्रेंड न मिलें तो अनट्रेंड रखे जा सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५ अनट्रेंड अध्यापक हैं उनकी योग्यता क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५ अनट्रेंड अध्यापक हैं, उनको ट्रेनिंग से मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार के सामने इनके मुक्त करने का प्रश्न नहीं है।

आजमगढ़ जिले से राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*८---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर व आजमगढ़ जिलों से १ जून, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र मासिक पेन्शन हेतु तथा लड़कियों की शादी के लिये सहायतार्थ सरकार के पास आये ? उनमें से जिलेवार अलग-अलग कितने स्वीकृत हुये ?

परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपा शंकर)---१-६-६० से ३१-३-६१ तक गाजीपुर जिले से ६६ व्यक्तियों के पेंशन के लिये और १६ व्यक्तियों के लड़कियों की शादी के लिये सहायतार्थ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। उक्त अवधि में आजमगढ़ जिले से ३६ व्यक्तियों के पेंशन के लिये और ६ व्यक्तियों के लड़कियों की शादी के लिये सहायतार्थ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। केवल गाजीपुर जिले से कन्या के विवाहार्थ सहायता के लिये प्राप्त एक प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कारण क्या है कि २ जून सन् ६० से ३१ मार्च सन् ६१ तक इन प्रार्थना-पत्रों पर इतनी कम तादाद में निर्णय लिया गया ?

श्री कृपाशंकर---चूंकि बजट में पैसा नहीं था और नये बजट का इंतजार था, अब बजट पास हो गया है इसलिये जिन पर विचार नहीं किया गया है उन पर अब विचार किया जा रहा है।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर में १६ में से केवल १ की मंजूरी हुई तो बाकी लोगों को कब तक देने का विचार है ?

श्री कृपा शंकर---गाजीपुर में कुल ६० प्रार्थना-पत्र थे जिनमें से ६ पर जिलाधीश की संस्तुति प्राप्त हो गई है और बकिया ५४ ऐसे हैं कि जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है लेकिन अब चूंकि जिलाधीश की रिपोर्ट आ गई है इसलिये उन पर शीघ्र कार्यवाही हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि लड़कियों की शादी के प्रार्थना-पत्र उन के दफ्तर में पड़े हैं और अब शादियों के दिन भी व्यतीत हो रहे हैं तो उन पर निर्णय न लेने का कारण क्या है ?

श्री कृपा शंकर—मैंने अभी बताया कि पिछले बजट में पैसा नहीं था इस कारण से देर लगी, अब लड़कियों की शादी का जहां तक सम्बन्ध है कोशिश हो रही है कि ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाय ।

लड़कियों के हाई स्कूल

*९—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों के जिलेवार कितने हाई स्कूल हैं ? उनमें कितने सरकारी हैं और कितने प्राइवेट रूप से चल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल २६८ हैं जिनमें से ४९ राजकीय तथा २१९ प्राइवेट रूप से चल रहे हैं । जिलेवार सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०–८१ पर)

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सूबे में बालिकाओं के हाईस्कूलों की जो संख्या दी गई है वह इतने बड़े सूबे के लिये नाकाफी है, तो क्या कोई योजना है जिसमें अधिक से अधिक लड़कियों के स्कूल यहां खोले जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी सरकार की तरफ से तो नये हाई स्कूल खोलने की कोई योजना लड़कियों के लिये नहीं है ।

जेलों के उचंत खातों में रुपया

*१०—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि इस समय करीब दस लाख पया यू० पी० जेलों के उचंत (suspense) खाते में ऐसा पड़ा है जो कैदियों द्वारा की गई मजदूरी आदि का है ? यदि हां, तो इस रुपये को कैदियों के छूटते समय न बांटे जाने का क्या कारण है ?

*११—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय यू० पी० जेल विभाग का बाहरी लोगों व अन्य विभागों पर कितना रुपया outstanding dues है व कब से है और उसके वसूल करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मुझे पता लगा है कि कल सूचना प्राप्त हो गई है, अगर यह ठीक है तो वह सूचना मंत्री जी कृपा कर दे दें ?

श्री अध्यक्ष—आपको खूब पता लग जाता है कि सूचना आ गई है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—फिर तो श्रीमन्, यह १२ तारीख के बाद आयेगा नहीं, अगर दे सके तो वह पूरा विवरण दे दें ।

श्री अध्यक्ष—आप मंत्री जी से मिल तो हमेशा सकते हैं, आप तारीख १२ से पहले ही जा कर उन से मिल लें वह सूचना दे देंगे अगर आ गई है, उस में कोई दिक्कत नहीं होगी ।

छिबरामऊ में लड़कियों के हाई स्कूल की आवश्यकता

*१२—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में लड़कियों के लिये हाईस्कूल की शिक्षा देने का प्रबन्ध करने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ में लड़कियों के लिये हाईस्कूल खोलने के लिये वहां की अन्तरिम जिला परिषद् ने प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री प्रतापसिंह--मंत्री जी ने जो कहा कि 'जी नहीं' इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उत्तर दे चुके कि आम तौर से लड़कियों के स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है । अब आप एक एक के लिये पूछते हैं कि फर्रुखाबाद के लिये क्यों नहीं है या और स्थानों के लिये क्यों नहीं है ।

उर्दू शिक्षा के लिये अनुदान

*१३--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस राज्य में अलग-अलग जिलों में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में उर्दू की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को कुल कितना धन अनुदान के रूप में और दूसरे रूप में दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--सूचना एकत्र की जा रही है ।

[५ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३-५--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)--[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कैदियों से चक्की न चलवाने की प्रार्थना

*६--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जेलों में कैदियों से कोल्हू पेरने का और चक्की चलाने का जो कार्य लिया जाता है, वह बन्द कर दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम--कैदियों से कोल्हू पेरने का काम बहुत दिन हुए बन्द हो चुका है । हाथ की चक्की का काम भी धीरे-धीरे कम किया जा रहा है और जेलों में भी धीरे-धीरे शक्ति-चालित चक्कियां लगाई जा रही हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी भी जेल में कैदियों से चक्की चलाने का काम न लिया जाय, यह कब तक हो सकेगा ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये समय निश्चित करना कठिन है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कैदियों से जो चक्की पिसाई जाती है तो वह कितनी उम्र के कैदियों से पिसाई जाती है और कितना गल्ला पीसना पड़ता है ?

डाक्टर सीताराम--अध्यक्ष महोदय, अभी तक १३ कारागारों में कैदियों से आटा पिसवाने का काम नहीं लिया जाता है । साथ ही ४ जेलों में इस साल यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि चक्कियां लगाई जांय । साथ ही साथ प्रत्येक जेल में जहां पर चक्की नहीं लगाई गई है उनके संबंध में जहां तक यह प्रश्न है कि कितने उम्र वालों से पिसवाया जाता है, तो माइनर से तो पिसवाया नहीं जाता है, मेजर से पिसवाया जाता है । फी कैदी कितना पीसना पड़ता है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । माननीय सदस्यों में से बहुत से लोगों को जेल विभाग का अनुभव है और वे उसे जानते भी होंगे ।

श्री झारखंडेराय---मंत्री जी बताएंगे कि क्या सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि क्रमिक रूप से उत्तर प्रदेश की जेलों में कोल्हू और चक्की का जो श्रम लिया जाता है वह बन्द कर दिया जाय और उसकी जगह पर और अधिक उपयोगी श्रम लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---कोल्हू का तो वह कह चुके कि बन्द कर दिया गया है । अब तो सिर्फ चक्की को पूछ लीजिये ।

डाक्टर सीताराम---जी हां, सिद्धान्त रूप से तो यह मान लिया गया है लेकिन अभी मैं प्रश्नोत्तर में बतला चुका हूं कि जेल डिपार्टमेंट नान-प्लांड डिपार्टमेंट है, ज्यों-ज्यों शासन के पास रुपया होता जायेगा त्यों-त्यों पावर से चालित चक्कियां लगती जायेंगी, क्योंकि इन चक्कियों के लगाने में काफी रुपये की आवश्यकता पड़ती है । सिद्धान्त तो मान लिया है लेकिन यह कहना मुश्किल है कि कितने दिन में वह हो जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि जिस तरह से मैनुअल लेबर कराना कम होता जा रहा है उसी तरह से जेल की पापुलेशन भी बढ़ती जा रही है और क्राइम्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप चाहते हैं कि चक्की पिसवाई जाय ?

(हंसी)

श्री चन्द्रजीत यादव---मंत्री जी ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति जब इस योग्य होगी कि पावर की चक्की लगा सकें तब इसको बन्द किया जायगा, तो क्या इस बीच में सरकार इस बात का आदेश देगी कि जो सरकारी आटा और जगहों पर वितरित होता है और सब लोग खाते हैं वही उन जेलों में भी प्रयोग किया जाय और चक्कियों का पिसाना तत्काल बन्द कर दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम---ऐसा कोई प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन नहीं है और भविष्य में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि और जगह की चक्कियों का पिसा हुआ आटा कैदियों को दिया जाये क्योंकि इकानामी को ध्यान में रखते हुये जिन जेलों में कैदियों की संख्या कम है उन जेलों में चक्की का लगवाना फायदेमन्द नहीं होगा । लेकिन जिन जेलों में कैदियों की संख्या अधिक है वहाँ बिजली से चालित चक्कियों को लगाना फायदेमन्द होगा । इसलिये वहीं पर पहले लगाने का विचार है । बाद में छोटी जेलों में लगाई जायंगी ।

श्री ऊदल---जैसा मंत्री जी ने बताया कि ७ जेलों में चक्की को बन्द करने का प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है तो मैं जानना चाहता हूं कि उन जेलों में फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल और वाराणसी हैं कि नहीं ?

डाक्टर सीताराम---१३ जेलों में मैंने बताया पूर्ण रूप से चक्कियां लग चुकी हैं और ४ जेलों में १९६१-६२ में लगाने का विचार है । ७ जेलों के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते हैं कि वाराणसी और फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में है कि नहीं, आपको मालूम नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवल---इस बात को देखते हुए कि सरकार ने स्वयं निश्चय कर लिया है कि चक्की पीसने की मशक्कत को धीरे-धीरे बन्द कर दिया जाय तो क्या सरकार विचार करेगी कि जब तक पावर से चालित चक्कियां नहीं लगतीं, उनके लगने में देर लगती है तब तक चक्की पीसने की मशक्कत को कम कर दिया जाय, यानी जितना आटा पिसवाया जाता है उससे कम पिसवाया जाय ?

डाक्टर सीताराम—अभी जो मात्रा निर्धारित है उसके लिये नोटिस चाहिये लेकिन उससे कम करने की जहां तक बात है उस पर मैं विचार करूंगा कि कम हो सकती है ।

*७–८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गाय ।]

*१०—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*११—**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—[बारहवें सोमवार के लिये प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड में व्यापारियों की संस्थाओं का प्रतिनिधित्व

*१२—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या यह सही है कि प्रदेश के हाईस्कूल और इन्टरमीडियेट एजूकेशन के बोर्ड में केवल कानपुर के अपर इन्डिया चैम्बर आफ कामर्स और यू० पी० चैम्बर आफ कामर्स को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ३ की उपधारा १ (एन) के अन्तर्गत इन संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है । यह ऐक्ट १९२१ में बना था और अब यह बताना कठिन है कि उस समय किस उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी । अनुमान है कि व्यापारी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह उपधारा रखी गई होगी ।

*१३—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार इस बात की आवश्यकता और वांछनीयता पर विचार कर रही है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ के अन्तर्गत प्रदेश के दूसरे चैम्बर्स आफ कामर्स को भी नम्बरवार प्रतिनिधित्व दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार के कथनानुसार इस कानून को ४० साल हो गये बने हुए और जिस समय यह कानून बना था उस समय यह भी सम्भव है कि कानपुर के अलावा और कहीं चेम्बर आफ कामर्स और मरचेन्ट्स एसोसियेशन हों ही नहीं । तो क्या सरकार इतने पुराने कानून में संशोधन करने की आवश्यकता समझ कर ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेगी कि केवल एक शहर के व्यापारियों को ही प्रतिनिधित्व न मिले बल्कि अन्य जो व्यापारियों की संस्थायें प्रदेश में हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिल सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—मैं समझता हूं जो सुझाव है, जिस समय ऐक्ट को दोबारा संशोधन के लिये सदन के सामने लायेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार के विचाराधीन यह भी प्रश्न है कि बोर्ड आफ इंटरमीडियेट से चेम्बर आफ कामर्स का प्रतिनिधि ही हटा दिया जाय, अगर कोई संशोधन हो तो ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो माननीय सदन के ऊपर निर्भर होगा अगर हटाना चाहेंगे तो संशोधन के समय वैसा कर सकते हैं । अभी कोई विचार नहीं है ।

*१४–१५—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

शाहजहांपुर जेल में बिजली व स्थान की कमी

*१६—**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को पता है कि जिला कारागार, शाहजहांपुर में बिजली का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कारागार में वह कब तक बिजली का प्रबन्ध कर देगी ?

डाक्टर सीताराम—जिला कारागार, शाहजहांपुर में बिजली की व्यवस्था है अतः वहां बिजली का प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१७—**श्री बालकराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कारागार, शाहजहांपुर में कितने कैदियों व हवालातियों के रहने की जगह है और आजकल वहां पर कितने कैदी व हवालाती हैं ?

डाक्टर सीताराम—जिला कारागार, शाहजहांपुर में २९९ कैदियों और १४३ हवालातियों के रहने का स्थान है । २० अप्रैल, १९६१ को उक्त कारागार में २१४ कैदी और ३८७ हवालाती थे ।

श्री बालकराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने १६ नम्बर के सवाल के उत्तर में कहा है कि शाहजहांपुर जेल में बिजली का प्रतिबन्ध है तो वह दफ्तरों में ही है या कैदियों और हवालातियों की बैरकों में भी है ?

डाक्टर सीताराम—एक बैरक में भी है ।

श्री बालकराम—क्या सरकार बाकी बैरकों में भी बिजली लगवाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है कि ऐसी जेलें जहां बिजली पहुंच चुकी है लेकिन कुछ बैरक्स में अभी नहीं है वहां क्या किया जाय । उसके लिये एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तखमीना भी मांगा गया है और आई० जी० ने शासन को अपनी आख्या नहीं प्रस्तुत की है । जब वे आख्या प्रस्तुत करेंगे तो विचार किया जायगा । इस वक्त इस प्रश्न का निश्चित जवाब देना इसलिये सम्भव नहीं है कि अभी आई० जी० प्रिजन्स के पास से एस्टीमेट्स नहीं आये हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि शाहजहांपुर जिला जेल में १४३ हवालातियों की जगह है और उन्होंने यह भी बतलाया कि ३८७ हवालाती उस स्थान में बन्द होते हैं, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि १४३ की जगह में ३८७ हवालाती कैसे बन्द होते हैं ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९५९ में एक एक्स्ट्रा बैरक ५० कैदियों के लिये बनकर तैयार हो गयी है । यह बात सत्य है कि वहां पर कैदियों की संख्या अधिक है और जगह कम है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि शाहजहांपुर जेल में अब और एक्सटेंशन की गुंजायश नहीं है । वहां के कैदियों को करीब के और जिलों में जहां जगह है भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जहां पर इस समय जिला कारागार, शाहजहांपुर स्थित है वहां से उसको हटा कर शहर के बाहर किसी खुली जगह में बनाया जाय जहां पर्याप्त रूप से कैदियों के लिये स्थान प्राप्त हो ?

डाक्टर सीताराम—ऐसा प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कैदियों की संख्या अधिक है और जगह कम है तो क्या रात में कैदियों को बाहर रखा जाता है ?

डाक्टर सीताराम—कैदी बाहर तो रखे नहीं जा सकते लेकिन यह जरूर है कि कुछ कैदी अस्पताल में जहां जगह खाली है वहां रखे जाते हैं और साथ ही साथ जेलर ने ऐसा इन्तजाम किया है कि जिन बैरक्स में कुछ जगह बच रहती है उसमें उनको सुलाने के लिये या रखने के लिये इन्तजाम कर दिया है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में एक जेल अंग्रेजों ने बनायी थी और वह जेल ज्यों की त्यों बनी है तो क्या वे उसका संचालन करेंगे या वह किसलिये बनायी गई थी ?

श्री अध्यक्ष—क्या शाहजहांपुर का मोहल्ला है सीतापुर ?

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह विदित है कि अब से दस वर्ष पहले ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन थी कि शाहजहांपुर के वर्तमान कारागर को हटाकर शहर के बाहर किसी नये स्थान पर बनाया जाय और वहां पर भूमि का सर्वेक्षण तक हुआ था ?

डाक्टर सीताराम—अगर दस साल पहले का प्रश्न है तो उसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है लेकिन इस वक्त ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*१८—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल की आवश्यकता

*१९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिये तृतीय योजना में स्कूल खोलने के सम्बन्ध में अभी हाल ही में कोई आदेश भेज कर राय जानने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को छोड़ कर इस देश के अन्य राज्यों में इस मद में केन्द्रीय सरकार सहायता देती है तो उत्तर प्रदेश में न देने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशों को सहायता देती है या नहीं देती है।

*२०–२१—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२३–२४—**श्री भीमसेन** (जिला बुलन्दशहर)—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

अध्यापकों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के संबंध में कार्यवाही

*२५—**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० ओ० नम्बर १७३/१५—३१६-६०, दिनांक ९ मार्च, १९६१ के अनुसार अध्यापकों

को पहले मिलने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिये कुछ नगरपालिकाओं ने ९ मार्च, १९६१ के बाद सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। राजाज्ञा दिनांक ९ मार्च, १९६१ के क्रम में एक संशोधन निकाले जाने पर विचार हो रहा है।

*२६–२७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८—**श्री गौरीशंकर राय**—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

भिक्षावृत्ति रोकने का सुझाव

*२९—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार के पास हाल ही में ऐसे सुझाव जनता की तरफ से आये हैं कि भीख मांगना कानूनन रोका जावे ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—इस प्रकार का एक सुझाव झांसी से श्री मदन लाल पचौरी ने भेजा है।

भिक्षावृत्ति को कानूनन रोकने के लिये १९५५ में एक भिक्षावृत्ति निरोधक विधेयक तैयार किया गया था परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उक्त विधेयक को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव छोड़ देना पड़ा।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार अब इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो मेहनत कर सकते हैं, तन्दुरुस्त हैं और भीख मांगने का पेशा बना लिया है, जनता पर भारस्वरूप ऐसे लोगों का भीख मांगना कानूनन रोक दिया जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस समय लोकल बाडीज के विधान के अन्दर परिवर्तन करने के लिये एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है। जिस समय वह विचार हो चुकेगा उसके बाद उसको लागू किया जा सकता है। म्युनिसिपल बोर्ड के ऐक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीया मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जो उन्होंने बताया कि आर्थिक कमजोरी से उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके क्या कोई आंकड़ा सरकार ने बनाया था कि इतना रुपया हमें चाहिए इसलिये नहीं हो सकता और वह आंकड़ा क्या है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—आंकड़ों के बताने के लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीया मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जब उन्होंने यह जांच ही नहीं की कि रुपया कितना चाहिए तो कैसे कह दिया कि आर्थिक कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने नहीं कहा कि जांच नहीं की। वह तो खाली नोटिस चाहती हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीया मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जब सारे प्रदेश में भीख मांगना बन्द करने में गवर्नमेन्ट का ज्यादा खर्चा होगा तो क्या आंशिक रूप में किसी खास जिले में बन्द करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मैंने अभी निवेदन किया कि म्युनिसिपल बोर्ड के ऐक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। उस संशोधन के जरिये म्युनिसिपल बाईलाज बन सकेंगे। तब इस

पर कुछ विचार हो सकता है। इस समस्या को इस सीमा तक कुछ थोड़ा सा हल करने के लिये दो जिलों में भिक्षा-गृह स्थापित किये गये हैं सरकार की ओर से--एक वाराणसी में और दूसरा हरिद्वार में।

श्री उग्रसेन—क्या माननीया मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जो दो भिक्षा-गृह स्थापित किये गये हैं उनमें कितने भिक्षुकों के पनाह लेने की व्यवस्था है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—दोनों गृहों में १००-१०० की व्यवस्था है।

*३०—श्री त्रिलोकीसिंह—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*३१-३२—श्री अमरनाथ—[१२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अनुदान

*३३—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १९६०-६१ में कतिपय हायर सेकेन्डरी स्कूलों को किन-किन शर्तों पर अनुदान दिया गया है ?

*३४—क्या अनुदान पाने के लिये आवश्यक है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट द्वारा निश्चित प्रशासन योजना (Scheme of Administration) को मान लें ? यदि हां, तो सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०-६१ में आजमगढ़ में अनुदान पाने वाले उपर्युक्त प्रकार के स्कूलों में से किस-किस स्कूल ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

माडल स्कूलों के इंटर पास अध्यापकों को सी० टी० ग्रेड देने का विचार

*३५—श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट माडल स्कूलों के ऐसे सहायक अध्यापकों को जो अनुभवी होने के साथ-साथ इन्टर पास हैं, सी० टी० ग्रेड में प्रमोशन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय की आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—विचार हो रहा है। शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

श्री नारायणदास पासी—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि १९५१ में एक विभागीय आदेश के अनुसार माडल स्कूलों के सहायक अध्यापकों को जो सी० टी० ग्रेड में अस्थायी रूप से काम करने वाले थे उन्हें सी० टी० ग्रेड की तनख्वाह मिलती थी, १९५४ से वह बन्द हो गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, प्रश्न जो किया गया था वह असल में यह है कि ऐसे सहायक अध्यापकों को जो अनुभवी होने के साथ-साथ इंटर पास हैं सी० टी० ग्रेड में प्रोमोशन देने का प्रश्न क्या विचाराधीन है और अब माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि उनको स्थायी होने पर जो तनख्वाह मिलती थी वह क्यों नहीं मिलती है तो इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से सी० टी० ग्रेड के अध्यापक अगर वह बी० ए० पास होते हैं तो एल० टी० के लिये उनको प्रोमोशन दिया जाता है उसी प्रकार माडल स्कूलों के अध्यापकों ने भी यह मांग की थी कि उनको भी सी० टी० ग्रेड में प्रोमोशन दिया जाय और इसको देखते हुए पहले शिक्षा निदेशक ने यह आदेश भी दिया था कि अगर स्थान रिक्त हों सी० टी० ग्रेड में तो माडल स्कूल के अध्यापक उन स्थानों

पर उसी वेतन-क्रम में रखे जायं जो सी० टी० को मिलता है तो जब तक यह प्रश्न विचाराधीन है तब तक सरकार उस आदेश को पुनः लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उनकी मांग थी कि सी०टी० ग्रेड से जैसे एल० टी० में ३० प्रतिशत लोग भरे जाते हैं उसी प्रकार उन्होंने भी यह मांग की थी कि उनमें से ३० प्रतिशत सी० टी० ग्रेड में भरे जायं तो यह तो मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न विचाराधीन है और यद्यपि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस राय के नहीं हैं लेकिन इस पर विचार हो रहा है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो यह अध्यापक सी०टी० के अध्यापकों की जगह काम करते हैं उनको ७५ से १२० तक ही तनख्वाह दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जब तक सी० टी० के अन्दर ये अध्यापक रहें, तब तक उनको सी० टी० का ग्रेड दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, अस्थायी रूप से कार्य करने के नियम बने हुये हैं उन्हीं के अन्तर्गत दिया जाता है ।

श्री नारायणदास पासी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे कि जब तक यह निर्णय न हो जाय तब तक सी० टी० ग्रेड में अस्थायी अध्यापक जो काम करें वह उसी ग्रेड को पावें जो सी० टी० का है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा तो सम्भव नहीं होगा। लेकिन निर्णय ही जल्दी ले लेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसके लिए नियम बने हुये हैं, मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षा निदेशक ने सन् ५२ में अपने पत्र संख्या २-२१/३०-६ के जरिये से यह आदेश दिया था कि जो माडल स्कूल के अध्यापक हैं अगर उनकी नियुक्ति की जाय सी० टी० ग्रेड में तो उनको वही वेतन-क्रम दिया जाय जो सी० टी० के अध्यापकों को दिया जाता है सरकार ने सन् ५४ में इस आदेश को तोड़ दिया तो क्या सरकार पुनः उस नियम को लागू करने की कृपा करेगी कि माडल स्कूल के टीचर जो सी० टी० ग्रेड में काम करते हैं उनको सी० टी० ग्रेड दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उनका एक सम्मेलन हुआ था उसमें जो मांग की गई थी उन सब पर ही विचार हो रहा है । यदि यह विषय उसमें है तो उस पर भी विचार हो रहा है ।

श्री ऊदल—क्या मननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो निदेशक ने सन् १९५२ में एक आदेश दिया था उसको रद्द करने की कौन-सी आवश्यकता सरकार को पड़ गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस वक्त मेरे पास ५२ और ५४ के आदेश जो हैं वह नहीं हैं इसलिये मैं इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे सकता ।

भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है उसे आप जरा सुन लें। हमारे पास जो प्रोग्राम है १०,११,१२ का उसमें कुछ विधेयक आने वाले हैं और वह सभी विधेयक परिषद से लौटकर यहां आने वाले हैं । आज का जो एजेन्डा है उसमें कहीं भी इस बात का संकेत नहीं है कि उन विधेयकों के बारे में कोई सूचना सरकार के पास पहुंच गई या नहीं, सदन को इसकी कोई सूचना नहीं है। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम १६६ और १६७ में जो अधिकार दिये हुए हैं कि कम से कम दो दिन पहले सूचना आपके यहां माननीय मंत्री के पास से पहुंच जानी चाहिये कि हम किसी विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। अगर दो दिन पहले

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सूचना नहीं मिल पाती है तो वह प्रस्तुत नहीं हो पायेंगे और इसके साथ-साथ हम लोगों को जो दफा १६७ में अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी सदस्य संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति को भेजने का संशोधन रख सकता है वह भी इस प्रकार सूचना न होने से उसका भी संशोधन नहीं रखा जा सकेगा। तो अभी तक सूचना हमको नहीं है और आज आखीरी दिन है इसके बाद तीन दिन की छुट्टी है। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कार्यक्रम बटा है १०-११-१२ का उसमें हम लोग अपना मत प्रकट करने के लिये तैयारी करें या न करें। सरकार की तरफ से तो कोई सूचना नहीं है। आप सूचना दे दें कि १०, ११ और १२ को क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--माननीय उप नेता सदन मौजूद हैं। वह बता सकेंगे कि तारीख ९, १०, ११ को क्या होगा, क्योंकि १२ तो असरकारी दिन है। लेकिन ९, १० और ११ के लिये जो परिषद् से पारित होकर विधेयक आ रहे हैं वह कब तक आ जायेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--दूसरे वक्त बता देंगे।

श्री अध्यक्ष--तो आज आप इसको पूछकर बता दें क्योंकि उनको उपस्थित करना होगा और अगर ९ तारीख को ही उपस्थित होंगे तो उस पर आक्षेप हो सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो क्या हम यह समझें कि आज यह सूचना सरकार की तरफ से हमको मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष--हां, आज वह सूचना दे देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं एक यह जानना चाहता था कि परिषद् से अगर यह बिल पास हो चुके हैं तो क्या सदन में वह आ रहे हैं इसकी सूचना हमको मिलेगी या....

श्री अध्यक्ष--यह तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं। पहले तो सूचना वह कोई दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, एजेंडे में यह चीज नहीं है मध्य-दिवस में अगर यह बताया गया तो हम लोग तत्काल कैसे कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो आप कल्ल-अज-वक्त बहस कर रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, ९ तारीख को तो गैरसरकारी दिवस है क्योंकि २ तारीख का बिजनेस उस दिन ट्रांसफर हो गया है।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, वह १२ को है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मैंने कल यह सवाल किया था निश्चित सदन के माननीय नेता से कि १२ के बाद भी विधान सभा की बैठक होगी या नहीं लेकिन उन्होंने इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया, यह कहा कि अभी तो विचार नहीं है लेकिन अगर भविष्य में विचार हुआ तो देखा जायगा। मेरा निवेदन यह है कि आज ५ तारीख है और १२ तारीख को बिना और किसी सूचना के विधान सभा की बैठक समाप्त होने को है। अगर बढ़ने को हो तो एक हफ्ता पहले तो हमें अवश्य बता देना चाहिये कि कार्यक्रम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमें अपने जाने की व्यवस्था करनी होती है अपना कार्यक्रम बनाना होता है रिजर्वेशन वगैरह कराना होता है तो क्या एक हफ्ता पहले वह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यक्रम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन--मैं तो वही जवाब दे सकता हूं कि जरूरत होगी तो बढ़ेगा नहीं तो १२ तक बैठने का है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह कब मालूम होगा कि जरूरत है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—९ तारीख को मालूम हो जायगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैंने कुछ अल्पसूचित प्रश्न दिये थे। आपने उन पर आदेश भी दे दिये थे लेकिन वह अभी तक नहीं आये। एक को तो तीन हफ्ते हो गए हैं और एक को डेढ़ हफ्ते हो चुके हैं। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हैं। तो अब वह कब तक आवेंगे ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, वह मेरे कमरे में आप पूछ लीजिएगा।

विनियोग लेखे १९५८-५९ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९६० पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन*

श्री अध्यक्ष—अब सभापति लोक लेखा समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग लेखे १९५८-५९ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९६० पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, इस रिपोर्ट में जो आपके पास प्रस्तुत है इस वर्ष की आडिट रिपोर्ट तथा १९५८-५९ के विनियोग लेखे की सभी टिप्पणियों पर कमेटी की रिपोर्ट विद्यमान है। केवल स्टेट मैकेनाइज्ड फार्म्स, स्टेट ट्यूबवेल्स, सेंट्रल डेयरी फार्म्स अलीगढ़ और इर्रीगेशन वर्कशाप इन प्रश्नों पर जो आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित थे इन पर वर्क आडिट करने का कमेटी ने निश्चय किया था उसमें से माताटीला डैम की वर्क आडिट रिपोर्ट तो पेश हो चुकी है और बाकी जो रिपोर्ट है वह कुछ तो ड्राफ्ट स्टेज में है और कुछ पर अभी स्पष्टीकरण विभागों से आना है। तो वह दूसरी समिति अब उसे पेश करेगी। इस समिति ने रिएप्रोप्रियेशन पर भी विचार किया था उस पर भी जो उसकी सिफारिशें हैं उनका उल्लेख इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है। साथ ही साथ नई सेवाओं की परिभाषा कमेटी ने सरकार से जाननी चाही है। उसका अभिप्राय कमेटी ने दिया है जो सदन की स्वीकृति के लिये पेश है। साथ ही साथ कुछ संवैधानिक मामले, जो अकाउंटिंग से संबंध रखते हैं, समिति के सम्मुख आये हैं उनका उल्लेख भी इस रिपोर्ट में किया गया है।

इस रिपोर्ट के तैयार करने में श्री सी० कोनार, महालेखापाल, श्री एस० बी० राय, सहायक लेखा अधिकारी, श्री वी० एम० भिडे, सचिव, वित्त विभाग, श्री एम० एल० दवे, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस०, सचिव, विधान मंडल, श्री डी० एन० मित्थल, सचिव, विधान सभा ने सहायता की है। समिति ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा और सराहना की है। समिति ने विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों तथा महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों ने जो इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने में सहायता की है उसकी भी सराहना की है तथा यह भी सिफारिश की है कि उन कर्मचारियों को इस कार्य के लिये उचित मानदेय इस कार्य के हिसाब से दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मेरा निवेदन यह है कि माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ने बहुत अच्छा काम किया है जिसमें शक नहीं है, लेकिन वह किताब अभी हमको मुहैया नहीं है। उसकी प्रति पोजियन होल में भी प्राप्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह अभी छपी नहीं है। वह छपने पर यहां उपस्थित कर दी जाती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उन्होंने आज ही उसको उपस्थित कर दिया है।

---

*छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—एक प्रति लिखी हुई आ गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पिछली समितियों की रिपोर्ट भी इस प्रकार से प्रस्तुत होती रही है ।

श्री अध्यक्ष—पहले यह उपस्थित कर दी जाती है । नहीं तो लोगों को दिक्कत होती है कि पता नहीं कितने महीने इस रिपोर्ट के आने में लग जायं । इसलिये वह इस तरह से उसको उपस्थित कर देते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—चैयरमैन साहब ने कोशिश की लेकिन राजकीय प्रेस ने कहा कि हम छाप नहीं सकते हैं । इस प्रकार से उसमें देर हो जायगी । यदि गवर्नमेंट प्रेस की एफीशियेन्सी को बढ़ाया जाय तो इस तरह के काम जल्दी हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—कुछ समय तो लगता ही है ।

सीतापुर सिविल लाइन्स से नजूल के प्लाट राजा महमूदाबाद द्वारा बिक्री किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ विषय उपस्थित किये गये हैं उसमें मैंने एक श्री देवनारायण भारतीय का स्वीकार किया है । जो इस प्रकार है :—

"राजा साहब महमूदाबाद को कुछ समय पूर्व सीतापुर सिविल लाइन्स से नजूल के बहुत से प्लाट रियायतन सालाना लगान पर दिये गये थे । इन प्लाट पर सरकार बतौर मालिक और राजा साहब बतौर शिकमी दर्ज हैं । राजा साहब ने कुछ प्लाट्स से इश्तमरारी पट्टे कुछ लोगों के हक में लिख दिये थे मगर सरकार ने शरणार्थियों को बसाने के लिये उन्हें ले लिया । राजा साहब के हक मालिकाना घोषित किये जाने का दावा सिविल जज सीतापुर के यहां से सन् १९५० में खारिज हो गया । इसमें राजा साहब को हक शिकमियाना व कोई हक मुन्तकिल न करने का करार दिया गया । राजा साहब ने हाईकोर्ट में अपील की और आदरणीय हाईकोर्ट ने ७ अप्रैल, १९६१ को राजा साहब की अपील खारिज कर दिया । राजा साहब ने सन् ६० में हाइडिल विभाग के कार्यालय, जो आंख के अस्पताल के सामने है, उससे मिली हुई नजूल की जमीन और दिसम्बर सन् ६० में उससे मिला हुआ एक बंगला मय नजूल प्लाट के कई आदमियों के नाम बिना सूचना सरकार को दिये बयनामा कर दिया और उन लोगों को बिना इजाजत सरकार व बिना इन्द्राज कराये तामीर भी कुछ शुरू कर दिया है । हायडिल विभाग से मिली हुई जमीन हायडिल विभाग अपने अधिकारियों के रहने तथा कार्यालय के लिये लेना चाहते थे ।

इन जमीनों पर सिविल सर्जन, जिलाधीश, कप्तान तथा न्यायाधीश के बंगले बने हुये हैं जिनको राजा साहब धीरे-धीरे बेचना चाहते हैं । सीतापुर की जनता को जमीन की काफी जरूरत है । राजा साहब के इस अनियमित कारनामों को देखकर जनता में बहुत क्षोभ व असन्तोष है ।"

माननीय न्याय मंत्री, आप कब वक्तव्य देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय लोकल सेल्फ मिनिस्टर इसके लिये मंगल को वक्तव्य दे देंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—एक निवेदन मैं करना चाहता था । आपने इसे ले लिया यह तो ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और आप एक दिन में एक ही ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक प्रदेश व्यापी जाल फैला हुआ है । ६,००० पाउन्ड बारूद कई शहरों में पकड़ी गयी है और बहुत से पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार हुए हैं । सारे प्रदेश की सुरक्षा खतरे में है इसलिये आप मेरे प्रश्न पर भी विचार करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—उसको अगले दिन ले लूंगा । यह भी दो, तीन दिन से चल रहा था इसलिये मैंने इसको ले लिया ।

जलालपुर (थाना टंडियावां) की डकैती में पुलिस द्वारा डाकुओं को सहायता पहुंचाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब जलालपुर, जिला हरदोई के प्रधान, श्री दुर्गाप्रसाद के घर पर डकैती पड़ने के संबंध में सर्वश्री गोविन्दसिंह बिष्ट, टम्बरेश्वरप्रसाद, हिम्मतसिंह तथा शिवराम द्वारा दिनांक १ मई, १९६१ को नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य होगा ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि २०,२१ अप्रैल, १९६१ की रात में हरदोई के टडियावां पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जलालपुर के निवासी श्री दुर्गाप्रसाद प्रधान के घर एक डकैती पड़ी । उसी रात एक आर्म्ड पुलिस गार्ड जिसमें एक हेड कांस्टेबिल व तीन कांस्टेबिल थे लगभग आधी रात उस गांव में अपनी गश्त के प्रोग्राम के अनुसार पहुंची । यह गश्त का प्रोग्राम थाना अध्यक्ष टडियावां १४ अप्रैल, १९६१ को बनाये थे और उसके अनुसार इस गांव की गश्त २०,२१ अप्रैल, १९६१ की रात में एक बजे से दो बजे तक होनी थी । लगभग १२, सवा १२ बजे रात गार्ड श्री दुर्गाप्रसाद प्रधान के घर पहुंचे और गार्ड वालों ने प्रधान को जगवा कर मकान के बाहर बुलवाया । गार्डवालों ने प्रधान को बतलाया कि वह गांव की गश्त एक बजे से दो बजे तक करेंगे और तब तक विश्राम करेंगे । प्रधान ने उन्हें कई चारपाइयां दीं । एक बजे डकैत प्रधान के पीछे से आये । श्री दुर्गाप्रसाद जो अभी तक जग रहे थे अपने बाल-बच्चों को लेकर घर से बाहर चले गये और शोर मचाया । इस पर गांव वाले जग पड़े । गार्ड के हेड कांस्टेबिल और एक कांस्टेबिल ने डकैतों का मुकाबला किया । शेष दो सिपाही उनसे अलग हो कर दूसरी जगह चले गये जिनको गांव वाले न देख सके । डाकुओं का पीछा भी किया गया किन्तु कोई डाकू न पकड़ा जा सका । खबर लगते ही एस० पी० और डिप्टी एस० पी० घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी । किसी भी गांव वाले ने यह नहीं कहा कि गार्डवालों ने डाकुओं का मुकाबला नहीं किया और गांव वालों को डाकुओं का मुकाबला करने से रोका । किसी ने भी यह नहीं कहा कि पुलिस गार्ड ने किसी गार्ड वाले से यह कहा था कि २०,२१ अप्रैल, सन् १९६१ की रात को जलालपुर व दौलतपुर गांवों में डकैती पड़ेगी और न गांवों में सबसे मालदार व्यक्ति कौन है यह कहा । यह भी किसी ने नहीं कहा कि दो सिपाही छिपकर डाकुओं का मुकाबला कर रहे थे । इस परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि गार्ड ने डकैती पड़ते समय आवश्यक सूझ-बूझ से काम नहीं लिया और उन्हें उस समय जितनी कार्यकुशलता दिखानी चाहिये थी, नहीं दिखलायी । इसके लिये उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायगी । मामले की जांच हो रही है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वहां के एम० एल० ए० जो कांग्रेस के सदस्य, हैं श्री बुलाकी राम ने उन लोगों की शहादत ली है और शहादत लेकर वह लिखित बयान और अपनी रिपोर्ट अपनी जांच के बाद उनके पेशेनजर की है जिसमें यह स्पष्ट है कि दो सिपाही चले गये और डाकुओं को बुला लाये और जब डाकू आ गये तो सब ने अटैक किया और पुलिस वाले गांव वालों पर गोली चलाते रहे ? उनको नजदीक नहीं आने दिया और डाके में मदद की, ऐसी रिपोर्ट उनके पास आयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसकी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है कि श्री बुलाकीराम ने इसकी कोई जांच की और उन्होंने कोई जांच की रिपोर्ट दी । वैसा जैसे मैंने

[श्री रामस्वरूप यादव]
निवेदन किया मौके पर एस०पी० वगैरह गये और उनके सामने किसी ने शिकायत नहीं की। यह तो ठीक ही है कि जो दो हेड कांस्टेबिल वहां पर मकान के बाहर थे उन्होंने अपने कारतूस तो जरूर चलाये, मगर ऐसा भी मालूम पड़ता है कि वे डर गये, या सफलतापूर्वक डाकुओं का मुकाबला करने का साहस नहीं कर पाये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—उस मामले की जांच कौन अधिकारी कर रहा है और क्या सरकार उस जांच में इस बात को भी शामिल करेगी कि जो पुलिस कर्मचारी डर गये थे उनका डर जाना भी डाकुओं में मिल जाने से कम नैतिक अपराध नहीं है ? और अगर यह सही पाया जाय तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो ठीक ही है कि एक सिपाही को इतनी कायरता नहीं दिखानी चाहिये लेकिन उनको तो मुअत्तल कर दिया गया है और दफा ७ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जांच कौन कर रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मौके पर तो एस० पी० या डी० वाई० एस० पी० जिनको एस० पी० की पावर्स होती हैं, वे गये थे और दफा ७ के अनुसार वे ही जांच करेंगे।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या यह सही है कि छप्पर में डकैतों के कुछ ब्लैंक कारतूस, बेल्ट, एक झोला तथा उनका तहमद वगैरह भी मिला ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो मैंने निवेदन किया कि जो बाहर कांस्टेबिल थे उन्होंने हवाई फायर किये डाकुओं से मुकाबला करने के लिये और डाकू लोग कुछ अपना सामान छोड़ गये थे, उसको पुलिस के कब्जे में कर दिया गया है। जो कारतूस थे उनको पुलिस वालों ने दाखिल कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में जो सूचना दी गयी थी उसमें यह लिखा था कि डाके के बाद छत पर सिपाही की राइफल की मेगजीन, दो वगैर दगे और ७–८ दगे राइफिल के कारतूस मिले हैं। इस विषय में आपने अपने वक्तव्य में इनकार भी नहीं किया है और इकरार भी नहीं किया है। (हंसी) तो इस संबंध में आप स्पष्ट उत्तर दें।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह ठीक है कि मैंने न इकरार किया है और न इनकार ही किया है क्योंकि इस विषय में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिपाहियों ने हवाई फायर किये। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि जब डाकुओं से मुकाबला था तो हवाई फायर क्यों किये ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह तो हर एक की अक्ल पर निर्भर करता है। उनकी कायरता तो जरूर मालूम पड़ती है। अब उसकी जांच हो रही है, जब तक वह पूरी न हो जाय, कुछ कैसे कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रस्ताव में बालकराम लिखा है ....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—वह गलत लिख गया है, बुलाकीराम होना चाहिये।

श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—श्रीमन्, मैंने इस मामले की स्वयं जांच की। मैं घटना-स्थल पर पहुंचा, और गांव वालों को इकट्ठा करके हर व्यक्ति से अलग-अलग और सामूहिक रूप से पूछताछ की। मैंने उस प्रधान के भी बयान लिये जिसके यहां डकैती पड़ी थी।

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछें ।

श्री बुलाकीराम---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जो मंत्री महोदय ने पढ़ कर सुनाई है यह शायद एस० पी० की रिपोर्ट पर आधारित है या जो फैक्ट. . . . .

श्री अध्यक्ष---आपको क्या पूछना है ? आपने अपनी रिपोर्ट मंत्री जी के पास कब भेजी ?

श्री बुलाकीराम---मैंने २९ तारीख को अपनी रिपोर्ट मंत्री जी के पास भेजी थी, साथ ही और मसाला भी जो मुझे मिला था वह भी मैंने भेजा है । दो कारतूस खाली मेरे पास अब भी रखे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि गांव दौलतपुर जो जलालपुर के पास है वहां के प्रधान और चन्द भले आदमियों के सामने उस गश्त के सिपाहियों ने यह पूछा कि क्या जलालपुर गांव का प्रधान मालदार है या नहीं और उस गांव में कितने लाइसेंस हैं ?

श्री अध्यक्ष---उसका तो उन्होंने इन्कार कर दिया है, जो रिपोर्ट पुलिस की आयी है । मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । इसकी वजह यह है कि गृहमंत्री जी ने यह कहा कि उनके पास बुलाकीराम जी की रिपोर्ट नहीं आयी, मौजूद नहीं है, और इसलिये यह तो स्पष्ट ही है कि उस रिपोर्ट को पढ़ कर वह तैयार होकर नहीं आये । इसलिये अगले बुधवार को उस रिपोर्ट को देखकर तैयार होकर आयें । बुलाकीराम जी स्वयं गये थे, उनकी रिपोर्ट देख लें और गृह मंत्री जी अपना विचार कर लें और इस विषय में भी विचार कर लें कि आगे जांच करने का तरीका जो उन्होंने निश्चित किया है इससे अलग और कोई प्रयोग करने की आवश्यकता है या नहीं ।

श्री रामस्वरूप यादव---बुधवार को भी मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तैयार हूं कि इसकी दूसरे तरीके से जांच करा ली जाय । अभी हाल ही में . . . . . .

श्री अध्यक्ष---वह तो आप सूचना दे देंगे, लेकिन उस रिपोर्ट को पहले आप देख लें, क्योंकि रिपोर्ट देखी नहीं है ।

विधान भवन में सदस्यों तथा विधान सभा के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के बैठने पर आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया था और अधिष्ठाता महोदय ने कहा था कि इस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय देंगे । तो मैं आपकी आज्ञा से व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करके आपका निर्णय चाहता हूं ।

प्रश्न यह था कि कल, जहां मार्शल बैठते हैं, इस जगह पर रेवेन्यू सेक्रेटरी और शायद उनके एक अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी कोई बैठे हुए थे । मैंने उस वक्त यह कहा था कि जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वे यहां नहीं आने चाहिये, क्योंकि इस सदन के लिए वह स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं । जो विधान सभा सचिवालय के काम करने वाले कर्मचारी हैं या जो माननीय सदस्य हैं उनके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति हैं वह यहां के लिए अजनबी हैं और आपने उनके लिए अलग व्यवस्था भी कर रखी है । तो आप देखें कि प्रक्रिया नियमावली के नियम ३०५ के अन्तर्गत लिखा हुआ है कि---

"सदन के उपवेशनों के समय सदन के उन भागों में, जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों के प्रवेश का प्रबन्ध अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार विनियमित किया जायगा ।"

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तो आपने जो विनियमन किया है उसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, सेक्रेटरी वगैरह, उनके लिए गवर्नर दीर्घा या दूसरी जगह प्रबन्ध है । यह सदन निश्चित रूप से सदन के सदस्यों के लिए सुरक्षित है, इसलिये यहां ऐसे किसी अजनबी का आना अनुचित था ।

मैं आपके विचार के लिए मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के सोलहवें एडीशन के १०७६ पृष्ठ पर नियम १०३ और १०४ पढ़ देना चाहता हूं । नियम १०३ इस प्रकार है—

"The Sergeant at Arms attending this House shall take into his custody any stranger whom he may see, or who may be reported to him to be, in any part of the House or Gallery appropriated to the members of this House....."

श्रीमन्, यह सदन निश्चित रूप से सदस्यों के लिये है, इसमें किसी अजनबी का आना, जो सदन का सदस्य न हो या विधान सभा सचिवालय का सदस्य न हो, अनुचित है । आप १०४ भी देखें :—

"No member of this House shall presume to bring any stranger into any part of the House or gallery appropriated to the members of this House while the House, or a committee of the whole House is sitting."

न्याय मंत्री जी ने कल यहां कहा कि चूंकि ऐसा यहां पर कन्वेन्शन रहा है और लोग बैठते रहे हैं । जहां तक उनके कहने के अनुसार मालूम हुआ, वह उनकी आज्ञा से ही यहां बैठे हुये थे । तो श्रीमन्, वह वैसे भी मेरी समझ से सदन का अपमान है क्योंकि बिना अध्यक्ष की आज्ञा के इस सदन में निश्चित लोगों—यानी विधान सभा सचिवालय के सदस्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता । इससे नियम का उल्लंघन हुआ और वह अध्यक्ष के सम्मान के लिये भी उचित नहीं था ।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, इसमें कुछ व्यावहारिक गड़बड़ियां भी हैं । उदाहरण के लिये अगर इस तरह से स्ट्रेंजर लोग आने लगेंगे तो उनको मार्शल पहचान भी नहीं पायेंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं होगा कि किसको आज्ञा मिली और किसको आज्ञा नहीं मिली । इस प्रकार से किसी वेश में लोग आ सकते हैं और कोई अघटित घटना घटित होने की भी आशंका हो सकती है । तो श्रीमन्, इस प्रकार से किसी अजनबी को, चाहे वह सेक्रेटरी ही क्यों न हो, सदन में नहीं आना चाहिये । इसमें कोई डिकोरम भी नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—अब ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, यह वास्तव में प्रिविलेज का सवाल था लेकिन चूंकि आप उपस्थित नहीं थे इसलिये मैंने उसको नहीं उठाया था । मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित कर दूं कि यादव जी के पास भी आज कोई सेक्रेटरी आये, लेकिन मैंने उस समय कोई प्रश्न इसलिये नहीं उठाया क्योंकि आप आज इस विषय पर व्यवस्था देने वाले थे । तो आप यह व्यवस्था दें कि कोई भी अजनबी, चाहे वह सेक्रेटरी या कोई भी हो, मंत्रियों के पास यहां न आवें और मंत्री अपने विवेक से काम किया करें या सचिवालय से तैयार होकर आया करें, उनको सेक्रेटरीज का माउथपीस नहीं बनना चाहिये । यही मुझे निवेदन करना था ।

श्री अध्यक्ष—जहां तक किसी सचिव या उप-सचिव के यहां बैठने का सवाल था उसके लिये कल अधिष्ठाताजी ने यह कहा था कि मैं उसका फैसला करूंगा । दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह कहा गया कि इस प्रकार की प्रथा रही है । मैं समझता हूं कि इस विषय पर पहले विचार हो चुका है और उसके आधार पर सचिवों, उप-सचिवों या अन्य सरकारी अधिकारियों, जो कि कभी-कभी मंत्रियों को सहायता देते हैं, के बैठने के लिये स्थान गैलरीज

में रख दिया गया था। इसलिये सदन के अन्दर बिना खास इजाजत हासिल किये हुये उनको नहीं बैठना चाहिये था। खास तौर पर अगर कोई जरूरत पड़े तो वह अध्यक्ष से इजाजत हासिल कर सकते थे। उनको यहां बैठना नहीं चाहिये बल्कि खड़े भी नहीं रहना चाहिये। यहां पर विधान सभा सचिवालय के जो लोग सामने बैठते हैं वह सदन की सहायता के लिये बैठते हैं।

अब आपने जो मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के स्टैंडिंग आर्डर्स १०३ और १०४ पढ़े उनका यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उसमें सदस्यों के लिये सुरक्षित स्थानों का जिक्र है न कि और स्थानों का। और स्थानों के लिये हमारा नियम ३०५ ही लागू होता है। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि सदस्यों के स्थान के अतिरिक्त जो और स्थान हैं वहां पर भी बिना अध्यक्ष की आज्ञा लिये किसी को नहीं आना चाहिये और न बैठना चाहिये। उनके लिये नियम के अनुसार यदि मैं कोई स्थान मुकर्रर कर दूं तो वह आकर बैठें। गैलरीज में उनके लिये स्थान मुकर्रर है।

अब जहां तक यह प्रश्न है कि अधिकारी मंत्रियों के पास आते हैं उसके बारे में भी मुझे याद पड़ता है मैंने या मेरे से पहले के अध्यक्ष ने फैसला दिया कि अगर आवश्यकता पड़े तो वह सदन के कार्य के सम्बन्ध में आ सकते हैं। बाद में यह बात हुई कि किसी काम के लिये सचिवों की आवश्यकता पड़ी और सूचना के लिये मंत्रियों को उठकर दफ्तर तक जाना पड़ा, इसके लिये यह ढील द दी गई और यह इजाजत दे दी गई कि वे मंत्रियों के पास आकर जरूरी काम के लिये उनसे बातचीत कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी विषय के बारे में अगर मंत्री जी, सदन को कोई जानकारी देना चाहते हैं और उनको जानकारी न हो, ऐसी दशा में वे आ सकते हैं। लेकिन मंत्रियों को भी इतना निर्भर नहीं रहना है सचिवों के ऊपर कि खुद कुछ तैयारी करके न आयें और सचिव ही उनको प्राम्प्ट करते रहें। इस प्रकार का नाटक एक बैड ऐक्टिंग होता है। अच्छा ऐक्टिंग होना चाहिये और इसके लिये उनको कुछ तैयार होकर आना चाहिये, यानी उन अधिकारियों को अधिक न आना चाहिये। मैंने उनको सिद्धान्त बता दिया कि अगर वे यहां आते हैं तो बहुत कम आयें, बहुत कम मंत्रियों को सुझाव देने के लिये आयें।

इसके लिये ऐसा भी हो सकता है कि मंत्री जी जो जानकारी चाहते हैं उसको सचिव एक स्लिप भेजकर बता दिया करें। हमारे चपरासी यहां रहते हैं, उनको वे एक पर्ची लिखकर सूचना दे दिया करें। बहुत दफा ऐसा हो जाना अच्छा है, हर दम उनको यहां न आना चाहिये। पार्लियामेंट की भी प्रथा यही रही है कि अधिक संख्या में लोग वहां नहीं आते हैं। लोक सभा में तो इतनी भी सहूलियत नहीं है लेकिन चूंकि यहां ऐसी प्रथा रही है इसलिये वह जारी रहे, लेकिन उसका उपयोग बहुत कम होना चाहिये, अधिक नहीं होना चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कल जो अधिकारी यहां आकर डट गये थे क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—यह जो कार्यवाही हो गई है, यही काफी है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में श्री गौरीशंकर राय द्वारा जानकारी की मांग

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, क्या मेरे प्रिविलेज के प्रश्न के संबंध में आपने कोई व्यवस्था दी ?

श्री अध्यक्ष—मैंने तो आपसे कहा था कि चूंकि गृह मंत्री जी बीमार हैं इसलिये गोविन्द नारायण जी ने भी उनको लिख कर ही पूछा था कि उन्होंने क्या कहा था और मैंने भी स्पष्टीकरण उनसे लिख कर मांगा है।

श्री गौरीशंकर राय—यह भी हो सकता है कि उनका उत्तर १२ तारीख तक भी न आये और सदन उठ जाये ।

श्री अध्यक्ष—अगर मंगलवार तक उनका कोई उत्तर नहीं आया तो मैं आपको यह इजाजत दे दूंगा कि आप यह बतायें कि किस प्रकार से प्रिविलेज का सवाल उठता है। मंगलवार तक का समय उनको दिया है।

तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से लगान वसूल न करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—कल जो प्रस्ताव उपस्थित था उस पर माननीय झारखंडे राय जी भाषण रहे थे । वे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, कल मैं अपने पड़ोसी चीन, देश के भूमि सुधारों की चर्चा कर रहा था । मैं उस सिलसिले में यह अर्ज किया था कि चीन में वास्तविक आजादी हमारे देश की आजादी के २ वर्ष बाद आई और जापान युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ, तथा अनेक क्षेत्रीय युद्ध हुये जिनके कारण उसकी अर्थ व्यवस्था बिलकुल नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी, फिर उन्होंने जैसी प्रगति की, हर क्षेत्र में विकास किया, कृषि क्षेत्र में भी, वह हमारे लिये अनुकरणीय है । उसका कारण यह है कि उन लोगों ने भूमि सुधारों को बहुत तेजी से समाप्त किया और उन्हीं पर आधारित उद्योगधंधों का विकास वह कर रहे हैं लेकिन हमारे देश या प्रदेश में बुनियाद ही दृढ़ नहीं की गई है इसलिये अन्य विकास के कार्य भी लुंजपुंज से दिखाई पड़ते हैं।

मान्यवर, आपको याद होगा कि फैजपुर कांग्रेस में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इस बात की स्पष्ट घोषणा की गई थी कि अलाभकर जोतों पर कोई भी लगान नहीं लिया जायगा । मैं समझता हूं कि किसी भी दल या किसी भी संस्था के एलानात का काफी महत्व होता है और उसकी कुछ पवित्रता है । कांग्रेस हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था रही है और उसके झंडे के नीचे ही देश ने आजादी हासिल की । उसकी घोषणाओं का बहुत बड़ा महत्व है और रहना चाहिये। लेकिन दुख इस बात का है कि मौजूदा सरकार अपनी ही घोषणाओं को एक के बाद एक छोड़ती और उनको समाप्त करती जा रही है । जैसे शराब के मसले पर यहां बातें कही जा चुकी हैं, फैजपुर के एलान को भी समाप्त कर दिया गया, करांची कांग्रेस में १९३१ में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि लगान आधा किया जायगा ।

सदन को याद होगा और श्रीमन्, आपको भी इस बात का स्मरण होगा कि महात्मा जी ने सन् १९३१ में उस समय के वायसराय लार्ड इर्विन के पास सत्याग्रह आन्दोलन न चलाने के लिये जो ११ शर्तें लिख कर भेजी थीं, उनमें एक मांग यह भी थी कि लगान को आधा किया जाय । तो जब हमारे देश के महान नेता ने, जिनकी रहनुमाई में हमने आजादी हासिल की, अपनी ११ शर्तों में एक शर्त यह रखी थी कि लगान आधा किया जाय, तो आज हम वह मांग भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीन एकड़ से कम जमीन जोतने वालों के लगान में छूट की बात की जाती है और उसको भी सरकार सिद्धान्त रूप से स्वीकार न करे तो मैं समझता हूं कि इसको दुर्भाग्य ही कहा जाय, और क्या कहा जाय ?

मान्यवर, मैंने अपने बजट भाषण में भी इस बात की चर्चा की, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा खयाल है कि हमारे देश के अन्य प्रदेशों से भी यह सरकार बिल्कुल ढीलमढाल है और भूमि सुधार के क्षेत्र में इसकी रफ्तार धीमी है । मध्य प्रदेश और विदर्भ में हुये भूमि सुधार की चर्चा भी मैंने उस समय की थी और उसके आंकड़े भी दिये थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा

---

†४ मई, १९६१ की कार्यवाही से ।

लेकिन एक और प्रदेश आन्ध्र है । हैदराबाद के आठ जिलों में जो अब आन्ध्र के भाग हैं वहां की राज्य सरकार ने देहातों में बसने वाले प्रत्येक हरिजन परिवार को ढाई एकड़ तरी या ५ एकड़ सूखी कृषि भूमि देने का निश्चय किया है और इस बात का विश्वास है कि इसी मई महीने के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जायगा । नये भूमि सुधार के अनुसार शासन ने समूचे राज्य की ऐसी भूमि पर अधिकार कर लिया है जिस पर पहले बड़े-बड़े भूमिधरों के अधिकार थे । इस भूमि में से ही कुछ भूमि हरिजनों को जोतने बोने के लिये दी जायगी और इस बात का पूरा ध्यान रखा जायगा कि भूमि का वितरण इस तरह से किया जाय कि उसका गोचर भूमि पर किसी अंश में भी प्रभाव न पड़े ।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश का एक हिस्सा नेफा जो विवाद का विषय बना हुआ है, पड़ोसी चीन और हमारे बीच में--हम उस पर अपना प्रभुत्व बताते हैं जब कि पड़ोसी चीन उसको सिद्धान्ततः नहीं मानता, हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पार्लियामेंट में स्वीकार किया कि नेफा में आज भी दास प्रथा है । हमारे ही देश के एक हिस्से राजस्थान में अर्द्धदास प्रथा चालू है और कहा गया है कि उसकी एक सिम्बोलिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है । हमारे देश के ही एक हिस्से निजाम हैदराबाद के महलों में आज भी अर्द्धदास और गुलाम हैं । श्रीमन्, आज भी उनके महलों में ३०० बालिग औरत और मर्द १८० छोटी उम्र के किशोर और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और बच्चियां गुलामी की हालत में वहां पर पाली पोसी जाती हैं । तो ऐसी हालत में जब कि विषम भूमि सुधार की नीति पूरे देश में लागू है, उसकी रफ्तार भी बहुत धीमी है । उस दशा में मैं समझता हूं कि हमारे देश में विकास की जो और शाखायें हैं, उद्योग-धंधे हैं, या अन्य चीजें हैं, उनकी गति बहुत धीमी हो जायगी । यह बात जरूर है कि सरकार का . . . . .

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, अभी एक नहीं बजा है, कोरम सदन में नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष--अब श्री झारखंडेराय जी, आप के २-३ मिनट ही बाकी हैं ।

श्री झारखंडेराय--मैं उस में ही समाप्त कर दूंगा । मैं यह कह रहा था कि भूमि सुधार की दिशा में वर्तमान सरकार के पग बहुत तेजी से और उग्र रूप से उठने चाहिये और जो कमी रह गई है उस का खमियाजा आप इस प्रस्ताव के द्वारा पूरा कर सकते हैं कि आज से आप की गति और तेज हो । जो प्रस्ताव माननीय दीपंकर जी ने पेश किया है उसको मानने में सिद्धान्त रूप से मुझे कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ती । यदि मंत्री जी ३ एकड़ से कम भूमि पर लगान बिलकुल माफ न कर सकते हों तो उसको आधा तो वह कर ही सकते हैं, यह करें या वह उस में कोई सब्सटैंटिव छूट तो अवश्य दें, इसमें उनको कोई दिक्कत न होगी । उनकी पार्टी और उनकी संस्था का एलान है और कितने ही वादे हैं जो कि आज भी उतने ही पवित्र हैं जितने उस समय थे जब वह किये गये थे इसलिये सरकार प्रस्ताव के पहले मांग को स्वीकार करे । यदि वह उसको स्वीकार भी न कर सके तो इस का जो दूसरा भाग है भूमिहीनों की आबादी के लिये जमीन देने के विषय में उसके बारे में तो सरकार को आज कोई घोषणा अवश्य ही करनी होगी । आज जो हरिजन हैं या भूमिहीन हैं जो गांवों में मुश्किल से छप्पर के लिये भी जमीन नहीं पाते, और अगर वह बसे भी हैं तो वह जमीन दूसरे की है जिससे वह कभी भी निकाले जा सकते हैं । ऐसे लोगों को आबाद करने की कोई विधि सरकार करे और कोई घोषणा मंत्री जी करें जिस से वह निश्चिन्त हो सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस को स्वीकार करेगा ।

श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--मैं भी चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--आचार्य दीपंकर तथा संशोधनकर्त्ताओं में से कोई नहीं है इसलिये अब मंत्री जी दस मिनट में अपना उत्तर ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि न तो यहां प्रस्ताव के मूवर हैं और न संशोधनों के मूवर ही हैं । जहां तक संशोधनों का संबंध है इसकी अहमियत सिर्फ एक है, वह है १९६२ और उसका कोई तात्पर्य नहीं है और उसकी शब्दावली क्या है उसमें मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन जहां तक ख्याल है, जो हमारी एसेम्बली की नियमावली का नियम ९३ है उसके सब-क्लाज (२) की रूह से प्रस्ताव इस किस्म का होना चाहिये कि एक ही इश्यू उसमें हो लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है, इसमें मालगुजारी की छूट और आबादी का प्रश्न---ये दो प्रश्न इसमें सन्निहित मालूम होते हैं । परन्तु चूंकि प्रस्ताव एडमिट हो गया था इसलिये मूव करते वक्त मैंने यह एतराज उठाना मुनासिब नहीं समझा । अध्यक्ष महोदय की आज्ञा शिरोधार्य है ।

जहां तक यह बात कही गई की लैंड रिफार्म का जो कार्य है वह इस राज्य में ठीक तौर से सम्पन्न नहीं हुआ, मुझे अफसोस है कि किस आधार पर यह बात कही गई । मुझे दावा इस बात का है कि सारे देश में यू० पी० ने लैंड रिफार्म में लीड दिया है । हमने जमींदारी एबालीशन कानून भी पास किया और सीलिंग का कानून भी पास किया, जिसकी रूह से कम से कम छोटे बड़े काश्तकारों को सीक्योरिटी आफ टेन्योर मिला है । अब वह बेदखली से बिल्कुल बचे हुए हैं । जिस तरह से कि बेदखलियां पहले हुआ करती थीं अब वह नहीं हो सकतीं ।

हमारे लारी साहब ने कल मुझे सोशलिज्म का एक सबक दिया था । मैं इत्तफाक से ऐसा कूढ़मगज वाके हुआ हूं कि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी.....

एक सदस्य----हम समझा दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन----आप भी वैसे ही हैं, हमारी तरह .....।

श्री अध्यक्ष----आप कृपा करके जरा बैठें, फिर कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन----जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है इसका तात्पर्य यह है कि ३ एकड़ से कम की जो होल्डिंग्स हैं उनकी मालगुजारी माफ कर दी जाय । शब्द चाहे कुछ भी हों लेकिन उसका मतलब यही मालूम होता है । सन् ५२ में जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस वक्त ३ एकड़ से कम की होल्डिंग्स का परसेन्टेज २२.८ था । इस ९ वर्ष के जमाने में और भी बटवारे, इनहेरीटेंस के फलस्वरूप वह परसेन्टेज कम से कम २५ जरूर हो गया होगा । २५ परसेन्ट आफ दि एन्टायर होल्डिंग्ज ।

एक सदस्य---७० परसेन्ट से भी ज्यादा होगा

श्री हुकुमसिंह विसेन----तब तो हमारा केस और स्ट्रांग हो गया । तो इस प्रस्ताव को मंजूर करने के बाद कई करोड़ रुपया मालगुजारी का माफ कर देना पड़ेगा ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह विकास का जमाना है । हम चारों तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं और चारों तरफ से ऐसी मांगें हैं कि सड़क होनी चाहिये, अस्पताल होने चाहिये, स्कूल

होने चाहिये, लड़कियों के स्कूल होने चाहिये, हाई स्कूल्स होने चाहिये, मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी होनी चाहिये । लारी साहब ने भी कहा कि हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं, सड़कें बने, पुल बने, और अगर आज के ऐजेन्डे के १२ वें नम्बर के प्रस्ताव को देखा जाय तो उसमें आचार्य दीपंकर साहब कहते हैं कि पूर्वी जमन नहर की सिंचाई क्षमता में ड्योढ़ी वृद्धि की जाय तथा मेरठ कमिश्नरी में अगले पांच वर्षों में कम से कम एक हजार नये नलकूप लगाये जायं । तो इस तरह की तमाम मांगें हैं लेकिन जो सोर्स हैं रेवेन्यू के उन्हें कम कर देना चाहते हैं । तो ये दोनों बातें समझ में नहीं आतीं । इसके अलावा आये दिन हम देखते हैं कि कहीं आग लगी तो हमसे सवाल होता है कि फलां गांव में आग लगी क्या अहेतुक सहायता दी, डिस्ट्रेस तकावी क्या दी, मालगुजारी कितनी छोड़ी ? यह दुनिया भर के अखराजात कैसे चलेंगे । प्रस्ताव लाने के पहले विचार कर लेना चाहिये था कि इससे राज्य के कोष पर क्या असर पड़ेगा और जो योजनायें हैं उन पर क्या असर पड़ेगा ? लेकिन हमारे मित्रों ने जिन्होंने प्रस्ताव को रखा है इस पहलू पर कभी गौर नहीं किया कि क्या इसके असरात होंगे ?

जहां तक छोटे काश्तकारों से हमदर्दी का सम्बन्ध है मैं भी किसी से पीछे नहीं हूं । माननीय मलिखानसिंह जी, जनसंघ, ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुये कल कहा कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ हैं । एक प्रस्ताव को, जिसे सदन पहले अस्वीकार कर चुका उसके सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुका उससे साफ जाहिर होता है कि सदन कोआपरेटिव फार्मिंग के माफिक है । लेकिन मलिखानसिंहजी ने कल उसकी मुखालिफत की । इस बात से उनको कोई ताल्लुक नहीं था कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वह बात कही जा सकती थी कि नहीं ? आज मैंने जो अखबार पढ़ा तो उनके उप-सभापति जो हैं, अखिल भारतीय जनसंघ के, श्री पीताम्बर दास जी की राय में कोआपरेटिव फार्मिंग ठीक है, उन्होंने उसकी माफिकत की उरई में बशर्ते कि सीलिंग रख दी जाय । तो इस तरह के भी भाषण हुये हैं ।

जहां तक छोटे काश्तकारों की आबादी के लिये मकान का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि अगर जमींदारी अबालीशन और कंसालीडेशन ऐक्ट को माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया होता तो मालूम होता कि उसमें भी काफी इंतजाम किया गया है । जिनके पास मकान न हो उन्हें मकान बनाने की जमीनें दी जा सकती हैं, लैंडलैस को प्रीफरेंस दिया गया है । धारा १९८ जमींदारी अबालीशन की तरमीम करके उनको सेकेंड पोजीशन दी गई है, लैंडलैस को, और गांव समाज में भी अगर साइट के लिये जो जमीनें चकबन्दी के सिलसिले में मुकर्रर की जाती हैं, अगर ज्यादा तादाद लोगों की नहीं होती तो आवशन नहीं होता और जो इसका मुस्तहक होता है उसको मिलती है । जब जरूरत से ज्यादा लोग होते हैं तभी आवशन होता है । फिर भी उनको रियायती रेट पर दी जाती है औरों के मुकाबले । इस तरह से सारा प्रबन्ध है जो मौजूदा कानून जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में बनाया गया है । इसलिये इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

हम समझते हैं सभी माननीय सदस्य इत्तफाक करेंगे कि नान-आक्यूपेंसी टेनेंट और सब-टेनेन्ट को भी सेक्योरिटी आफ टेन्योर दिया जा चुका है । और जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें इस बात का विचार नहीं किया गया है । इस कयास पर प्रस्ताव निर्धारित किया गया है कि तीन एकड़ से कम की जमीन सब एक ही नवैयत की होगी । तीन एकड़ से कम की जमीन का कोई खाता कछियाना, कोई गोंयड़ और कोई पालो हो सकता है । अगर पालो की जमीन है तो बेकार है । लेकिन जो कछियाना है वह हर तरह से लाभप्रद है ।

बहुत से मित्रों ने कहा कि गांव में तीन एकड़ वाला किसान कभी बैल नहीं खरीद सकता है। जो ऐसे विचार रखते हैं मुझे माफ करें, मेरा ऐसा खयाल है कि उनका गांव से कोई सम्पर्क है ही नहीं । इस वजह से ऐसे विचार रखे जाते हैं ।

इन सब बातों को देखते हुये इस प्रस्ताव को इस वक्त स्वीकार करना जब कि हम विकास के युग में हैं, तमाम तरह तरह की स्कीमें चल रही हैं, पैसा ढूंढ ढूंढ कर योजनाओं को सफल बनाना

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

है, एसी हालत में ऐसा प्रस्ताव नामुनासिब है और मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और जो तरमीमें पेश की गई हैं उनकी वजह से प्रस्ताव की शक्ल और भी भद्दी हो गई है । लिहाजा उन तरमीमात की भी मैं मुखालिफत करता हूं । इन शब्दों के साथ मुझे आशा है सदन इस प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं प्रस्ताव को ही ले लेता हूं । अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो फिर संशोधनों को जो स्वीकृत हो जायेंगे उसमें जोड़ दिया जायगा और अगर यह अस्वीकृत हुआ तो यह समझा जायगा कि प्रस्ताव और संशोधन दोनों अस्वीकृत हो गये ।

प्रश्न यह है कि यह सदन यह निश्चित करता है कि तीन एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों से लगान न वसूल किया जाय और चकबन्दी योजना में ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक भूमिहीन को आबादी के लिये भूमि मिल सके ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२४,

विपक्ष में--४८ ।)

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री जवाहरलाल का नाम पुकारने पर ।) उन्होंने मुझ से कह दिया था कि मैं पेश कर दूं ।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये तो प्रस्तावक को स्वयं पेश करना चाहिये या आपके पास लिखित सूचना हो तो वह मुझे भेज दीजिये ।

श्री रघुवीरसिंह--माननीय रामचन्द्र विकल ने मुझसे कहा था कि उन्होंने कहा है कि मैं मूव कर दूं ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं ।

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट देने के संबंध में संकल्प

***श्री श्यामलाल यादव** (जिला वाराणसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

> "इस सदन का निश्चित मत है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस विभाग की भांति सरकारी एवं अर्धसरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट दी जाय ।"

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है वास्तव में आज जो राज्य है या जो अर्ध सरकारी संस्थायें हैं वे ही इस प्रदेश और देश में सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्थायें हैं । और उन्हीं के निदेशन में या संचालन में जो अन्य संस्थायें होती हैं यह भी नौकरी देती हैं । हमारे प्रदेश में पिछड़े वर्ग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है । इस समस्या को हल करने के लिये हमारी संविधान सभा में भी यह व्यवस्था की गई कि पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिये जब भी उचित अवसर आये माननीय राष्ट्रपति उसके लिये कोई कमीशन बनायें । इसी के आधार पर बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बना जिसके सभापति काका कालेलकर साहब थे । इस कमीशन ने दो वर्ष तक निरन्तर परिश्रम किया । सारे देश का भ्रमण किया । विभिन्न प्रदेशीय सरकारों से बात करके, हजारों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यक्तियों से बात करके, विभिन्न विशेषज्ञों की राय लेकर, उस कमीशन ने तीन वाल्यूम में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय की सेवा में अर्पित की। वह कमीशन की रिपोर्ट संसद के सामने अभी नहीं रखी गई है। वह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। उसमें बैकवर्ड क्लासेज की जो अनेक समस्याएं है उनके ऊपर ब्योरेवार चीजें लिखी गयीं कि बैकवर्ड क्लासेज की क्या कठिनाइयां हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिये क्या उपाय होने चाहिये, क्या व्यवस्था होनी चाहिये, उसका पूर्ण रूपेण ब्योरेवार निरूपण उस कमीशन की रिपोर्ट में हुआ है। यह जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें उस कमीशन के एक अंग के ऊपर केवल माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर, अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये।)

पिछड़े वर्ग के नवयुवकों या छात्रों को सबसे बड़ी कठिनाई पढ़ाई लिखाई में थी। लेकिन धीरे-धीरे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने और प्रदेशीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और बैकवर्ड क्लासेज तथा हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था हुई और इस छात्रवृत्ति के कारण अनेक उदीयमान छात्र आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अधिकांश छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति की सहायता नहीं मिल पाती। वे ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते और न सरकारी व अर्द्ध सरकारी नौकरियों के लिये इतनी योग्यता हो पाती है कि उसके कम्पटीशन में जा सकें और दूसरे के समकक्ष आकर अपने को सफल पा सकें। यही कारण है कि हमारे प्रदेश में जो गजेटेड नौकर हैं उनमें हमारे इस वर्ग की संख्या नगण्य है।

जो भरती आज गजेटेड अफसरों में या सेकन्ड या थर्ड क्लास की सर्विसेज में होती है, उनमें बैकवर्ड क्लासेज के उम्मीदवार नहीं आते।

अभी कल ही माननीय सदन में एक प्रश्न किया गया था कि लखनऊ में जो सैनिक स्कूल खुला है उसमें हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के छात्रों की कितनी संख्या तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें यह जवाब मिला कि न कोई बैकवर्ड क्लास का है और न कोई हरिजन है। जबकि सेना में सबसे बड़ी संख्या, चाहे वह इंफेंट्री हो या कोई अन्य अंग बैकवर्ड क्लासेज और हरिजनों के आदमी सबसे अधिक संख्या में हैं, लेकिन गजेटेड अफसरों में उनकी संख्या नगण्य है। गजेटेड अफसरों में जाने का जो एक रास्ता है उसमें उनकी भरती नहीं होती। इसका असर आगे चल कर पड़ता है। श्रीमन्, जब शिक्षा ही नहीं मिलती, जब उनके पढ़ने का साधन उपयुक्त नहीं है, उन्हें अवसर नहीं मिलता तो जाहिर है कि जो नौकरियों में आयु निर्धारित है उसके अन्दर वह भरती नहीं हो सकते। विभिन्न सर्विसेज के लिये विभिन्न योग्यतायें हैं। उन्हीं के अनुसार आयु निर्धारित है। हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट या बी० ए० की जैसी योग्यता निर्धारित होती है, उसी के अनुसार अवस्था निर्धारित है। उस अवस्था के अन्दर इस वर्ग के नवयुवक सेवा में नहीं जाते क्योंकि सेवा में जाने के लिये, उन्हें कम्पटीशन करना पड़ता है। इसका उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। इसी को ध्यान में रखते हुये हमारी प्रदेशीय सरकार ने पुलिस विभाग में जो सब-इंस्पेक्टर भरती होते हैं, उसमें तीन वर्ष की छूट दी है और उसका यह असर होता है कि धीरे-धीरे इस वर्ग के लोग पुलिस विभाग में बढ़ रहे हैं। लेकिन यह अवस्था चूंकि हमारी और गजेटेड सर्विसेज में और-और दूसरी सेवाओं में नहीं है इसलिये उनकी संख्या आज भी जबकि इतनी पढ़ने की सुविधा पहले की बनिस्बत मिली हुई है, बहुत ही कम है।

मान्यवर, पढ़ने की सुविधा में आज स्थिति यह हो गई है कि जो बैकवर्ड क्लास का फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं होगा उसे वजीफा नहीं मिल सकता। पहले हाई स्कूल के ऊपर तक के लिये केन्द्रीय सरकार सारे देश में छात्रवृत्ति का वितरण करती थी लेकिन अब यह नीति अख्तियार की गई है कि यह छात्रवृत्ति प्रदेश को दे दी और बैकवर्ड व हरिजनों की छात्रवृत्तिको अमलगमेट कर दिया। कोई अलग संख्या बैकवर्ड क्लास के लिये निर्धारित नहीं की जिसका

[श्री श्यामलाल यादव]

परिणाम यह हुआ है कि हरिजनों की संख्या अधिक बढ़ रही है । होना तो यह चाहिये कि जितनी उनकी संख्या बढ़ी है, जितने छात्र बढ़े हैं, उसी अनुपात में वह धनराशि भी बढ़ा दी जाती जो विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये निर्धारित है, लेकिन ऐसा न होकर के दोनों छात्रवृत्तियों को मिला दिया गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि बैकवर्ड क्लास के केवल उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्तियां मिल पायेंगी जोकि फर्स्ट क्लास के होंगे ।

श्रीमन्, यह वर्ग ऐसा है कि उसके लड़के हाई स्कूल के ऊपर फर्स्ट क्लास नहीं पा सकते । ऐसी स्थिति में वह उस वजीफे से भी वंचित रह जाते हैं । इसलिये हमारा यह निवेदन है कि उनकी शैक्षिक योग्यता को इतना परिपूर्ण किया जाय कि वह दूसरों के मुकाबले में आने योग्य हो सकें । हमारे बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट में भी बहुमत की यह राय थी कि सर्विसेज में इस क्लास को संरक्षण दिया जाय । अध्यक्ष महोदय ने लिखा है कि उनको ही सके तो संरक्षण तो दिया ही जाय अन्यथा कम से कम जनरस प्रिफरेंस तो अवश्य ही मिलना चाहिये, उदार वरीयता तो मिलनी ही चाहिये । उन्होंने यह भी कहा कि पूरा संरक्षण बैकवर्ड और हरिजनों का मिलाकर ४९ प्रतिशत होना चाहिये । अब उसका वितरण कैसे हो ? हरिजन भाइयों को अब तक केवल १८ प्रतिशत ही संरक्षण प्राप्त है । हम चाहते हैं कि वह संरक्षण और बढ़ा दिया जाय, कम से कम जैसे उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, वैसे ही वह संरक्षण भी सर्विसेज में उनका २५ प्रतिशत होना चाहिये और उसके बाद २५ प्रतिशत बैकवर्ड क्लास को भी संरक्षण दिया जाना चाहिये । वह संरक्षण मांगने के दो आधार उन्होंने उसमें बतलाये । एक तो सर्विसेज में उनकी संख्या नगण्य है और यह राष्ट्र की सेवा करने की जो संस्थायें हैं उसमें इस वर्ग के लोग नहीं रहेंगे तो एक सम्यक रूप से पूर्ण सहयोग सब का उसमें प्राप्त नहीं हो सकेगा, बल्कि कुछ चन्द लोग ही, कुछ थोड़े से क्लास के लोग ही इस सेवा में रहेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि न तो बैकवर्ड क्लास के लोग ही और न हरिजन लोग ही उन्नति कर पायेंगे तथा दूसरी ओर देश भी समृद्धि की ओर न जा सकेगा ।

इसलिये यह आवश्यक है मान्यवर, जैसे कि आजकल विकास के काम देश में हो रहे हैं, गांवों में ब्लाक्स खुले हैं, शिक्षा इत्यादि के काम भी हो रहे हैं और उसमें इस बैकवर्ड या हरिजन क्लास के लोग जो खेती करते हैं और मजदूरी करते हैं वह लोग जांय तो दो फायदे हो सकते हैं । एक तो वह उसी वर्ग से आते हैं जो वर्ग सदा से यही काम करता आया है, उनके खान्दान, उनके पास-पड़ोस, सब में यही काम होता रहा है, उसमें उनको दिलचस्पी है, दूसरे इन कामों में उनके लिये जाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है । अगर कोई हरिजन भाई किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसकी वजह से उस वर्ग के लोगों की थोड़ी-सी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है । आज जब किसी भंगी भाई की स्थिति ऊंची उठती है तो उसके साथ-साथ उस वर्ग के लोगों की भी सामाजिक स्थिति ऊंची होती है । आदर की दृष्टि से लोग उन्हें देखते हैं । तो एक तरफ तो हमारे निर्माण में उनका सहयोग मिलता है और दूसरी तरफ उस वर्ग के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, उनका सामाजिक स्थान थोड़ा ऊंचा होता है । इसलिये इन वर्गों के लोगों को अधिक से अधिक स्थान सर्विसेज में दिया जाना चाहिये ।

जैसी कि आजकल की शिक्षा है उसमें तीन वर्ष का समय कुल मिलता है कम्प्टीशन्स में बैठने के लिये । २१ से २४ वर्ष की अवस्था गजेटेड सर्विसेज के लिये है और उसमें वास्तव में तीन ही बार कम्प्टीशन में बैठने का मौका मिलता है । इसी प्रकार से चाहे वह सब-इंसपेक्टर के लिये हो, चाहे किसी और नौकरी के लिये हो, उसमें भी इन लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है । मान्यवर, यह तो गजेटेड सर्विसेज की बात है । क्लास दो और क्लास तीन की जो सर्विसेज हैं उनमें इन लोगों को बड़ी आसानी से लिया जा सकता है और उनमें हमारी मदद और अधिक हो सकती है । जो क्लेरिकल क्लास की सर्विसेज हैं या जो उसके नीचे की हैं उनमें इनको अधिक अवसर मिल सकता है. . . . .

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—मान्यवर, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—दो बजे के बाद कोरम का सवाल पैदा होता है ? उसके पहले नहीं उठता।

श्री श्यामलाल यादव—कमीशन की रिपोर्ट में भी बैकवर्ड जातियों के लिये क्लास टू सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात कही गई है कि ४९ फीसदी तक रिजर्व जगहें रखी जा सकती हैं। क्लास थर्ड की सर्विसेज में तो इनको और अधिक रखा जा सकता है। क्लास फोर्थ सर्विसेज का जो मीनियल स्टाफ है, जो सफाई वगैरह का काम करता है उसमें इनकी संख्या अधिक है ही और इसी वर्ग के लोग हैं। ऊपर की जगहों में इनके लिये भरती की जरूरत है ताकि इस वर्ग की स्थिति ऊंची हो और समाज में इनकी प्रतिष्ठा हो और इनको काम करने का प्रोत्साहन भी हो। इसलिये यह हमारा अनुरोध है कि अगर इस प्रकार से सर्विसेज में लेने के लिये इस नीति को हम स्वीकार कर लें तो बैकवर्ड जाति के लिये बहुत प्रोत्साहन होगा। आज वह शिक्षित नहीं हैं, उनके अन्दर सामर्थ्य नहीं है कि समाज में और वर्गों के साथ बराबरी में आ सकें और उनके साथ कम्पटीशन में बैठ सकें। इसी सिद्धांत को लेकर पुलिस विभाग में उनको तरजीह दी जाती है। हमारी सेना के अन्दर गांव के लोगों की सख्या बहुत अधिक है। उनकी रेजीमेंट इनके नाम पर बनी हुई है। लेकिन उसमें जो आफिसर्स क्लास है उसमें इनकी संख्या नगण्य है। देहरादून के स्कूल में जाने के लिये हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है कि यहां पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना कर दी है कि जहां से ट्रेनिंग लेकर देहरादून के स्कूल में लड़के जा सकें लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा एक भी लड़का इस स्कूल में ट्रेनिंग के लिये नहीं जा सकता। वहां पर जिस प्रकार का वातावरण है उसमें नीचे के वर्ग के लड़कों का जाना कठिन है। उस वातावरण के अन्दर जो अवसर वहां मिल सकता था वह भी दिखाई नहीं देता है। यदि हम चाहते हैं कि कम्पटीशन में बैठने के लिये सैनिक स्कूल में बैकवर्ड क्लास के लड़के भी आयें तो उनके लिये कुछ रियायत करनी होगी।

साधारणतः जो इस समय स्थिति है उसमें बैकवर्ड क्लास का कोई लड़का एक साल का अगले ५, ७ साल तक इस स्कूल में नहीं आ सकता है। वही लड़के जो कान्वेन्ट में पढ़ते हैं या कैम्ब्रिज के स्कूलों में पढ़ते हैं, हमेशा उस वातावरण में रहते हैं, उस स्कूल में आ सकते हैं लेकिन साधारण लड़के का आना सम्भव नहीं है। जो लड़के गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिये वह वातावरण नहीं है जो प्रतियोगिता में आ सकें। उनकी अंग्रेजी कमजोर होती है और हिन्दी भी मजबूत नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में सम्भव नहीं है कि सैनिक स्कूल में और लड़कों के साथ वह आ सकें और कम्पीट कर सकें। मैं तो समझता हूं कि उनको काफी समय तक यह अवसर नहीं मिलेगा कि वह वहां आ सकें। यह उचित होगा कि ३ वर्ष तक उनको और मौका दिया जाय जिससे वह कुछ और पढ़ कर आगे बढ़ें। उनकी मानसिक स्थिति बदलेगी और वातावरण भी उनका बदलेगा और शिक्षा में भी वे आगे बढ़ेंगे। वे अच्छी योग्यता होने पर उसमें बैठ सकते हैं और आ सकते हैं। इसलिये इसको अवश्य बढ़ाया जाय। यदि उनको कुछ इसमें छूट मिलेगी तो इसका फायदा उनको हर सर्विसेज में मिलेगा। ३ साल के बाद वह ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, और उनकी मानसिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है, और सर्विसेज में वह दूसरों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। इसलिये मैंने यह छोटा-सा प्रस्ताव इस आदरणीय सदन की सेवा में प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं इस प्रस्ताव के स्वीकार करने में इस सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी और इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करें।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय श्यामलाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस सदन में आपने देखा होगा कि जब कभी अवसर मिलता है तो बराबर यह प्रश्न उठाया जाता है कि हमारे देश के अन्दर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये सरकार को हर समय प्रयास करना चाहिये। इस सम्बन्ध में यदा-कदा यह सवाल उठता रहा है कि हमारे देश और प्रदेश के शासन संचालन में उनका सहयोग बहुत कम हो पाता है। सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या नगण्य है और संविधान बनाने वालों ने यह महसूस किया था कि सरकारी नौकरियों में देश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और इस वर्ग को, जो शिक्षा और क्षमता नहीं प्राप्त कर सका है, उसे उसका अवसर मिलना चाहिये। यही कारण था कि संविधान के बनाने वालों ने उसमें यह व्यवस्था की थी कि हमारे देश में जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी संख्या को देखते हुये १८ प्रतिशत स्थान नौकरियों में उनके लिये सुरक्षित रखे जायं। पिछड़े वर्ग के लिये भी संविधान में व्यवस्था की गई कि उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके और इसके लिये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह उचित अवसर आने पर एक कमीशन का निर्माण करें। वह कमीशन राष्ट्रपति को सलाह दे कि किस प्रकार इस वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व और उत्थान हो सकता है। राष्ट्रपति ने अपने उस अधिकार का प्रयोग करके एक कमीशन का निर्माण किया। वह क का कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया और उसने सारे देश का दौरा किया और अपनी सिफारिशें भारत सरकार को दीं।

हमें गहरा खेद है कि उस कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित हुये ५, ६ वर्ष हो गये, लेकिन उस पर पार्लियामेंट में भी विचार न हो सका। उन सिफारिशों के लागू होने की बात तो दूर रही उन पर विचार भी न हो सका। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में यह विवाद बना हुआ है कि पिछड़े वर्ग को मानने का आधार आर्थिक होना चाहिये अथवा जातीय। भारत सरकार के मन्त्रिमन्डल में भी इस बात पर गहरा मतभेद है। जगजीवनराम जी ने सार्वजनिक तौर पर अपने विचार प्रकट किये हैं कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में इसके लिये जातीय आधार ही होना चाहिये। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस के विपरीत प्रस्ताव पास किया है, लेकिन देश की जनता की भावना को देखते हुये और पिछड़े वर्ग सम्मेलनों को देखते हुये जातीय आधार ही माना जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि यह आधार हमेशा के लिये मान लिया जाय, लेकिन आज की परिस्थिति में जातीय आधार ही होना चाहिये। श्रीमन्, यह प्रश्न आज विचाराधीन है।

इस प्रस्ताव के द्वारा माननीय श्यामलाल जी ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट दी जाय। यह सिद्धान्त एक प्रकार से सरकार ने पहले से ही मान लिया है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये तीन वर्ष की छूट दी जाती है कि यदि उनकी उम्र अधिक हो गई है तो उसमें तीन वर्ष की छूट उन्हें रहे और वे प्रतियोगिता में बैठ सकें। हमारे देश के राजनीतिक पीड़ितों के लिये भी इस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं। सरकार ने इस वर्ग की अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुये पुलिस विभाग में उनको यह रियायत पहले से दे रखी है। श्रीमन्, यह वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। उनके बच्चों की पढ़ाई उम्र निकल जाने के बाद भी नहीं हो पाती और काम-धन्धे में उनको लगा दिया जाता है और इसलिये २५ साल का जो बार लगाया गया है उसमें वह आ नहीं पाते। उनके बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी तरह से कुछ शिक्षा हासिल कर लेते हैं और फिर कहीं जीविकोपार्जन के लिये नौकरी में जुट जाते हैं। उसके बाद जब वे यह अनुभव करते हैं कि उनको और पढ़ना चाहिये तो नौकरी छोड़ कर फिर पढ़ना शुरू करते हैं। जिस तरह से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें वे योग्यता में उन होनहार व्यक्तियों के बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते हैं और उनसे पीछे रह जाते हैं। वे चूंकि गरीब परिवार में पैदा होते हैं इसलिये उनकी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं हो पाती जोकि एक धनवान व्यक्ति के बच्चे को मिल जाती है। इस तरह से शिक्षा पाने में उसकी उम्र भी निकल जाती है। जो सर्विसेज के लिये उम्र का प्रतिबन्ध रखा जाता है वह उसको पार कर जाता है और नतीजा यह होता है कि उनको इसके कारण भी काफी हानि उठानी पड़ती है। इन सब बातों को विचार कर ही इस प्रस्ताव को रखा गया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लाजिक है। मैं समझता हूं सरकार को इस प्रस्ताव को पास कर लेना चाहिये।

दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो गजटेट पोस्ट्स पर व्यक्ति रखे जाते हैं, उनमें पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ०.५ प्रतिशत है जबकि आबादी के लिहाज से उनकी संख्या ७० फीसदी है। इस हिसाब से देखा जाय तो लगभग आधा फीसदी ही उन लोगों को यह स्थान मिल पाते हैं। अभी १० दिन पूर्व माननीय हरिजन कल्याण मन्त्री ने अपने भाषण के दौरान कुछ आंकड़े दिये थे और उनमें हरिजन और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या, जो नौकरी में हैं, बताई थी। इन सब बातों को देखते हुये सरकार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मान लेना चाहिये। मैं इस बात को कदापि नहीं मानता हूं कि जातीयता के आधार पर उनको या किसी को भी नौकरी मिले, किन्तु जबतक वे दूसरे लोगों के समकक्ष न आ जायें तब तक उनको कुछ प्राथमिकता पढ़ाई आदि में मिलनी चाहिये। हम देखते हैं स्कूलों में जो हरिजन छात्र होते हैं उनको खेलों आदि में कुछ छूट दी जाती है। चूंकि वे बच्चे कमजोर होते हैं, अतः उन बच्चों को दौड़ आदि के खेल में एक गज आगे रखा जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो आप सर्वांगीण उन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं वह तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप इन लोगों को कुछ छूट नहीं देंगे।

यह कोई जातीयता का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है। हमारे संविधान में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि अगर देश को उठाना है तो जातीयता रूपी जहर को समाप्त करना होगा। यह जहर राष्ट्र को कमजोर बनाने वाला है और इसे नष्ट कर देना चाहिये। हमारे संविधान में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर यह माना है कि जो भी हमारे यहां अछूत लोग हैं उनको कुछ सुविधायें देना चाहिये। मेरा तो सरकार पर उलटे यह चार्ज है कि जिस काम को करने का वह औचित्य समझती है उसको करने का उसमें साहस नहीं होता है। उसका नतीजा यह होता है कि लोगों के अन्दर असंतोष फैलता है। जो काम पहले हो जाना चाहिये वह बाद को होता है और उसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। तो श्रीमन्, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार जिसने सिद्धांततः इस बात को मान लिया है वह इस प्रस्ताव को, जो बहुत ही इन्नोसेंट रेजोल्यूशन है, निर्दोष-सा है, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला नहीं है और न पेचीदगी पैदा होने की सम्भावना है, उसको वह अवश्य स्वीकार करेगी।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जहांतक प्रस्ताव का प्रश्न है, यह अच्छा ही है, लेकिन सरकार अगर उचित समझे तो मान ले और यदि अनुचित समझे तो न माने क्योंकि इस प्रदेश में यह पता नहीं चल पाता कि कितनी पिछड़ी जातियां हैं और कितनी हरिजन जातियां हैं। पिछड़ी जातियां तो कुछ जिलों में सवर्णों से ज्यादा हरिजनों के साथ खराब व्यवहार करती हैं। जैसे कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला या वैश्य ये ४ कौमें हैं, जो ये व्यवहार हरिजन के साथ करती हैं उनसे भी खराब व्यवहार वह करती हैं। हरिजन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

तो उनको भी सवर्णों की कोटि में गिनते हैं। यादव जाति पश्चिम में तो बड़े जमींदार हैं, लेकिन पूरब में उनको अहीर कहते हैं और बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। पश्चिम में तो वे सवर्णों से कम नहीं हैं, परन्तु जब इधर देखते हैं तो दूसरी परिस्थिति है। कुम्हार जो हमारी तरफ पिछड़े वर्ग में है लेकिन मौंदहा में उनके साथ हरिजनों का सा व्यवहार होता है। इसी तरह से हरिजन जातियों में भी बड़ा वर्ग नीचे के वर्ग को नीची दृष्टि से देखता है। भंगी से चमार अपने को ऊंचा समझता है। हमारी तरफ धींवर, मल्लाह इत्यादि का तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनका सरकारी सर्विसेज में एक भी आदमी नहीं है और इधर पूरब में वह बड़े-बड़े जमींदार हैं और उनकी अच्छी हालत है, सवर्णों में गिने जाते हैं तो सरकार कैसे इस चीज को सफल बनावे, यह मेरी अपनी समझ में नहीं आ पा रहा है। अधिक संख्या में ये चारों उच्च कहे जाने वाले वर्ग ही सरकारी सर्विसेज में दिखाई पड़ते हैं और चारों तरफ वह ही सब जगह भरे पड़े हैं। न तो उनके कारण पिछड़ी जातियों का सवाल उठता है और न हरिजनों का उठता है। कभी ५८ की और कभी ५५ वाली बात चलायी जाती है। उनके लिये तो ५८ और ५५ चलता है, जबकि हमारे बार-बार कहने पर सरकार ने यह किया कि ५८ तो सब के लिये कर दिया, लेकिन ५५ सबके लिये नहीं किया। क्योंकि यदि ५५ हो जाता तो आपके पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग, सब को अवसर मिल सकता था, परन्तु जो पहले के हैं उनके लिये ५८ ही रहने दिया और जो आगे आने वाली कौम हैं उनके लिये वही ५५ वर्ष।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है ३ वर्ष की छूट मिल जानी चाहिये थी, लेकिन किन लोगों को मिल जानी चाहिये? पूरब में कुछ और स्थिति है, दक्षिण में कुछ और स्थिति है, वहां कुछ और जातियां हैं और जब हम अपने पश्चिम को देखते हैं तो और ही स्थिति है। तो जब सारे प्रान्त की एक ही स्थिति न हो और सारे पिछड़े वर्ग जो अपने को पिछड़ा हुआ कहते हैं वह मिश्रित न हों जबतक वह एक होकर अपने उत्थान की बात नहीं करेंगे तबतक मैं नहीं समझता यह तीन वर्ष बढ़ाने या कोई दूसरी बातें करने से कैसे सफलता मिल जायगी। इसी तरह से हरिजनों के लिये १८ फीसदी रिजर्वेशन की जो बात है उसके लिये पिछड़ी जाति वालों ने कभी जोर नहीं दिया कि उनका रिजर्वेशन पूरा हो।

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि यह रिजर्वेशन वाकई में, जो हरिजन हैं, उनको नहीं मिल पाया। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उनका रिजर्वेशन न तो नौकरियों में ही पूरा हुआ और न असेम्बली या पार्लियामेंट में ही हुआ। बढ़ी हुई कौमें जो हैं, वही आगे चलती हैं और उन्हीं को वह स्थान प्राप्त होते हैं। आज जो पिछड़ी हुई कौमें सवर्णों में मिश्रित हो चुकी हैं वही सारे स्थानों को प्राप्त किये हुए हैं। उन्हीं के लिये आप कहते हैं कि तीन वर्ष और बढ़ा दो लेकिन हरिजनों के लिये बढ़ाने की बात आप नहीं करते जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों का आज कोई भी सरकारी अफसर नहीं बन पाया है। आपको कहना चाहिये कि उनके अफसर होने चाहिये और उनको तीन वर्ष का मौका मिलना चाहिये। क्योंकि आज हरिजनों को छोड़कर पिछड़ी जातियां कोई निश्चित हैं ही नहीं। उनका आपस में हुक्का पानी नहीं है। ऐसा ही हरिजनों में भी है। इस देश के जो पिछड़े हुए हरिजन हैं वही देश के सच्चे सेवक हैं। उन्होंने कुरबानियां की हैं। आज जो सांसिया कहलाते हैं उनको अन्य हरिजनों ने कोई अधिकार नहीं दे रखा है जैसे कि अन्य सवर्ण जातियों ने अन्य पिछड़ी हुई जातियों के साथ कर रखा है। मैंने इस सदन में बार-बार कहा है कि एक वाल्मीकि और यादव के यहां आपस में खाना पीना नहीं है, रोटी बेटी नहीं है। इसी तरह से चमार में रोटी बेटी नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं है आप तीन साल की तौसीय दें लेकिन वह हर एक के लिये होनी चाहिये। आज हमारे साथ ठाकुर, वैश्य, ब्राह्मण और लाला क्या व्यवहार करते हैं? वैसे ही जाट, गूजर, अहीर जितनी भी कौमें हैं वह ब्राह्मणों से दूर से बचकर निकलेंगे

जैसे कोई हौवा आ गया हो। लेकिन यह पिछड़े वर्ग वाले और भी ज्यादा घृणा करते हैं तो जिस देश में ऐसा वातावरण हो उसको पहले दूर करना चाहिये।

श्रीमन्, वाकई में यह बात सच है और ईमानदारी की बात है कि जो सहायता सरकार की तरफ से दी गयी है वह जो हरिजन हैं उनको नहीं मिल पायी, न पिछड़ी जाति के लोगों को जो वाकई पिछड़े हैं उनको मिल पायी है और जो बड़े-बड़े जमींदार बने बैठे हैं, जो अपने को सवर्णों से भी ऊंचा समझते हैं, वे उस सब को खा जाते हैं। इसलिये सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग की जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाय और जो विषमता है उसको दूर करके समानता लायी जाय और तब जाकर हमें सर्वसम्मति से यह मांग करनी चाहिये। लेकिन जब तक इन कौमों और जातियों में इतनी विषमता फैली हुई है, जब तक छोटों और बड़ों का प्रश्न है, जब तक कौमों में ऐसा मतभेद है कि एक ही धर्म के अनुयायी दूसरों को विधर्मी समझते हैं, तब तक ऐसा होना असंभव है।

मंदिर को कौन बनाता है? चमार उसकी ईंट पाथता है, पंजावा लगा कर उनको पक्की करता है, चूना बनाता है, बस नक्शा लाला जुगल किशोर बनाते हैं लेकिन वही चमार फिर उसको कार्य रूप में परिणत करता है, मंदिर बनाता है। मूर्ति बनाता है कंजर। लेकिन जब मंदिर बन कर तैयार हो गया तो उसको उसमें घुसने तक का अधिकार नहीं है। जब कि वह उसी धर्म का अनुयायी है। हम हिन्दू हैं और सच्चे हिन्दू हैं लेकिन हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जायगा। जब हमारे अन्दर इतनी विषमता है तो फिर हम किस प्रकार सरकार से यह मांग कर सकते हैं कि वह हमारी मुद्दत और बढ़ा दे। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि उन लोगों को तीन साल मिले लेकिन पहले उनको समानता लानी चाहिये अपने वर्गों के अन्दर। देखा जाय तो बहुमत पिछड़े वर्ग का है लेकिन अपने अन्दर जो फूट है उसके कारण ही उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। दूसरों को जो मौका मिलता है वह उनकी बुद्धि के कारण मिलता है। वे ऐसी मांग नहीं करते कि हमें ३ या ४ साल दिया जाय लेकिन हम कहते हैं कि हमें तीन साल की तौसीय दी जाय क्योंकि हम दबे हुए हैं। मेरा आपके द्वारा यह निवेदन है कि ३ बरस जरूर बढ़ा दिये जायं परन्तु उसके साथ-साथ जो विषमता फैली हुई है उसको दूर कर दिया जाय और पिछड़े वर्ग और हरिजनों, सबको समानता की दृष्टि से देखिये। इसलिये जहां तक इस प्रस्ताव की बात है मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन अगर सब में समानता आती है तो तीन साल बढ़ा दिये जायं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस गैरसरकारी प्रस्ताव का, जो श्री श्याम लाल जी की ओर से प्रस्तुत है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस विभाग की भर्ती सरकारी एवं अर्ध सरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट दी जाय, समर्थन करता हूं। मेरे समर्थन का कारण यह है कि यह प्रस्ताव ही यह जाहिर करता है कि सरकार ने अपने पुलिस विभाग में यह छूट दे रखी है। यह विभाग सरकार का एक बड़ा भारी विभाग है, जो प्रशासन से सम्बन्ध रखता है तथा इसके ऊपर सरकार का अधिक व्यय भी होता है और उसमें अधिक आदमी भी हैं। जब उस विभाग में उन लोगों को छूट दी गयी है तथा उनमें कार्यक्षमता भी है तो फिर कोई कारण नहीं रह जाता है कि यही सिद्धांत दूसरे विभागों में भी न अपनाया जाय।

दूसरी बात यह है कि जो पोलीटिकल सफरर्स हैं, जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है, उन लोगों के लिये इस प्रकार की छूट की गुंजायश रखी गयी है। दूसरी ओर जो अनुसूचित जातियां हैं जिनको हरिजन कहते हैं, उनको भी उम्र में छूट दे दी गयी तो यह सब मिला कर इस देश के लगभग एक चौथाई आदमी इस तरह के आते हैं जिनके लिये छूट निश्चित है। तो अगर एक चौथाई से अधिक उनकी संख्या होगी जिनके लिये पहले से छूट निश्चित है तो कोई कारण नहीं दिखलायी देता कि जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं उनको यह सुविधा न दी जाय।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

मैं अन्य गैरसरकारी प्रस्तावों पर उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के विचारों को सुन कर चकित रह जाता हूं, इसलिये कि पिछड़े वर्ग के वे माननीय सदस्य जो अनुसूचित जाति के लिये रिजर्वेशन के नाम पर ही इस सदन में सदस्य चुन कर आये हैं, जब कभी कोई गैरसरकारी प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया जाता है तो उसका वे विरोध करते हैं। कोई प्रस्ताव चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण का हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण का हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण का हो, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण का स्वार्थ निहित हो, लेकिन उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य एक बार भी उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी हरीसिंह ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, कारण नहीं बतलाया कि वे क्यों उसका विरोध करते हैं। अगर इस देश में वे लोग जिनको कि आप बड़ी जाति का कहते हैं, उन्हें इस राष्ट्र के काफी अधिक हिस्से में बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला हुआ है तो फिर क्या कारण है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे हमेशा के लिये ही पिछड़े हुए बने रहें और उनको वे सुविधायें न दी जायं। अगर उनको वे सुविधायें नहीं दी गयीं तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी खाई हो जायगी जो इस देश के भविष्य के लिये, इस देश के उत्थान के लिये तथा इस देश के जीवित रहने के लिये कोई अच्छी बात नहीं होगी।

हमारे श्री हरीसिंह जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहिये था लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी जातियों की बड़ी आलोचना की गयी। श्रीमन्, देश के डिवीजन होने के बाद, पाकिस्तान के बटवारे के बाद पाकिस्तान ने बड़ी कौमों को अपने यहां से खदेड़ दिया लेकिन उनकी बिरादरी के लोगों को नहीं खदेड़ा। श्री हरीसिंह ने इस बात को मालूम करने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? उसके अन्दर जाति भावना न होकर आर्थिक भावना ही थी। लेकिन आज हमारे सोचने का ढंग जातीय आधार पर हो गया है। चाहे कांग्रेस को लीजिये, चाहे पी० एस० पी० को लीजिये, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को लीजिये, आज पोलिटिकल दल के सोचने का आधार जाति ही बन गया है। अगर हमारे यहां यह जातीय ढंग सोचने का न होता तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि यह देश बहुत आगे होता। मालूम नहीं इस जातीय नारे को लगा कर हम अपने देश को कहां ले जायेंगे। मैं सोशलिस्टिक दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं। श्री हरीसिंह ने कहा कि इससे एक ही कौम को सुविधा प्राप्त हो जायगी लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि इसको उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिये। क्या वे चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे नीचे ही बने रहें और उनको बराबरी का दर्जा न दिया जाय। हम आज यह देखते हैं कि जो हरिजन वर्ग के हैं या पिछड़े वर्ग के हैं जब आर्थिक दृष्टि से ऊपर बढ़ जाते हैं तो वे भी पिछड़े वर्ग के लोगों को नीची निगाह से देखने लगते हैं। इससे साफ मालूम होता है कि जाति का आधार न होकर यहां आर्थिक आधार ही मुख्य है।

जब ३ एकड़ से कम जोत वालों पर लगान माफ करने का या कम करने का प्रस्ताव आया था जिसका सम्बन्ध ७० फी सदी गरीब किसानों से था लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका और मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव भी पास नहीं होगा। लेकिन यह प्रस्ताव पास हो जाय तो उससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इससे तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं देहात से आता हूं और मैं जानता हूं कि हमारे यहां पिछड़ी जातियों में जो अहीर, कुर्मी, कमकर आदि होते हैं, उनकी परम्परा ऐसी है कि स्वभावतः वे पढ़ने लिखने के आदी नहीं होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें और न वह ऐसे समाज में रहते हैं कि लड़कों को बाहर भेज सकें और शिक्षा दिला सकें और इसी कारण उनकी शिक्षा-दीक्षा कम है और दूसरों के मुकाबले में वह पिछड़े रह जाते हैं और उनकी बराबरी में नहीं आ सकते, उन के लिये समान अवसर नहीं है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो उनको सुविधा हो सकती है, अगर वह प्राइवेट तरीके से या रेगुलर पढ़कर किसी तरह से अपनी शिक्षा बढ़ा सकते हैं और उन को इस की सुविधा मिल जाय तो वह सरकारी नौकरियों में और

अर्ध-सरकारी नौकरियों में स्थान पा सकते हैं और अगर उसके लिये उन को यह ३ साल की छूट मिल जाय तो इस से बढ़कर और क्या बात हो सकती है।

जब इस प्रस्ताव का उधर से विरोध हुआ तो मेरा मन उस तरफ गया कि आखिर उनके मन में है क्या। क्या वह स्वयं यह चाहते हैं कि वह सदन में ही बराबर बने रहें और कोई दूसरा यहां न आये। यह चाहे बिरादरी की बात न हो लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था की जो बुराई है उसी से ओतप्रोत उन के विचार हैं और उसी विचार की रोशनी में वह अपने सब काम करते हैं। यद्यपि हमारी सरकार कहने को तो समाजवादी ढंग के समाज में विश्वास करती है और उसी प्रकार उसने अपना उद्देश्य भी घोषित किया है लेकिन समाजवादी व्यवस्था है क्या, समाजवादी व्यवस्था कहते किस को हैं? यह सरकार श्रमिक वर्ग की इज्जत करने का साहस करे जो वर्ग इस देश की रीढ़ है और जो उत्पादन का काम करता है और उतनी मेहनत कोई नहीं करता। यह भी सत्य है कि बड़ी कौम के लोग उतनी मेहनत करने में हिचकते हैं जितनी कि अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोग करते हैं। अगर यह सरकार उन की आर्थिक स्थिति को कमजोर मानकर उनको कोई सुविधा आरम्भ से नहीं देगी तो इन गरीब जातियों का नाम ही समाप्त हो जायगा। जिस कौम के लोग गरीब हैं, साधनहीन हैं उनको अगर हर तरह की सुविधा दी जाय तो देश उनके द्वारा आगे बढ़ सकता है और देश का नक्शा ही धीरे-धीरे दूसरा हो सकता है। जैसा कि यादव जी ने कहा कि यह अच्छा नहीं है कि जाति के नाम पर किसी को बहुत दिन तक सुविधा दी जाय लेकिन मजबूरी है कि कुछ लोगों का आर्थिक स्तर बहुत नीचा है और उनको पिछड़ी जाति के नाम पर सुविधा देनी पड़ती है यद्यपि यह चीज देश या सदन के लिये कोई सौभाग्य की बात नहीं है कि बार-बार जाति का नाम लिया जाय।

आप जानते हैं कि हर कौम और हर परिवार में शिक्षा-दीक्षा परम्परागत आरम्भ होती है, शुरू से उन परिवारों का एक वैसा ही वातावरण होता है, उनका एक स्तर होता है और वह पिछड़ी जातियों के मुकाबले में अधिक शिक्षित हो जाते हैं और उसी आधार पर उनको अधिक आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर हमें वाकई यहां समाजवादी राज्य की स्थापना करना है तो हमें कुछ लोगों पर प्रतिबन्ध लगाना होगा, चाहे हम वह जाति, आर्थिक स्थिति या सम्पत्ति के नाम पर उसे किसी तरह से भी लगायें लेकिन यह सरकार तो जाति के नाम पर प्रतिबन्ध लगा सकती है लेकिन और किसी आधार पर वह किसी पर कंट्रोल नहीं लगा सकती और न लगाना चाहती है। इसका कारण क्या है? मैं कहूंगा कि यह सरकार जो बनी है, स्वयं गुप्ता जी एक पिछड़ी जाति के हैं और सब वैसे ही मिल गये और पिछड़ी जाति का मंत्रिमंडल बन गया और जब.....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--हम किस में हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--आप किसी तरह से उसमें भूले-भटके घुस गये बाकी तो सब वही हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सरकार की जो नीति है वह गलत है और बुनियादी तौर पर ही उस की तरफ से गलत कदम उठाये जाते हैं, आज नहीं बहुत पहले से यह चल रहा है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको खेती के काम में, नौकरी में, शिक्षा में जो भी सुविधा दी जा सकती है वह दी जानी चाहिये और वह उस वक्त तक जारी रहना चाहिये जबतक कि वह लोग अन्य वर्गों की समानता में न आ जायं। हर दिशा में उन के लिये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिये। मैं बहुत जोरदार शब्दों में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस से बढ़कर सीधा, निर्दोष और सुन्दर प्रस्ताव और क्या हो सकता है, ऐसा प्रस्ताव इससे पहले कभी पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि शाब्दिक तौर तरीके पर मानने में कठिनाई है। कठिनाई क्या है? कठिनाई जो कुछ है वह यह है कि हमारे पिछड़े कौम के लोग रिजर्वेशन के नाम पर इस सदन में उपस्थित हैं।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस समय सीलिंग का बिल पेश था और उसमें यह था कि जो जमीन सरप्लस होगी वह भूमिहीनों में बटेगी, उसमें हरिजन और पिछड़े हुए लोगों को ही जमीन मिलती, लेकिन उन माननीय सदस्यों ने जो पिछड़ी हुई जाति के नाम पर इस सदन में आए हैं, यह कहने की कोशिश नहीं की कि इतनी बड़ी सीलिंग नहीं होनी चाहिये। अगर कम की सीलिंग होती तो जमीन हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को मिलती। लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि शाब्दिक कठिनाई है, इसको मानने में सरकार समर्थ नहीं होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिमाग खराब हो गया है या प्रलोभन में पड़ गये हैं? जैसे एक कहावत है कि दिन पर जीने वाला हृदय कभी बलवान नहीं होता' उसी तरह का ढंग होता जाता है और इस तरह के प्रस्ताव का भी इस सदन में विरोध होता है। यह कोई विरोधी दल का प्रस्ताव नहीं है बल्कि रूलिंग पार्टी के एक सदस्य का प्रस्ताव है जो अपने को पिछड़ी कौम का कहते हैं और उस कौम की सुविधा के लिये यह प्रस्ताव रखा गया है। मैं समझता हूं सदन इस प्रस्ताव को पास करेगा।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)----माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो इस किस्म के प्रस्ताव के प्रस्तुत होने पर चिन्तित होते हैं और चिन्ता का विषय इसलिये है कि किसी भी राष्ट्र में जाति और उप-जाति के नाम पर शासन की ओर से कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ें तो उस राष्ट्र की वही स्थिति होती है जो स्थिति किसी भी उस परिवार की होती है जिसमें कि कुछ रोगी लोग एक लम्बे अर्से से रोग से पीड़ित होते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे लोग उस परिवार के लिये चिन्ता के विषय होते हैं और दूसरी सब जरूरतों के मुकाबले में उस परिवार के लोगों को अपने रोगियों की चिकित्सा के लिये हर प्रकार से विशेष ध्यान देना ही पड़ता है। इसलिये यह कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि हमारी सरकारों को, केन्द्रीय सरकार हो या प्रान्तीय सरकारें हों, अपने समाज के कुछ लोगों के लिये कुछ विशेष नामों पर कुछ रियायतें करनी पड़ रही हैं और उनके लिये अपनी नीतियों में कुछ विशेष व्यवस्थायें करनी पड़ रही हैं और खेद है कि भविष्य में भी अभी कुछ दिन तक वह करनी पड़ेंगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, मुझे इस संकल्प का समर्थन करने में कोई ज्यादा आनन्द और खुशी नहीं है लेकिन समाज की वर्तमान स्थिति को देखकर मैं मजबूर हूं कि इस संकल्प का समर्थन करूं। इसलिये कि हमें अधिक दिन तक अपने समाज में छोटे और बड़े का भेद, ऊंच और नीच का भेद कायम नहीं रखना है, और न केवल कायम ही रखना है बल्कि हमारे लिये वह बड़े सौभाग्य का दिन होगा जब हम सब यह अनुभव करेंगे कि हम एक जाति के लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं और हममें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और सबसे ज्यादा खुशी का दिन वह होगा जब हममें से हर एक व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि हममें कोई धनी और निर्धन नहीं है। लेकिन समाज में जहां ऊंच, नीच, अस्पृश्यता हमारे शत्रु हैं वहां देश में आर्थिक विषमता भी हमारे समाज की सबसे बड़ी शत्रु है और जहां इस विचारधारा के पीछे कि समाज के कुछ विशेष अंगों को विशेष सुविधायें दी जायं, जहां और विचारधारायें हैं, एक विचारधारा यह भी है कि यह लोग निर्धन हैं और न केवल इस समय निर्धन हैं, बल्कि इतिहास बताता है कि लम्बे समय से निर्धनता के रोग से ग्रसित रहे हैं, इसलिये मजबूर रहे हैं समाज के उन लोगों की अपेक्षा आगे बढ़ने में या मानव के अधिकारों के प्राप्त करने में जो आज हमारे समाज में किसी प्रकार से सम्पन्न समझे जाते हैं। इसका यह अर्थ यह न लगाया जाय कि जो लोग पिछड़े लोगों में नहीं आते हैं या संरक्षण प्राप्त लोगों में नहीं आते वे सभी लोग धनवान हैं। उन्हें सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो समाज के उनमें गिने जाने वाले लोगों में दूसरों को हैं। संवर्ण लोगों में भी निर्धन हैं और उनमें भी अच्छी खासी संख्या निर्धनों की मिलती है। तो यह मैंने इसलिये कहा कि मेरी बात से यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि मैं ऐसा मानता हूं कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग सभी निर्धन हैं जिनको हम हरिजन कहते हैं या जिनको सामान्य कहिये उनमें सभी मालदार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अधिकतर संख्या हरिजनों और पिछड़े कहे जाने वालों में निर्धन ज्यादा हैं बमुकाबले उनके जिनको हम हाई कास्ट या संवरण की संज्ञा देते हैं। इसीलिये निर्धनता का जो रोग है वह कुछ कम हो और जो असमानतायें हैं वह कुछ कम हों। जो बीमारी उनको आज है उनके लिये विशेष रूप से सरकार की तरफ से कुछ रियायतें हैं और उन्हीं में से एक रियायत सरकार ने पिछड़े वर्ग को यह दे रखी है कि पुलिस विभाग में उनके जो उम्मीदवार हों यानी पिछड़े वर्ग के, उनकी आयु साधारण लोगों के मुकाबले में अगर तीन साल अधिक भी हो तब भी उनको प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने का अधिकार है। इस सिद्धान्त के नाते सरकार ने जब एक विभाग में यह मान लिया और स्वीकार कर लिया कि उनके लिये आवश्यकता है, ज्यादा विस्तार में मैं इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि सिद्धान्ततः मुझे इस संकल्प का समर्थन नहीं करना है इसलिये कि सरकार खुद उस संकल्प का समर्थन कर चुकी है जब कि एक विभाग में सरकार ने मान लिया है।

अब केवल प्रश्न यह उठता है सिद्धान्ततः जब सरकार स्वीकार कर चुकी है एक विभाग के लिये तो फिर अन्य विभागों में क्यों न स्वीकार किया जाय? इस विचार को लेकर मैं इस संकल्प को निर्दोष मानता हूं। न केवल निर्दोष मानता हूं बल्कि आवश्यक समझता हूं कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाय और जितनी जल्दी संभव हो सभी विभागों में वह रियायत की जाय जो पुलिस विभाग में पिछड़े कहे जाने वाले भाइयों को मिल चुकी है। और ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता मैं इसलिये अनुभव नहीं करता हूं क्यों कि सरकार भी मानती है, संविधान ने भी संरक्षण दिया है और हमारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन करीब-करीब वह भी इस मामले में सहमत हैं, एक राय के हैं।

जहां तक पिछड़े वर्ग में बहुत सी जातियों का प्रश्न है, उनमें छोटाई बड़ाई का प्रश्न है, जहां तक हरिजनों में छोटाई बड़ाई का प्रश्न है, वह ऐसी बात है कि पूरे समाज की परम्परा है जो कि न केवल हम पिछड़े वर्ग के लोगों को या हरिजनों को ही परेशान किये हुए हैं बल्कि वह तो नीचे से ऊपर तक पूरे समाज को तंग किये हैं और वह तंगी और परेशानी किस हद तक है उसके अनुभव को हम सभी न्यूनाधिक प्राप्त कर चुके हैं। यह बात ठीक है कि सदन में हमारे अधिकतर माननीय सदस्य उस विचार धारा के हैं, बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि सभी उस विचारधारा के होंगे जो जाति-पांति में, ऊंच-नीच में विश्वास नहीं करते हैं।

श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री महीलाल—मैं निवेदन कर रहा था कि इस संकल्प में किसी नीति और सिद्धान्त पर वादविवाद करने का प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं एक बात कह देना आवश्यक समझता हूं और वह यह कि अवस्था में रियायत देने के पीछे क्या विचार है और क्या व्यवहारिकता है। व्यवहारिकता इसके पीछे यह है कि जिस घर में शिक्षित लोग होते हैं या जो लड़का सौभाग्य से शिक्षित परिवार में पैदा होता है तो हमारे शास्त्रों पर विश्वास रखने के संबंध में जो लोग अभिमन्यु की कथा को जानते हैं वे भली प्रकार परिचित हैं कि अभिमन्यु की शिक्षा उसी दिन से आरम्भ हो गयी थी जिस दिन से अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में आये थे। जब हम इसमें विश्वास करते हैं कि गर्भ में आने के बाद बच्चे की शिक्षा आरम्भ हो जाती है तो जाहिर बात है कि उस परिवार का लड़का जो एक शिक्षित घर में जन्म लेता है उस लड़के की अपेक्षा जो एक अशिक्षित घर में पैदा होता है स्वभावतः जल्दी पढ़ेगा, बुद्धिमान होगा और जब यह बात तय है कि शिक्षित घर में पैदा होने वाला लड़का शिक्षा जल्दी ग्रहण करेगा तो वह उसके मुकाबले में जल्दी आगे जायगा जो अशिक्षित घर में पैदा हुआ है। तो फिर समाज में सब लोगों के लिये एक सी अवस्था का होना मैं न्यायसंगत नहीं मानता। न्यायसंगत इसलिये नहीं मानता कि समाज में सब को समान सुविधाएं नहीं प्रदान

[श्री महीलाल]

की हैं। अगर पैदा होते ही सब बच्चे अलग कर दिये जाते और उनके पालन-पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होती, तथा सबका पालन-पोषण और सबकी शिक्षा एक प्रकार से होती तो मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन या रियायत पिछड़े वर्ग या हरिजन बच्चों को मिलती। लेकिन जब एक लड़का निर्धन और अशिक्षित घर में पैदा होता है, उसको वह सुविधाएं नहीं मिलतीं जो धनी और शिक्षित घर में पैदा होने वाले बच्चे को मिलती हैं तो न्याय की यह मांग है कि उसको वह विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिये।

मैं दूसरी बात कहता हूं। एक वह लड़का जो पढ़े लिखे घर में रहता है, साढ़े चार घंटे या साढ़े छः घंटे स्कूल में रहता है और घर में भी उसकी शिक्षा होती है, दूसरा मुझ जैसे परिवार का लड़का जिसका समय केवल साढ़े चार घंटे या साढ़े छः घंटे स्कूल में बीतता है और ज्यादा समय अशिक्षित वातावरण में बीतता है तो यह बिलकुल स्वाभाविक है कि वह उसके साथ दौड़ में नहीं आ सकता और शिक्षा के क्षेत्र में साथ-साथ नहीं चल सकता। दोष किसका है? दोष इस समाज का है जिसने बच्चों को समान शिक्षा और समान पालन-पोषण का मौका अब तक नहीं दिया है। मैं नहीं जानता कि यह बच्चा जो किसी कारण से किसी अशिक्षित और निर्धन घर में पैदा हो गया है, वह क्यों सफर करे, उसको मौका केवल इसलिये क्यों न मिले कि वह एक निर्धन और अशिक्षित परिवार में पैदा हो गया। वह सरकारी नौकरियों में न जाय और वह जायं जिनको समाज ने सुविधायें दीं। इसलिये आवश्यक हो जाता है, कि न्याय के नाम पर यह फैसला होना चाहिये कि पिछड़े वर्ग के लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिये। मैं मानता हूं जैसा कि मेरे भाई हरीसिंह ने कहा कि पिछड़े वर्ग में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जमींदार रहे हों, ऐसे हो सकते हैं जो धनवान हों या ऐसे हो सकते हैं जो पढ़े लिखे हों लेकिन उनमें बहुसंख्यक लोग, मैं समझता हूं कि करीब ९९ फीसदी लोग पिछड़े वर्ग में ऐसे हैं जो शिक्षा के विचार से बहुत पीछे हैं। तो जो लोग शिक्षा के विचार से पीछे हैं, उनको शासन में लाने के लिये सुविधा देनी है। उन्हें शासन में लाने के लिये यह आवश्यक हो जाता है, यह समय की मांग है कि जिस प्रकार से पुलिस विभाग में पिछड़े वर्ग के लोगों को तीन वर्ष की छूट है उसी तरह और विभागों में भी दी जाय।

श्री जंगबहादुर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव पिछड़े वर्ग के लिये प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं माननीय श्यामलाल जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस न ले लें क्योंकि अभी कल एक प्रस्ताव १८५७ के गदर के संबंध में आया था। श्री नारायणदास और अन्य साथियों के ऊपर जवाब तलब हुआ है और शायद उन पर अनुशासन की कार्यवाही की जायगी। आज जो कांग्रेस के अन्दर पिछड़ी जाति के या हरिजन हैं वह अगर पिछड़ी जाति या हरिजनों की बात इस सभा में कहते हैं और उस पर जोर देते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही हो जाती है। तो यह तो प्रजातन्त्र कहने की बात है लेकिन है तानाशाही की।

आज उत्तर प्रदेश में सवा सात करोड़ की आबादी है। उसमें २० फीसदी तो हरिजन हैं और ६२ फीसदी पिछड़ी जाति के लोग हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं। सरकार अपने शब्दों में कहती है कि हम पिछड़ी जाति वालों और हरिजनों को ऊंची जाति वालों के बराबर लायेंगे और ला रहे हैं, लेकिन यह असंभव बात है। ऐसा हो नहीं रहा है। आज जो १८ प्रतिशत हरिजनों की रिजर्वेशन की बात की जा रही है वह १८ प्रतिशत उन्हें जगह नहीं दी जाती है। आप देखें चपरासियों में और मलेरिया वगैरह में भी जहां कि डी० डी० टी० के छिड़काव वगैरह का काम होता है उसमें भी यह जगहें उनको नहीं दी गई हैं। दूसरी बात आप देखें कि बड़ी जाति के गजटेड आफिसर पहले ३ हजार थे जो ५९-६० में ५ हजार हो गये। लेकिन पिछड़ी जाति के गजटेड आफिसर पहले ३५ थे और अब उनकी संख्या २४ हो गई है।

अगर यह सरकार की नीति है तो माननीय मंत्री जी मुझे यह बतायें कि क्या इसी तरह से पिछड़ी जाति वालों को ऊंची जाति वालों के बराबर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में वह लायेंगे ? यही आप उनकी तरक्की और उत्थान करेंगे कि ३५ से २४ उनकी संख्या हो गई यानी ११ गजटेड आफिसर उनके और घटे । इसी तरह से आप अन्य विभागों में देखें, नीचे की ओर उनकी संख्या जिस हिसाब से बढ़नी चाहिये वह बढ़ने के बजाय और घटती गई । यहां तक आप देखें कि हैदरगढ़ में मलेरिया के सिलसिले में जो डी० डी० टी० का छिड़काव करते हैं जिसमें कि हरिजनों, पिछड़ी जाति को लेना चाहिये, उसमें इंसपेक्टर आदि जो ऊंची जगहें हैं उन पर ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं और वह उन जगहों में भी ऊंची जाति वालों को ही ले रहे हैं ।

इसी तरह से चपरासियों में आप देखें, कलेक्शन विभाग में देखें, तकावी के संबंध में, अनुदान और सहायता के संबंध में देखें, आप आंकड़े मंगा लीजिये, और देखिए कि किनको वह सहायता दी गई है, किन जाति वालों ने यह सहायता पायी है । सैलाब में मकान गिरे हैं और यहां तक पक्षपात किया गया है कि सैलाब में गिरने वाले और आग लगने से नष्ट होने वाले मकानों के लिये जो सहायता दी जाती है वह भी ज्यादा से ज्यादा उच्च जाति वालों को ही मिलती है। आज यह सरकार ऊंची जाति वालों के कब्जे में है। वह अपनी जाति वालों को ही स्थान देते हैं और आईने में देखकर उनकी तरफ वह खिंचते हैं । अगर सरकार ऊंची जगहों में और राजनीतिक सत्ता में पिछड़ी जाति के लोगों के लिये स्थान सुरक्षित करे तो उनकी तरक्की हो सकती है लेकिन सरकार यह कर नहीं रही है ।

हम आपको कहां तक बतायें, जो कि विभागों का बटवारा हुआ है उसमें भी पक्षपात किया गया है। रोडवेज के संबंध में जिसमें कि पिछड़ी जाति के लोगों को लिया जाना चाहिये, वह नहीं लिये जा रहे हैं । इसके अलावा ऊंची जाति वाले जो नौकरियों में ऊंची जगहों पर हैं, उन पर नाना प्रकार के चार्ज लगाकर उन हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को निकाल देते हैं । मैं आपको एक उदाहरण दूं । फतेहपुर तहसील का एक हरिजन चमार था, उसको एक महीने की नोटिस भी नहीं दी गई और निकाल दिया गया । मैं और भगवतीप्रसाद जी उसको लेकर मुजफ्फर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि कोई चार्ज होगा, जिसकी वजह से निकाल दिया होगा । लेकिन वही जब दूसरे एम० एल० ए० उसको लेकर गए तो उसे बहाल कर दिया । तो यहां इस प्रकार का पक्षपात चलता है । पहले वह अपने घर वालों को देखते हैं, फिर जाति वालों को देखते हैं, फिर वर्ग वालों को देखते हैं और फिर नातेदार और रिश्तेदार को देखते हैं ।

आप आंकड़े मंगाकर देख लीजिये, यही चीजें चल रही हैं नीचे से ऊपर तक । पिछड़ी जाति वालों के साथ यहां तक अन्याय हो रहा है कि आज ये सामन्ती लोग चोरियां और डकैतियां करके नाना प्रकार से उनका शोषण करते हैं। पहले ये जमींदारी करके उनका शोषण करते थे अब पुलिस को मिलाकर चोरियां और डकैतियां डालते हैं और पिछड़ी जाति तथा हरिजनों के यहां चोरियां, डकैतियां, और राहजनी करते हैं । उनके खेत छीनते हैं। मैंने कई सुझाव बार-बार दिये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । जो ऊंचे अधिकारियों से और पुलिस से मिलकर दलाली करते हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं उनको बराबर बन्दूक के लाइसेंस दिये जाते हैं कई सुझाव मैंने डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० एम० और कमिश्नर को दिये किन्तु सरकार उनको न देकर उनको देती है जो ऊंची जाति वाले हैं और उनके प्रभाव में रहते हैं । उनकी हैसियत को देखा जाय तो पता चलेगा कि वे खेती नहीं करते हैं लेकिन लेखपाल के कागज पर उनके खेतों पर बराबर खेती होती है।

अगर पिछड़ी जाति को उठाना है तो बिना मुनाफे की जमीन से लगान न लिया जाय। सोशलिस्ट पार्टी ने इस तरह के कई सुझाव दिये हैं जिससे इस तरह की समस्यायें हल हों ।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

विदेशों से आपको अनाज नहीं मांगना पड़ेगा। यहां के गरीबों को राहत मिलेगी। देश तरक्की करेगा। आपने हद मुकर्रर की लेकिन आज भी जमीन पर कब्जा ऊंची जाति वालों का है जो कि जमीन को जोतते नहीं हैं। लेखपाल की कलम का हल कागज पर हल रहा है। वे जमीन के मालिक हैं। जिनके बैल और हल धरती को चीरते हैं उनके नाम उस जमीन पर नहीं हैं। तो फिर उस हद से क्या लाभ है। अगर उनको सरकार उठाना चाहती है तो आज उनको आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक बराबरी दीजिये लेकिन देखते यह हैं कि सरकार की तरफ से दो जबान की बात कही जाती है। यहां पर दूसरी बात और जनता के बीच में बात दूसरी तरह की, की जाती है।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव पास होने की बात आती है तो उसको वापस लेने की कोशिश की जाती है और हरिजन या पिछड़ी जाति के लोगों पर अनुशासन की कार्यवाही करने की बात करते हैं। हमारे भाई महीलाल जी ने कहा कि अगर कोई राज्य जाति के आधार पर चलेगा तो देश टूटेगा लेकिन सरकार अगर वर्ग की बात मानेगी तो उस वर्ग का शोषण जरूर होता रहेगा। सरकार को वर्ग विहीन और जाति विहीन होना चाहिये। अगर अंग्रेजी शासन के जमाने में इस देश में जब कि हम लोग आजादी के लिये लड़ रहे थे उस समय लोगों के अन्दर जाति की बात अधिक होती तो यह देश आजाद नहीं हो सकता था लेकिन जब से यह कांग्रेस शासन आया है और प्रजातन्त्र हुआ है तब से जातीयता बराबर बढ़ी है और हर तरह से बढ़ी है। सोशलिस्ट पार्टी बराबर कहती है कि जब तक इस देश से जाति और भाषा का झगड़ा खत्म नहीं होगा तब तक यह देश उठ नहीं सकता है। सरकार कहती है कि योग्यता के आधार पर उनको स्थान दिया जाता किन्तु जैसा महीलाल जी ने कहा कि जो जन्म से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं और जिनका रहन-सहन, खाना-पीना, कपड़ा पहनना अच्छी हालत में रहा है उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी लेकिन जिनको दूसरे वातावरण का सामना करना पड़ता है वे कम्पिटीशन में कामयाबी कठिनता से हासिल करते हैं या बिल्कुल करते नहीं हैं।

मैं तीन तरह के लिखने पढ़ने वालों की श्रेणी बतलाता हूं। एक तो वह जिनकी वाणी जन्म से ही अंग्रेजी भाषा है। दूसरे ए० बी० सी० डी० के खतौनी से पढ़कर सीखते हैं और तीसरे छठें दर्जे से अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब आप बतलाइये कि इन्टरव्यू में कौन सा लड़का पास होगा? वही लड़का पास होगा जो साधन सम्पन्न है। वह अच्छी डिवीजन में पास होगा। वही ऊंची नौकरी तक पहुंचेगा। आप योग्यता की बात कहते हैं। सरकार को चाहिये कि योग्यता की बात न करके उनके लिये स्थान रिजर्व करे जिससे उनको मौका मिल सके। पहले सरकार को उनको मौका देना चाहिये। अगर किसी को आप तैरना सिखाना चाहते हैं और उनको पानी के पास जाने देना नहीं चाहते तो फिर वह कैसे तैरना सीख सकता है। अगर उसको तैरना सिखाना चाहते हैं तो पानी के पास जाने दीजिये तभी वह थपथपा कर तैरना सीखेगा। अगर सरकार पिछड़ी जाति को उठाना चाहती है तो उनके लिये जगह रिजर्व कीजिये और उनके लिये स्थान छोड़ दीजिये और उस काम में उनको लगायें, तब वह ज्यादा से ज्यादा उस काम को सीख जायेंगे। हम तो यह कहते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वह ज्यादा ईमानदार हैं। जो जितनी ऊंची जाति से नीची जाति में जायगा वह उतना ही ईमानदार होगा और जो नीचे की जाति से ऊंची जाति में जायगा वह उतना ही ज्यादा चालाक और बेईमान होगा।

कांस्टेबिल की मिसाल आपको दूं। वह कम लिखा पढ़ा है, छोटे मोटे मामले दबाता है, लेकिन थानेदार पढ़ा लिखा है और बड़े-बड़े कत्ल डकैतियों को दबा देता है। ऐसा पर्दा छोड़ता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। इसी तरह से एस० पी० और डी० आई० जी० ज्यादा पढ़ा लिखा, चालाक और बुद्धिमान होता है, वह उससे बड़े मामलों पर पर्दा डालता है। वह सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है। एक मिसाल याद आ गयी। गांधी

जी ने डाक्टर राममनोहर लोहिया से कहा था कि तुम बुद्धिमान हो, बहादुर भी हो, लेकिन ऐसे बहादुर न होना जैसे शेर होता है और ऐसे बुद्धिमान न होना जैसा वकील होता है । शेर हमेशा अपने से कमजोर पर हमला करता है और वकील झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देता है । बुद्धिमान के माने यह हैं कि जो सच और झूठ अलग-अलग कर दे और बहादुर के माने यह हैं कि जो अपने से कमजोरों की सुरक्षा करे और अपने से बड़े से लड़ाई लड़े । आज हिन्दुस्तान में सरकार कमजोरों पर ही हमला करती है ।

आज यहां हरिजन, अनुसूचित जातियाँ और बैकवर्ड ८३ प्रतिशत हैं । अगर सरकार ने उनको उठाया होता तो चीन की हिम्मत हमारी १२ हजार वर्गमील भूमि पर कब्जा कर लेने की न होती । चीन तो क्या रूस की हिम्मत भी न पड़ती । यहां एक एक बिस्वा जमीन के लिये कत्ल हो रहे हैं, लेकिन वहां १२,००० वर्गमील भूमि चीन दबाये बैठा है और उसके लिये किसी को दुख नहीं है । सभी सोचते हैं कि 'कोई नृप होय हमें का हानी'। आज सरकार १३ साल के अपने शासन में उसका उत्थान नहीं कर पायी और इसका नतीजा यह है कि हिन्दुस्तान कमजोर और नपुंसक होता जा रहा है । एक नपुंसक चाणक्य यहां बैठ गया है । हमारा फर्ज है कि उसको हटायें और सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत बनायें । मेरा सुझाव है कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाय और जब तक पिछड़े वर्ग के लोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं में दूसरों के बराबर न आ जायं, उनके लिये जगहें सुरक्षित रखी जायें और उसके बाद योग्यता के आधार पर उनको मौका दिया जाय ।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—यह तीसरी बार कोरम की समस्या उपस्थित हुई है । बहुत से माननीय सदस्य चले गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—अभी तो डिवीजन होने वाला है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह कब तक घंटी बजती रहेगी ?

श्री अधिष्ठाता—हर पार्टी के नेता को यह प्रयत्न करना चाहिये कि सदन में कोरम हो और वक्त जाया न हुआ करे ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मुझे खेद है कि हमें आज भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना होता है जो विशिष्ट जाति वालों से संबंध रखते हैं । कुछ हमारे सामने वास्तव में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनसे मजबूर होकर हमें इस तरह के प्रस्ताव यहां सदन के सामने लाने पड़ते हैं और श्री श्यामलाल जी को भी मजबूर होकर इस प्रस्ताव को लाना पड़ा है ।

मान्यवर, हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे अपने देश में जिसमें जाति पांति का भेद न हो, अमीर और गरीब का सवाल न होगा । इस बात के लिये हमारी सरकार की ओर से बराबर प्रयत्न होता रहा है और आगे जारी भी है । हरिजन वर्ग को, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ऊपर उठाने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है । जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको हमारी सरकार ने बहुत सी सहूलियतें भी दी हैं, किन्तु मैं समझता हूं उनसे समाज को उतना लाभ न हो पाया, जितना कि नुक्सान हुआ । उन सुविधाओं के कारण अन्य वर्ग के लोग

[श्री रामजीलाल सहायक]

उन्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं । उनको सुविधायें मिली हैं, और तरक्की भी हुई । लेकिन साथ ही साथ इन वर्गों की निगाह में हरिजन वर्ग ऐसे दृष्टि से देखा जाता है जो नहीं देखा जाना चाहिये, यहां पर लोग कहने की जुर्रत करते हैं कि अब क्या है, अब तो इन्हीं का राज्य है । उससे जाहिर ही है कि हमें जहां लाभ हुआ वहां यह नुक्सान भी हुआ और हम दूसरे वर्गों की निगाह में, उनकी आंखों की किरकिरी बने गये । यही नहीं, इन सुविधाओं की वजह से हरिजन वर्ग के विद्यार्थियों में या मनुष्यों में आत्म-विश्वास की भावना में कमी आयी । मुझे अपने जमाने की बात याद है जबकि कोई वजीफा नहीं था, सहूलियतें नहीं थीं, लेकिन उस जमाने के विद्यार्थी जिस मेहनत से पढ़े उससे वह अच्छी तरक्की पर गये और आज कई प्रकार की सहूलियतें होने पर भी वे मेहनत से नहीं पढ़ते । वह समझते हैं कि हमें सहूलियतें मिलेंगी, लेकिन वह मिल नहीं पाती । एक अजीब हैरत और परेशानी होती है ।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए ।)

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सब प्रकार की सहूलियतें हैं लेकिन जब यह प्रश्न किया जाता है कि १८ फीसदी जो संरक्षण है हरिजनों का वह क्यों नहीं पूरा किया जाता, तो जवाब दिया जाता है कि उनमें योग्य व्यक्ति नहीं मिलते । अब यह प्रश्न होता है कि एक तरफ तो यह सुविधाएं और सहूलियतें हैं और दूसरी तरफ उनका पूरा न होना और फिर हरिजनों के नाम पर एक और बात आती है कि जो अयोग्य हैं वह किस लिए ? या तो जो उनको सहूलियतें दी जाती हैं उनका दोष है या जो अयोग्यता का सर्टिफिकेट दे देते हैं उनका दोष है, कहीं खराबी जरूर है । मैं समझता हूं कि इन सुविधाओं की वजह से जो आत्मविश्वास की भावना में कमी हुई उसके साथ ही अगर बुरा न माना जाय तो यह कहूं कि कुछ आलस का भाव भी आया । इतना ही नहीं, जातिवाद भी बढ़ा ।

हम लोग रोज यहां खड़े होकर कहते हैं कि जातिवाद और साम्प्रदायिकतावाद बहुत खराब चीज है, उसका बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन सब उसमें लिपटे हुए हैं । जातिवाद नष्ट करेंगे और अग्रवाल सभा में जाकर चाय पीयेंगे । जातिवाद नष्ट करेंगे और जातिवादी सभाओं में भाग लेंगे, जातिवाद पर ही मिनिस्ट्री बनायेंगे । जातियों के नामों पर सब चीजें होनी हैं । तो जाहिर है कि जातिवाद मिटने वाला नहीं है, साम्प्रदायिकतावाद मिटने वाला नहीं है । जब तक ऐसे प्रश्न हमारे सामने बने रहेंगे तब तक ये समस्याएं उलझी ही रहेंगी । तो मैं भाई श्यामलाल जी से निवेदन करूंगा कि जो ३ साल की छूट चाहते हैं वह साथ ही इन पिछले वर्षों में हरिजन वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं उनकी तरफ देखें कि जो तरक्की हुई हैं वह तो हुई हैं, लेकिन जो तनुज्जली हुई है हरिजन समाज की उसको भी देखें । अगर वह विचार करेंगे तो वह इस नतीजे पर आयेंगे कि ऐसी सहूलियतों से कोई विशेष फायदा नहीं होता जो और ३ या ५ साल की छूट मांगी जाती है यह गलत साबित होगी और फिर ऐसे प्रस्तावों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता ।

मान्यवर, मैं तो इसकी जगह यह कहने के लिए तैयार हूं कि बजाय इस प्रकार की सहूलियतें मांगने के हम समाज के जो अंग पिछड़े हुए हैं, किसी तरह से उनमें सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ऐसा प्रचार करें कि उनमें आत्म-विश्वास आये और वह अपनी उन्नति के लिए स्वयं सजग होकर आगे बढ़ें ।

जहां तक सहूलियतों का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार ने बैकवर्ड कमीशन की स्थापना की, वह देश में जगह जगह घूमा और पिछड़े वर्ग की स्थिति को उसने हर प्रकार से देखा और कुछ सिफारिशें की । यद्यपि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट सामाजिक रूप में प्रकाशित हो कर नहीं आयी लेकिन फिर भी उसकी कुछ सिफारिशें हैं । मैं समझता हूं यदि इस बात पर जोर दिया जाय कि बैकवार्ड कमीशन की जो सिफारिशें हैं और जो उनकी खोज थी, उसके अनुसा समाज

के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान की ओर ध्यान दिया जाय तो वह ज्यादा बेहतर बात होगी, बजाय इसके कि हम तीन या पांच साल की छूट मांगे। हमको इस बात पर जोर देना चाहिये कि सरकार बैकवर्ड क्लासेज के उत्थान के संबंध में बैकवर्ड कमीशन की जो सिफारिशें हैं उन पर ध्यान दे और उनको लागू करे। इससे ज्यादा लाभ हो सकेगा और जातिवाद मिट सकेगा। अगर इस दिशा में श्री श्यामलाल जी और हम सभी लोग सोचें और उसी दृष्टि से इस प्रस्ताव को देखें जिसमें न महज पिछड़े वर्ग की बात आये बल्कि और वर्गों की भी बात आ सके तो ज्यादा लाभ की बात होगी। इन शब्दों के साथ इस संकल्प पर मैं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखते हुये भी इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, समाज के विकास के क्रम में एक समय ऐसा आता है जब जातियों का जन्म होता है। जिन परिस्थितियों में जातियों का जन्म होता है वे परिस्थितियां ज्यों-ज्यों बदलती हैं त्यों-त्यों जातियों का भी लोप होता है और एक समय ऐसा आता है जबकि उनका पूर्ण अवसान हो जाता है। इस दृष्टिकोण से संसार के सभी देशों में जातियों का प्रादुर्भाव समय-समय पर हुआ। विशेषकर जातियां सामन्ती व्यवस्था की उपज हैं। हमारे देश में भी चूंकि सामन्ती व्यवस्था बहुत लम्बे काल तक रही, उस दौरान में हमारे देश में भी जातियों का विकास हुआ। वैदिक युग को अगर हम देखें तो ऋग वेद के प्रारम्भिक काल में एक समय था जब जातियों का कहीं नाम भी नहीं था। बाद में चार जातियों, चार वर्गों का जिक्र आता है, और उसके बाद में तो लोग जो पेशे करते रहे हैं उसी नाम से उनकी जाति बन गई। इसमें बाहर से आई जातियों के कारण और बल मिला, इतिहास के क्रम में जब अनेक जातियां हमारे देश में बाहर से आई तो उनके सम्मिश्रण से नाना प्रकार की उप-जातियां भी बनती चली गईं। किसी समय में इन जातियों का कोई उपयोग रहा हो, उसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन हमारे देश की वर्तमान स्थिति में ये जातियां एक अभिशाप हो गई हैं। ये जितनी जल्दी खत्म हो सकें उतना ही अच्छा है। लेकिन यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जब तक सामाजिक पृष्ठभूमि मौजूद है तब तक जातियां मिटेंगी नहीं। विशेषकर जब तक हमारे यहां से सामन्ती व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन नहीं हो जाता और नयी प्रकार की समाजवादी व्यवस्था स्थापित करके हम आगे नहीं बढ़ते तब तक हमारे देश में जातियां बनी रहेंगी।

पिछड़ी जाति कौन है यह एक विवाद का विषय है। मान्यवर, यह बात सभी को विदित है कि इस पर भारत सरकार ने इसीलिये अपनी कोई स्पष्ट नीति व्यक्त नहीं की है कि आर्थिक आधार पर पिछड़ी जाति मानी जाय या जातिगत आधार पर। यह बड़े विवाद का विषय है और बड़ा पेचीदा भी है। ऐसी जातियां हैं जो पूरी की पूरी हर प्रकार से पिछड़ी हुई हैं लेकिन वे ऊंची कही जाने वाली जातियों में से हैं जिनमें पिछड़ापन किसी पिछड़ी कही जाने वाली जाति से कम नहीं है। इसके अलावा ऐसे पिछड़ी कहीं जाने वाली जातियां भी हैं जिसका बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिनमें किसी भी प्रकार से पिछड़ापन नहीं है, चाहे वह शिक्षा का हो, आर्थिक हो, रहन सहन का हो, या जमीन जायदाद का हो। इसलिये मेरा अपना विचार यह है कि यह एक विवाद का विषय है और इस पर किसी की निश्चित राय नहीं बन पायी। इसमें मेरी अपनी राय यह है कि पिछड़ी जाति के निर्धारण की आधारशिला जातिगत तथा आर्थिक दोनों की होनी चाहिये। इन दोनों आधारों पर ही किसी जाति को पिछड़ी जाति की निश्चित संज्ञा से घोषित किया जा सकता है।

जातियों में एक समस्या और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह कि यहां पिछड़ी जाति कौन है और उससे आगे वाली कौन है, यह भी एक झगड़ा यहां चला आता है। मिसाल के तौर पर पिछड़ी जातियों में सबसे आगे की जाति मानी जाती है, अहीर। वह और दूसरी पिछड़ी हुई जातियों से अपने को ऊंचा मानती है लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ, इनसे अपने को छोटा समझती है। एक कुर्मी जाति

[श्री झारखंडे राय]

है जो अपने प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में पायी जाती है । कुर्मी और अहीर ये दो जातियां अपने प्रदेश की रीढ़ मानी जाती हैं । कुर्मी जाति अपने को अन्य पिछड़ी हुई जातियों से बड़ा मानती है लेकिन यादवों से अपने को छोटा समझती है । इस प्रकार यह छोटे बड़ों की एक सीढ़ी बनी हुई है जिसमें शादी-विवाह, खान-पान, रहन-सहन में अजीब भेद पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि समस्त पिछड़ी जाति कोई एक टुकड़ा हो ।

हमें इस सिद्धान्त को मान लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह सिद्धान्त उदार ही नहीं बल्कि न्यायिक दृष्टिकोण से भी यह यह बात सत्य है कि हम में जो पिछड़ा हुआ है, चाहे शरीर से, चाहे बुद्धि से, चाहे विवेक से, चाहे धन या संपत्ति से और चाहे सामाजिक दृष्टि-कोण से, किसी माने में भी अगर वह पिछड़ा हुआ है, उसको हमें इतनी सहूलियत देनी चाहिये जितनी हम दे सकते हैं, चाहे उसके लिये हमें अपना पेट काटना पड़े, अपना कपड़ा देना पड़े लेकिन उसको देना अवश्य चाहिये ताकि वह तेजी से अपना विकास करके हमारे सम्मुख खड़ा हो सके । इतनी नम्रता हमें पिछड़ी जाति के प्रति बरतनी चाहिये क्योंकि उनको एक लाइन में खड़ा करके ही सारे समाज का विकास हम कर सकते हैं । यही बात हम सोवियट यूनियन के विकास के इतिहास में देखते हैं क्योंकि वहां भी १६ प्रजातंत्र हैं लेकिन उनमें भी ऐसे प्रजातंत्र हैं, जैसे बुखारा के नवाब का इलाका जिसके पांच प्रजातंत्रीय टुकड़े हुये हैं और जिनमें इस प्रकार की घुमक्कड़ जातियां थीं जिनकी भाषा तो एक भले ही थी लेकिन उनकी कोई लिपि नहीं थी । और हर माने में जो पिछड़े हुए हैं, चाहे वे ब्लैक रशियन हों या व्हाइट रशियन हों, सबको एक मुकाबले की स्थिति में लाने की बात थी लेकिन समाजवादी व्यवस्था का इतनी तेजी से विकास हुआ कि हम यह तो नहीं कह सकते कि उनके समकक्ष वे पहुंच गये हैं लेकिन करीब-करीब उनके समान पहुंच चुके हैं । तो उन्होंने भी इस सिद्धान्त को लागू किया कि हममें से जो पिछड़े हुए रिपब्लिक्स हैं, उसकी तरफ विशेष ध्यान दें और उसे इतना आगे बढ़ावें कि वह बढ़े हुओं के साथ खड़ा हो जाय । वही नीति हमें अपने प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके तथा अपने प्रदेश की पिछड़ी जातियों के बारे में भी अपनानी चाहिये । मामूली सी बात अपने परिवार की ही ले लीजिये अगर सचमुच कोई पिता माता या बहन है जिसके दो बच्चों में से एक तो दुबला पतला है और दूसरा हृष्ट पुष्ट है तो उसका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने हृष्ट-पुष्ट बच्चे के मुकाबले में कमजोर बच्चे को अधिक दूध पिलावे ।

मेरा खयाल यह है कि पिछड़ी जाति कमीशन जो सरकार की तरफ से बना थी उसकी रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में शायद पूरी तरह से विचार भी नहीं हो सका, उसके लागू करने की की बात तो दूर है । यह बड़े अफसोस की बात है कि लाखों रुपये खर्च करके एक कमीशन बने, जो सारे देश में घूम करके अपनी रिपोर्ट बनावे, उसको लागू करने की बात तो दूर की है, उस पर पूरी तरह से विचार भी नहीं हो सके । यह एक ऐसी अवस्था है जिसका अंत होना चाहिये । क्या यह केवल कुछ लोगों को जीविका देने के लिये कुछ लोगों को तनख्वाह देने के लिये और कुछ लोगों को भत्ते देने के लिये ही बनाया गया था ? क्या सरकार की यही नीति है कि जब किसी तरह की मांग हो तो उसके लिये कमीशन बैठा दिया गया जाय और फिर बाद में उसकी रिपोर्ट को शेल्व कर दिया जाय, फिर कौन पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ?

मैं चाहता हूं कि हमारे देश में वह रिपोर्ट जरूर लागू होनी चाहिये । जहां तक आज की स्थिति में उसकी मान्यतायें व सिफारिशें लागू होने के योग्य हों, उन्हें लागू करना चाहिये । जहां तक श्यामलाल जी का प्रस्तुत प्रस्ताव है वह बिल्कुल सीधा है । पुलिस विभाग में कुछ सुविधायें पिछड़ी जातियों को मिली हुई हैं और यह सही बात है कि पिछड़ी जाति के लोग आमतौर पर गरीब होते हैं । उनके बच्चे बचपन से ही बकरी चराते हैं, कुछ बड़े होने पर गाय भैंस चराते हैं, गोबर उठाते हैं, खेती बारी करते हैं तथा और अन्य कामों में अपने मां बाप की मदद करते हैं। लेकिन आज की हवा में सरकारी सुविधाओं के आधार पर वे शिक्षा में

भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं । ऐसी अवस्था में उनका विकास होना लाजिम है । ऊंची जातियों के बच्चों की अपेक्षा पिछड़ी जातियों के बच्चे देर से स्कूल में जाते हैं इसलिये उनको उम्र में थोड़ी सुविधा मिलनी चाहिये जो कि कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं है । इस बात को सरकार को अवश्य मान लेना चाहिये ।

पुलिस विभाग में यह सुविधा पहले से दी गयी है । मैंने बहुत पहले भी कहा था कि मुझे यह बात बहुत खटकती है कि आई० ए० एस० या ऊंची सर्विसों में जहां गुण की या क्षमता की बड़ी जरूरत है, हम मानते हैं कि उनमें प्रतियोगिता की जाय लेकिन जो छोटी नौकरियां हैं, बहुत छोटी हैं और जिनमें कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, जैसे सेकेंड या थर्ड क्लास मैट्रिक हो, या फर्स्ट सेकेंड क्लास हो तो उसमें नम्बरों का बहुत थोड़ा फर्क होता है, उन छोटी नौकरियों में भी सरकार पिछड़ी जाति के लोगों को उनका प्रतिशत नहीं दिला सकी, यह बड़े अफसोस की बात है और उधर कोई गति तेज नहीं है । उसका ढांचा ही ऐसा है जो एक लीधड़ तरीके से चल रहा है, जो हो जाय वह हो जाय । लेकिन ऐसा मालूम नहीं होता कि सरकार या मंत्री जी की तरफ से कोई विशेष प्रयास इस दिशा में हो रहा हो । केन्द्र में माननीय जगजीवनराम के बारे में मैंने जरूर सुना है कि रेलवे में उन्होंने कोई विशेष प्रयास किया है जिससे कि सारे देश में एक बड़ा हड़बौंग मचा कि हरिजन भरे जा रहे हैं सब जगह हरिजन ही हरिजन लिये जा रहे हैं और यह शोर मचा कि अब हम कहा जायंगे अगर सब नीची जाति के ही ले लिये गये तो हो सकता है कि कोई विशेष प्रयास उन्होंने किया हो लेकिन हमारे मंत्री जी कोई विशेष प्रयास कर रहे हैं या नहीं । ९ साल से मैं भी सदन में हूं और इस अर्से में न मालूम हरिजन विभाग से कितना साहित्य छप गया होगा उनके लिये न मालूम कितनी योजनायें बनी होंगी--

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जायं, ठीक है ।

(घंटी बजाई गई)

श्री झारखंडेराय--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था .....।

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जांय, अभी कोरम नहीं हुआ ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता--अब आप भाषण जारी करें ।

श्री झारखंडेराय--मैं यह कह रहा था कि इस दिशा में सरकार की ओर से विशेष प्रयास नहीं हुआ ज्यादा मुझे मालूम नहीं है अगर गलत हो तो मंत्री जी सुधार कर दें । मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों को छोटी-बड़ी सभी नौकरियों में प्रतिशत बढ़ाने की सुविधा दी जाय ताकि थोड़े समय में ही उनका प्रतिशत पूरा हो जाय । जो श्री श्यामलाल यादव की मांग है कि ३ साल की अवधि इन जातियों के लिये सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में बढ़ाई जाय मैं उसको उचित समझता हूं और मेरा विचार है कि इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को, पढ़े और बिना पढ़े सभी लोगों को अधिक मौका मिलेगा और प्रतिशत को पूरा करने में आसानी होगी इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसको मान लेगी ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प माननीय श्यामलाल यादव ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज इस संकल्प पर सदन में बहुत बातें कहीं जा रही हैं, लेकिन यह संकल्प केवल ढाई लाइन का है और

[श्री गंगाप्रसाद]

इसमें हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की दिली भावना निहित है। वह भावना यह है कि आज की परिस्थिति में जिस प्रकार पिछड़ी जाति के लोगों तथा हरिजनों पर जो सरकारी अधिकारी अत्याचार करते हैं और जो उनका शोषण करते हैं वह सब भावना इसके पीछे है। आज आप कहीं भी जायें किसी विभाग को ले वहां पर सबसे पहले यही बात आती है कि नौकरियों में उनको जगह दी जाय, लेकिन वह क्यों नहीं दी जाती। मुझे याद आ गया अभी हाल में ही मुख्य मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने इसी सदन में हरिजनों की ग्रान्ट पर कहा था कि हरिजनों को सरकारी नौकरियों के पीछे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये। आज सब से बड़ी चीज यह है कि अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जमाने में और उसके पहले इस देश में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को विद्या पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन आज जब उनमें थोड़ा सा का संचार हुआ है तो वह सब नौकरियों की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर जाने पर अब जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसी बात कह दी तो विभाग के लोग उनको नौकरियों में अब न लेंगे और कहेंगे कि तुम इस लायक नहीं हो। जबकि मिनिस्टर यह कहते हैं तो अधिकारी लोग हम लोगों की बात कैसे मानेंगे।

कहा जाता है कि मेहनत करनी चाहिये। अभी ब्रजनारायण जी ने कहा कि देश के मेहनतकशों के ऊपर समाजवाद की भित्ति बननी चाहिये। समाजवाद की भित्ति हरिजन और पिछड़ी जाति के ऊपर बनने वाली है अभी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है। एक बात उन्होंने और कही कि अगर रिजर्वेशन न होता तो यहां पर हरिजन न आते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति देश में आ गई है कि हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों की आबादी ८० प्रतिशत है और कोई ऐसा प्रान्त नहीं है जहां पर हमारा बहुमत न हो लेकिन आज हम पिछड़े हुए हैं इसलिये एक जगह को छोड़कर और सारे प्रदेशों में आज हमारा कोई नामोनिशां नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है।

अभी पिछले आम चुनाव में रिजर्वेशन की सीट पर जहां हरिजन खड़े हुए थे वहां से २ हरिजन जीतकर आये और सवर्ण लोग हार गये। धीरे-धीरे जागृति आ रही है और इसी जागृति के कारण संविधान में परिवर्तन करना पड़ा और डबल सीट के बजाय सिंगिल सीट करनी पड़ी यह हालत आज हो गई है और सन् ६२ में कहीं ऐसा न हो कि सवर्ण भाई, जो ऊंचे कहलाते हैं वह न आवें और पिछड़ी हुए लोगों की हुकूमत बने।

हमें तो यह देखकर ताज्जुब होता कि एक तरफ तो जनता की मांग पर राष्ट्रपति ने काका कालेलर की अध्यक्षता बैकवर्ड कमीशन बनाया और कमीशन हर प्रान्त में गया और लोगों से बयानात वगैरह लिये और लाखों पया उसमें खर्च किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने रिपोर्ट दे दी तो सरकार उसको लागू नहीं करती है। पता नहीं कौन-कौन लोग उसके पीछे हैं जो नहीं चाहते कि बैकवर्ड लोग आगे बढ़ें। कम्युनिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा है। यह भावना तो आप लोगों ने ही पैदा की है। आप भी ब्राह्मण जाति के हैं आपने यह भावना पैदा की है। आज भी कोई शर्मा है कोई अग्रवाल है और कोई अपने आप को सिंह लिखता है। ऊंची जाति के लोगों ने ही यह बात पैदा की है। अगर यह भावना न होती तो देश का नक्शा ही कुछ और होता। यह जातिवाद की भावना खत्म कैसे हो? कोई भी बड़ा नेता जाता है तो पंडित जी के यहां या धनी व्यक्तियों के यहां जाता है गरीब के यहां नहीं जाता। वह कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम कायस्थ हैं। इस तरह से ऊंचे लोग जातिवाद पैदा करते हैं।

हमारे इसी प्रान्त के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने एक बात कही थी। एक कान्फरेंश हुई थी संसद की उस कान्फ्रेंस में उन्होंने जो अपना बयान दिया उसको भी आप सुन लीजिये। यूं तो सरकारी प्रवक्ता किसानों की हालत के बारे में सदा यही कहा करते हैं कि उनकी हालत सुधर

रही है किन्तु एक बार राज्य में तत्कालीन मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने ग्रामीण समाज का सही चित्र खींचने की कोशिश की। १९५९ में उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों के सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा :—

"जो छोटे काश्तकार हैं, कुछ अभी पनप नहीं पाये और न पनप पाते हैं। गांव को आप देखिये। गांवों की जो हालत है वह यह है कि आज भी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, और मुसलमान डामीनेट करते हैं। आज जो गांवों की सोशल लाइफ (सामाजिक जीवन) है वह डोमीनेटेड (प्रभावित) है ब्राह्मणों, मुसलमानों, कायस्थों और ठाकुरों से। अब तो पिछड़े वर्ग के आदमियों के लिये कहीं-कहीं पर कुछ आने लगा है, लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर (सामाजिक ढांचा) है विलेज (गांव) का वह अब भी उतना ही खराब है जितना पहले था।"

यह डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने संसद सदस्य सम्मेलन में कहा था। तो देखा जाय हमारी हालत देहातों में क्या है? कोई भी हरिजन या पिछड़ी जाति का पहले स्कूल में नहीं पढ़ पाता था। लेकिन जब पढ़ने लगे तो उनको नौकरी में पूंछता नहीं। अभी हाल ही में परसों या नरसों एक सवाल था रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित जिसमें सारे लड़कों ने दरख्वास्तें दीं, इंस्पेक्टर का सेलेक्शन था लेकिन हरिजनों को न कार्यालय से बुलाया और न बाहर से। यह हालत है तो किस तरह से हमारी तरक्की हो।

माननीय झारखंडेराय ने कहा कि हरिजनों की अगर गाथा लिखी जाय उनके दुख दर्द की तो पोथी हो जाय। लेकिन उसको सुलझाने का तरीका किसी ने कहीं बताया। आज उनकी हालत रोज-बरोज खराब होती जा रही है। इस प्रस्ताव के मानने में कोई दिक्कत सरकार को नहीं होनी चाहिये केवल तीन साल की छूट मांगी गई है और यह छूट अगर वाजिब है तो जरूर मिलनी चाहिये और अगर वाजिब नहीं है तो नहीं देनी चाहिये। जब उनकी हालत खराब है उनके बच्चों की हालत खराब है तो उनको छूट अवश्य मिलनी चाहिये।

एक तरफ बड़े लोगों के लड़के आते हैं जिनको सभी प्रकार की खाने-पीने तथा पढ़ने की सुविधायें मिलती हैं, होती हैं और दूसरी तरफ उन गरीब हरिजनों के लड़के आते हैं जिनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो स्पष्ट है कि उनके साथ वह चुनाव में कहां आ सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि हरिजन या पिछड़ी जति के लड़के अगर किसी कम्पटीशन या चुनाव में आयें तो उनका चुनाव उन्हीं की जाति के लड़कों में से होना चाहिये न कि सब जाति के लड़कों के साथ हो। अगर ऐसा होता है तो वे बेचारे अपनी गिरी हालत के कारण सवर्ण लोगों के लड़कों के सामने चुनाव में नहीं चुने जाते हैं। यही कारण है कि वह आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

माननीय फूलसिंह जी जब नियोजन मंत्री थे तो उन्होंने चपरासियों के लिये कह दिया था कि हरिजनों के अलावा और कोई चपरासी के पद पर नियुक्त न किया जाय। परन्तु इस आदेश को भी विभाग ने नहीं माना और दूसरी जाति के लोगों को नौकरी में चपरासी रखा।

अभी हाल में प्रदेश की सरकार ने श्री राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में हरिजन कमीशन नियुक्त किया और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है। लेकिन उस पर अभी कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर रही है। पता नहीं १९६२ के बाद उस पर ध्यान होगा या पहले होगा? लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि हरिजनों के लड़के नौकरियों पर ध्यान न दें तो हम क्या करें। बाजार में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे व्यापारों को दूसरे लोगों ने ले लिया। चमड़े का व्यापार बड़े-बड़े लोगों ने ले लिया, धोबी का व्यापार लांडरियां खोल कर बड़े-बड़े लोगों ने ले लिया। तो हमारा कैसे उद्धार हो? इसलिये मैं भाई श्यामलाल जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस संकल्प की भावना का समर्थन करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प चल रहा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर हम अपने समाज का ढांचा देखें तो हमको पता चल जायगा कि हमने अपने देश और प्रदेश के अन्दर क्या क्या कर्म किये। हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। अब शूद्र का अगर हम विभाजन करें तो एक तो वे शूद्र हैं जो अनटचेबिल हैं और दूसरे वे जो टचेबिल हैं यानी बैकवर्ड। तो फर्क बैकवर्ड और हरिजन में केवल टचेबिल और अनटचेबिल का है। बाकी उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी अवस्थायें एक सी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। आज जब हम इस प्रस्ताव पर विचार करने खड़े हुये हैं तो कुछ महानुभाव यह कहते हैं कि रिजर्वेशन या छूट जो उम्र में दी जा रही है वह नहीं दी जानी चाहिये। हां, इस सिद्धान्त से मैं कुछ सहमत हो सकता हूं लेकिन जब एक के बाद एक पंचवर्षीय योजना चल रही है उनका इस हरिजन और पिछड़ी वर्ग पर कैसा असर पड़ता है यह भी विचारने की चीज है। महात्मा गांधी ने अपने बलिदान से पहले कुछ शब्द कहे थे जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन रिपोर्ट में दिये हैं। उसमें लिखा है :--

"I invite the reader's attention to the following words of the Father of the Nation spoken during prayers before his assassination of the subject of Kisan. The last words translated into English run thus ;—

'In reality he (i. e. Kisan) is the sovereign of India, but we have kept him as a slave.'

This shows that in his opinion this country really belonged to the Kisan who means none other than the Shudras or the Backward Classes consittuting Scheduled Castes. Scheduled Tribes and other Backward Classes and hence if they be given back the Raj of their country it would not be unjust or unfair."

इन शब्दों से साफ मालूम होता है कि यहां का किसान ही बादशाह था, सब कुछ था, लेकिन परिस्थितिवश उसको गुलाम बना दिया गया और अगर कोई वास्तव में इस देश म हुकूमत करने के लिये है तो वह किसान है ऐसा महात्मा गांधी ने अपने बलिदान से पूर्व कहा था। तो फिर आज किस के लिये बहस चल रही है ? जब हरिजन और बैकवर्ड में केवल टचेबिल और अनटचेबिल का फर्क है और बाकी सब समानता है तो जो उपमंत्री बैठे हैं क्या वे बता सकते हैं कि जो तीन साल की आयु में छूट मांगी जा रही है यह कौन सी बड़ी भारी रियायत की बात है ? हमारे कांस्टीटूशन के आर्टिकल १६(४) में लिखा है :--

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

क्या आज मंत्री जी यह बता सकते हैं कि सर्विसेज में बैकवर्ड क्लास का कितना रिप्रेजेंटेशन है। हम यह देखते हैं कि जहां के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है और जिन जगहों के लिये कोई योग्यता की जरूरत नहीं है फिर भी उनको वे जगहें नहीं दी जातीं। कहा यह जाता है कि इनएफीशेंट और सूटेबिल नहीं हैं। यही कह कर अंग्रेज भी टाला करता था। नकल करने में हिन्दुस्तान का प्रत्येक आदमी बहुत माहिर है। कांग्रेस सरकार उसका अक्षरशः पालन कर रही है।

श्री छत्तरसिंह--कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी।)

श्री अधिष्ठाता--कोरम का ध्यान रखिये। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है नहीं तो मैं सदन का कार्य स्थगित कर देता। यह पांचवीं बार कोरम का अभाव सदन में हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, चूंकि बैकवर्ड क्लासेज से सम्बन्धित है इसलिये किसी को दिलचस्पी नहीं है। स्थगित न कीजिये। चलने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—वह तो हर माननीय सदस्य को चाहिये कि वह सदन में रहें।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य लोग लाबी में बैठे हुए हैं। घंटी हो रही है, लेकिन नहीं आ रहे हैं। उनकी मंशा क्या है? क्या वह चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज का प्रस्ताव गिर जाय। अगर ऐसी भावना है तो आप व्यवस्था दें कि वह आयें या न आयें।

श्री अधिष्ठाता—यह कांग्रेस पार्टी के सचेतक का काम है कि वह देखें। लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वह सदन में आयें।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि जब हम यह देखते हैं कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जिनका प्रतिनिधित्व सर्विसेज में नहीं है कानून बना सकते हैं और रिजर्वेशन कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिजर्वेशन रखा गया है और उनको तीन साल की छूट भी दी गयी है। लेकिन यहां केवल एक बात मांगी जा रही है इस संकल्प के द्वारा कि बैकवर्ड क्लास के लिये तीन साल की छूट दे दी जाय। क्यों दे दी जाय मैं यह आगे चल कर बतलाऊंगा। लेकिन हम यह देखते हैं कि इन योजनाओं के अन्तर्गत बैकवर्ड क्लास पिछड़ता ही चला गया है।

जैसा कि थर्ड फाइव इयर प्लान में दिया गया है—

"The following thirteen communities have been recommended for being declared as scheduled tribes:—"

जिस वक्त कमीशन बना था उस वक्त जिस कम्युनिटी के लिये यह सोचा गया था कि इस प्लान के द्वारा इस जाति की तरक्की हम कर देंगे उसकी आज यह हालत है कि आज वही प्लानिंग कमीशन उसके लिये यह कहता है कि इन तेरह जातियों को शिड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर दिया जाय। क्यों शामिल कर दिया जाय? क्योंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत इनकी दशा हम सुधार नहीं पाये, इनको हम कहीं पहुंचा नहीं पाये। मालूम यह पड़ रहा है कि इन योजनाओं के चलते हुये जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं वह दिन पर दिन पिछड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब उन तेरह जातियों को रिजर्वेशन में रखा जा रहा है तो फिर इस पिछड़े वर्ग को केवल तीन साल की छूट देने में क्या दिक्कत है?

आज अगर प्रदेश में बैकवर्ड की शिक्षा के ही आंकड़े लिये जांय तो पता चलेगा कि इनकी शिक्षा कितनी बढ़ी है? थर्ड फाइव ईयर प्लान में जहां कि वेलफेयर आफ दी बैकवर्ड क्लासेज का चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है—

"The percentage of literacy among the backward classes is as low as five."

इससे यह मालूम पड़ता है कि पिछड़े वर्ग में शिक्षा बहुत ही कम होती जा रही है। तो आज हम यह कहें कि पिछड़ा वर्ग द्विजों के मुकाबले का हो गया है शिक्षा के अन्दर और वह दूसरों के कम्पटीशन में आ जायगा, यह बिलकुल गलत बात है। मान्यवर, मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज अपने प्रदेश के अन्दर उनकी ऐसी बुरी हालत हो गई है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं सकते, कपड़ा नहीं बनवा सकते, मकान नहीं बनवा सकते। पढ़ने का क्या कहें आज वह अपनी रोटी तक के लिये कमा नहीं सकते। छोटे बच्चे रोटी कमाने के लिये भेज दिये जाते हैं—कह दिया जाता है—जा पानी लगा ले। तो वह खेती में पानी लगाते हैं, मवेशी चराते हैं।

आज सरकार उन हरिजनों को ही देखे जिसके लिये रिजर्वेशन हैं। आज अगर केवल यह मालूम भर हो जाय बाजार के अन्दर कि यह हरिजन है तो कोई उसके यहां के छोले खाने को तैयार

[श्री हिम्मतसिंह]

नहीं होगा, कोई उसके हाथ का पानी नहीं पियेगा। इसलिये आज हमको अपने सारे ढांचे को परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर आज हममें से कोई अपना मजहब चेंज कर लेता है तो सारी चीजें उसको प्राप्त होने की सुविधायें मिल जाती हैं और अनटेचेबिल भी वह नहीं रहता है। इसी कारण आज सैकड़ों लोग इसाई बनाये जा रहे हैं। उनका धर्म परिवर्तन इसलिये किया जा रहा है कि उनको कुछ दवाइयां इत्यादि की सुविधायें दे दी जाती हैं, और उनसे कहा जाता है कि ईसा मसीह ने तुमको अच्छा कर दिया, अब तुम इसाई हो जाओ। मिशनरियां इस तरह हजारों लोगों को इसाई बना रही हैं। लेकिन यहां कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर यही रूढ़िवाद रहा तो धीरे-धीरे करके सब समाप्त हो जायेंगे। कुछ दिनों के लिये ऋषि दयानन्द आये, उन्होंने कहा कि गुण और कर्म के आधार पर यह जातियां होनी चाहिये, कोई हरिजन नहीं, कोई पिछड़ा नहीं होना चाहिये, उन्होंने उनके लिये कुछ प्रयत्न किया, लेकिन फिर जैसी कि कहावत मशहूर है कि कुत्ते की पूंछ १२ वर्ष तक नलकी में रखो लेकिन फिर वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। इसी प्रकार हमारी जो एक आदत हो गई है समाज में दूसरे के खिलाफ अत्याचार करो और दूसरों को दबाओ वह आदत छूट नहीं सकती है।

आज हम देख रहे हैं कि नौकरियों का जब सवाल आता है तो उसमें जो ऊंची जाति के लोग हैं, वह अगर गौड़ हैं तो सबसे पहले गौड़ को ढूंढ़ते हैं। फिर अगर गौड़ नहीं मिला तो ब्राह्मण ढूंढ़ेंगे देखेंगे कि ब्राह्मण है या नहीं, अगर वह भी नहीं रहता तब दूसरे को लेंगे। ऐसा मालूम पड़ता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक यह प्रथा चल गई है।

आज जो हमारे सामने बैकवर्ड कहलाते हैं उनकी बैकवर्डनेस कैसे दूर होगी। एक सज्जन ने डाक्टर अम्बेदकर से पूछा था कि यह कैसे दूर होगा तो उन्होंने बताया कि अगर हम बैकवर्ड लोगों को बड़ा आदमी बना दें तो यह ठीक हो जायगा----

"*Question*—What remedy would you suggest for the speedy removal of the backwardness of so many communities in India that are suffering from age old social backwardness and educational apathy ?

Dr. Ambedkar—I have suggested that if you produce big people from amongst them, the backwardness would go. The backwardness is only a sort of inferiority complex."

तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि नीचे से ऊंचे तक हर आदमी अपने को छोटा आदमी समझता है और एक दूसरे को बड़ा समझता है। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण सब से बड़ा है लेकिन ब्राह्मणों में भी भेदभाव आ गया है कि इससे वह बड़ा और उससे वह बड़ा है। जिस दिन यह भावना निकल जायगी उस दिन समझिये कि समाज के अन्दर नीचे से कल्याण होता चला जायगा वरना यह समाज ऐसा है कि चाहे रिजर्व करके रखें उनको बीस वर्ष उठाने में लग जायेंगे क्योंकि हम यह देखते हैं कि अभी अपने देश की भावना वही है जो पहले थी। उसमें अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई है। योजनायें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है फिर भी उनके घरों में वही कट्टरपन्थी बातें मौजूद हैं। इतना जरूर है कि वोट की खातिर पुराने विचार के लोग भी हरिजनों के घर जाकर पानी पीते हैं। वह यह समझता है कि अगर हरिजन के घर जाकर वह पानी पी लेगा तो उसको वोट मिल जायगा। जब हम रिजर्वेशन राजनीतिक पीड़ितों को देते हैं, पुलिस में देते हैं, हरिजनों के लिये रिजर्वेशन देते हैं और उम्र की छूट भी देते हैं तो मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि इस बात को भी स्वीकर कर लिया जाय कि उनकी ३ साल की आयु में छूट दी जाय। अन्त में मेरा माननीय मन्त्री जी के लिये एक निवेदन है कि दुनिया की बात न मानकर बैकवर्ड लोगों के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये यदि वे सहायता करना चाहते हैं तो रिजर्वेशन करके कर सकते हैं। १८ से २५ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वह वातावरण नहीं है, वह भावना नहीं है जो होनी चाहिये। जिस प्रकार की वह अंग्रेजों के जमाने में चल रही थी वही आज भी चल रही है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा करते हुये इस सदन को यह बताया गया कि बैकवर्ड कमीशन सेट अप हुआ और उसने सारे प्रान्त का दौरा करके उस पर विचार किया और रिपोर्ट दी। अभी उस रिपोर्ट पर कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि जब बैकवर्ड कमीशन बैठा है और उसने अपनी जांच की है और वह जिस नतीजे पर पहुंचा है अभी उस पर पार्लियामेंट ने कोई फैसला नहीं दिया है, तो यह संकल्प जो सदन में पेश हुआ है मैं समझता हूं कि प्रिमेच्योर है। मुमकिन है कि जो सुविधायें चाहते हैं वह बैकवर्ड कमीशन ने देने को कहा हों और उनको अल्टीमेटली पार्लियामेंट स्वीकार कर ले। इसलिये नहीं बल्कि अन्य कारणों से मैं दूसरी व्यक्तिगत राय रखता हूं।

जहां तक कांस्टीट्यूशन की बात कही गई है वह बिलकुल सही है और उसको हमने कबूल किया है और वह होनी भी चाहिये। हमारी हमदर्दी उन लोगों के साथ अवश्य है जो सदियों से कुचले हुये हैं। जो कौमें दबाई गईं उनका कोई कसूर नहीं था। केवल इतना था कि फिजीकली जो कौमें कमजोर थीं ताकतवर लोगों ने उनको और अधिक कमजोर बना दिया। मुल्क के आजाद होने पर हम समझते हैं कि भारतवर्ष में हर प्राणी को यह अधिकार है कि वह फ्री कन्ट्री का सिटीजन होने के नाते इस देश की हर चीज का उपभोग करने के लिये समर्थ हों, लेकिन यदि वह अपने आप उन गिरी हुई कौमों के अन्दर आ सकता है और उसके पास स्वास्थ्य सामर्थ्य और साधन वैसे न हों तो सरकार उनको प्रोवाइड करे इसलिये मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि जहां तक ईक्वल अपार्चुनिटी का प्रश्न है वह हर एक के लिये है और इस राइट को न कोई चेंज कर सकता है और न उसमें कोई कमी कर सकता है।

मैं समझता हूं कि केवल नौकरी में रिजर्वेशन कर देने से ही कौम नहीं जागा करती। अगर कौम को उठने के लिये समान अवसर दिया जाता है तो कौम उठ सकती है। अगर बैकवर्ड क्लास के चन्द आदमियों को गवर्नर या मिनिस्टर बना दीजिये तो उसके माने यह नहीं होंगे कि उनका उत्थान हो गया। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। हम इस देश की व्यवस्था के लिये अच्छे से अच्छे आदमी चाहते हैं, केवल अच्छे नहीं। हम उसके लिये गुड एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं, गुड मैन नहीं। एक आदमी ईमानदार हो सकता है, सीधा हो सकता है, लेकिन उसका सीधापन और ईमानदारी मुल्क को गर्त की ओर ढकेल सकती है। मैं चाहता हूं कि उनके अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पैदा हो। मैं यह नहीं कहता कि उनमें यह कैपेसिटी नहीं है या नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिये और जो प्रेपरेटरी स्कूल्स बच्चों को छांट कर पढ़ाने के लिये बनाये गये हैं जहां बच्चों का साइकोलाजिकल टेस्ट होता है, वहां अगर बैकवर्ड क्लास के बच्चे आयें और स्टैन्डर्ड के हों उनमें पोटेंशियल हों डेवलपमेन्ट के तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये।

जहां तक काम्प्लेक्स का मामला है, मैं नहीं जानता कि वह डिप्रेस्ड क्लास में रहता है। वह अपर क्लास में भी है। अगर अपर क्लास का व्यक्ति यह सोचता है कि वह डिप्रेस्ड है तो वह भी इस भावना से पीड़ित है। परन्तु उसके साथ-साथ यह भी सही है कि जो लोग पिछड़े हैं, इतने कुचले गये हैं, इतने दबाये गये हैं कि वे अपने को कमजोर समझते हैं और समझते हैं कि हम अच्छे स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिये जैसे बंगाल में सर आशुतोष मुकर्जी ने बैकवर्ड लोगों की जिहानियत को तब्दील करने के लिये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टैन्डर्ड को थोड़े समय के लिये गिरा दिया था इसलिये कि गरीबों के बच्चे उस ऊंचे स्टैन्डर्ड को पार नहीं कर सकते थे, वैसे ही यहां होना चाहिये। उनके दिलो दिमाग पर इस बात को छाने के लिये कि वह भी हायर एजूकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उस स्टैंडर्ड को गिरा कर उनमें अपने पर विश्वास पैदा करने के लिये उस स्टेप को उन्होंने लिया। इसी प्रकार पहले डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के समय में प्रदेश की सरकार ने मैथमेटिक्स

[श्री चन्द्रसिंह रावत]
में ५० फीसदी मार्क्स कम्पलसरी कर दिये थे, उसका भी प्रदेश की जनता ने विरोध किया था और वह डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से नाराज हो गये थे। परन्तु हमने सदा इसको वेलकम किया। हमतो सदा ही उसके हामी रहे हैं कि जो पिछड़े हुये हैं जो कम्पीट नहीं कर पाते हैं उनको कुछ राहत मिले। उनके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि कुछ समय के लिये उनका स्टैन्डर्ड नीचा कर दिया जाय ताकि उनके अन्दर फिर से एक ताकत पैदा हो सके और वे पढ़ाई आदि के क्षेत्र में दूसरे लोगों के बराबर हो सकें।

इसके अलावा यह मैं समझता हूं कि जो लोग हमेशा रिजर्वेशन में विश्वास करते हैं। उससे उन लोगों में कम्पीट करने की भावना ही समाप्त हो जाती है। मैं इसको ठीक नहीं समझता। हमें उसके लिये कुछ स.इकोलाजीकल चेंज की जरूरत है और वह हमें उनके अन्दर करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि यह डिप्रेस्ड हास्पिटल है, यह डिप्रेस्ड जाति के लिये स्कूल है, यह डिप्रेस्ड पानी है, यानी हरिजनों के लिये यह पानी है, फलां चीज अपर क्लास के लोगों के लिये है, यह चीज नहीं होनी चाहिये, और यह राष्ट्र की उन्नति के लिये खतरनाक चीज है। जो लोग अपनी कौम को उठाने के लिये रिजर्वेशन पर डिपेंड करते हैं, मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी गलती करते हैं। कौम के नाम से कोई भी रिजर्वेशन करने से बहुत नुक्सान होता है। हमें मालूम है कि स्वतन्त्रता के पहले हमारे देश में कोई हास्पिटल पिछड़ी जाति वालों के लिये नहीं था। कोई भी सर्विस में आदमी उन लोगों का नहीं था, लेकिन आपने इस रिजर्वेशन के आधार पर उनकी पोजीशन को भी डिप्रेस्ड कर दिया, नौकरों को भी डिप्रेस्ड कर दिया, शिक्षा को भी डिप्रेस्ड कर दिया, पानी को भी डिप्रेस्ड कर दिया। यह क्या है? जब तक हम इस ऊंच-नीच की भावना को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। आपने रिजर्वेशन किया, लेकिन १८ फीसदी लोग नौकरी में नहीं मिले। इसलिये इससे कुछ होने वाला नहीं है, यह बहुत कुछ हमारी भावनाओं पर भी, हमारे चरित्र पर भी निर्भर करता है। जबतक हमारा व्यवहार डेमोक्रेटिक नहीं होगा, हमारा चाल-चलन डेमोक्रेटिक नहीं होगा, हमारे व्यवहार में तब्दीली नहीं होगी, तब तक यह रिजर्वेशन चाहे आप १८ फीसदी रखें या जो कुछ भी रखें पूरा नहीं होगा।

श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। कुछ विधेयक विधान परिषद् से वापस आये हैं, सचिव, विधान सभा उस सम्बन्ध में कुछ सूचनायें सदन को देंगे।

श्री भूपकिशोर—यह सरकारी दिन में क्या नहीं हो सकता?

श्री अधिष्ठाता—वह सूचना दे रहे हैं, वह किसी भी समय दी जा सकती है, यदि आवश्यक हो।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ तथा उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—माननीय अधिष्ठाता, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६३ के अन्तर्गत मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के विचारार्थ प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(२) उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (बनाने रखने का) विधेयक, १९६१।

(देखिये क्रमशः नत्थियां 'घ' तथा 'ङ' आगे पृष्ठ ८२–८५ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की सूची†

सचिव, विधान सभा--माननीय अधिष्ठाता, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम १५२(२) के अन्तर्गत मैं उन संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में प्रस्तावित किये हैं।

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट देने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

श्री रघुवीर सिंह--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री श्यामलाल जी यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मेरा इसमें निम्नलिखित संशोधन है....

श्री अधिष्ठाता--इस वक्त कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता चूंकि प्रस्ताव पर बहस हो रही है, बीच में संशोधन उपस्थित करने की मैं आज्ञा नहीं देता।

श्री रघुवीरसिंह--श्रीमन्, यह संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रान्त की ८० फीसदी ऐसी जनता से है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है। उसके पिछड़ेपन के कार्यों और कृत्यों पर यदि सच्चाई के साथ प्रकाश डाला जाय तो मेरा अनुमान है कि सदन का वातावरण क्षुब्ध हो जायगा और लोगों में आवेश की लहर दौड़ने लगेगी, इसलिये अपनी कर्त्तव्यपरायणता के नाते इतना ही कहना उचित समझता हूं कि वह पिछड़ापन हमारे प्राचीन आर्य ऋषियों, प्राचीन राजपूत राजाओं की देन है। मैं अब प्राचीन इतिहास की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से करीब ५ हजार वर्ष पहले पशुपालन की भावना से आर्य लोग अपने गाय और घोड़े लेकर हिन्दुस्तान में आये और इस देश की सुन्दरता को देखकर, घास, वन--उपवन को देख कर उनके मन में लालसा पैदा हुई कि इस देश पर अपना अधिपत्य जमा लिया जाय। अन्ततोगत्वा उन्होंने एसा किया। उन्होंने अपने देश से अपनी सहायता के लिये और भी आदमी बुलाये और यहां के आदिवासियों में आपस में राग-द्वेष की भावना फैलाकर आपस में आक्रमण कराये, धावा बोल कर सैकड़ों वर्षों में हजारों युद्ध किये, जिन में करोड़ों आदमी यहां के विध्वंस हुये। जन और धन को बहुत बड़ी ठेस पहुंची इसके बाद इनके एन-केन प्रकारेण उन्होंने अनेकों युक्तियों से आधिपत्य जमा लिया। तो इसके पश्चात् वर्ण व्यवस्था स्थापित की और उसमें उन्होंने कार्यों के तीन वर्ग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाये और यहां के आदिवासियों का एक वर्ग बनाया जिसको शूद्र की संज्ञा से विख्यात किया। इस तरह से शूद्रों का काम केवल सेवा करना रहा। आर्यों के लिये या सवर्णों के लिये अन्न पैदा करना, उनके लिये दूध, दही, घी का उत्पादन करना और तरह--तरह की उनकी सेवायें करना ही उन शूद्रों का काम रहा है। हजारों वर्ष इस तरह से कार्य चलता रहा। उसके पश्चात् मुसलमान आये। उन्होंने कई बार आक्रमण करके यहां लूट-पाट की। उसके बाद उनमें भी ऐसी लालसा पैदा हुई कि यहां पर अपना आधिपत्य जमा लें और राज्य करें, अतएव उन्होंने अनेकों आक्रमण कर देश पर अधिपत्य कर लिया। उन्होंने ७०० वर्ष तक राज किया। उसके पश्चात् अंग्रेज व्यापार करने के सिलसिले में आये उनको भी लालसा हुई कि क्यों न यहां पर राज्य करें क्योंकि यहां पर लोगों में ऊंच--नीच विरोधाभास है और लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, लोगों में मन मुटाव है। इस कारण उनके मन में भी यह भावना जागृत हुई कि यहां पर राज्य किया जाय। चुनाचे एन-केन प्रकारेण से वह भी विजयी

---

† छापी नहीं गई।

[श्री रघुवीरसिंह]

हुये उन्होंने भी यहां पर २०० साल तक राज्य किया। इन्हीं दिनों पूज्य बापू का जन्म हुआ। पूज्य बापू में भावना पैदा हुई कि हमारा देश गुलाम है। उनकी चेतावनी से मुसलमान, आर्य और आदिवासी सब के दिल में इस बात की भावना पैदा हुई कि हम गुलाम हैं और उससे छुटकारा मिलना चाहिये। गांधी जी के नेतृत्व में जब यह उनको आश्वासन मिला कि सब एक हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है तो आदिवासियों के मन में भी यह विश्वास पैदा हुआ कि अब हमारे साथ भी न्याय होगा। अन्ततोगत्वा यहां के जितने भी आदिवासी थे उन्होंने कन्धे से कन्धा मिलाकर आन्दोलन में साथ किया। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने बिना लड़ाई लड़े ही देश छोड़ दिया और देश आजाद हुआ।

अब श्रीमन्, हमको देखना है कि देश आजाद होने के बाद से हमारे देशवासियों के हाथ में यहां की हुकूमत आई, तब से उन्होंने क्या किया? श्रीमन्, १९४७ में हमारे यहां की सरकार ने कमलरूपी चरण यहां सदन में पधारे। मैं आपके द्वारा सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ क्या-क्या सुलूक किये। जहांतक हमारी आर्थिक दशा सुधारने की बात है, यदि सरकारी सेवाओं को ही ले लिया जाय जिस पर कि आज चर्चा हो रही है तो श्रीमन्, सन् १९४७ में गजटेड अफसरों की संख्या ३१०० थी जिसमें बैकवर्ड ३४ थे हरिजन १६ थे। उसके बाद इसी सरकार के समय में सन् १९५५ में गजटेड अफसरों की संख्या ३,१०० से ५,२०० हो गई जिसमें बैकवर्ड ३४ से २५ ही रह गये, हरिजन जरूर १६ से ७० हो गये। हरिजनों के बढ़ने का कारण यह है कि उनका रिजर्वेशन था और यदि रिजर्वेशन के हिसाब से उनकी संख्या को देखा जाय तो वह भी कुछ नहीं बढ़ी है। अब जहां तक बैकवर्ड की बात है, मैं सरकार से जवाब तलब करना चाहता हूं कि उनकी संख्या ३४ से घटकर सन् १९५५ में २५ क्यों रह गई। क्या सरकार की दृष्टि में बैकवर्ड क्लास के लोगों की शिक्षा का स्तर गिर गया या अगर यह कहा जाय तो उचित ही होगा कि क्या बैकवर्ड क्लास ने सरकार को कोई ऐसी ठेस पहुंचाई जिससे उनके आदमी नहीं लिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्य सरकार के अन्याय का द्योतक नहीं है और क्या यह कार्य भाई भतीजे वाद का परिचायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस का जवाब दे कि आखिर कमी क्यों हुई जबकि मान्यवर समाज में एक स्वभाविक आदत होती है कि वह उत्तरोत्तर विकास करता है। अतएव पिछड़ी वर्ग के लोगों की भी शिक्षा में सुधार हुआ है तो फिर क्या कारण हुआ कि सन् १९४७ में ३१०० गजटेड आफिसर्स में पिछड़े वर्ग के ३४ थे परन्तु १९५५ में जब गजटेड आफिसर ५२०० हो गये तब पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या अपेक्षाकृत घट कर केवल २५ ही रह गई। क्या यह लज्जा का विषय नहीं है? सरकार को यह समझना चाहिये कि उसने यह अन्याय किया है और इसकी वजह से उसको सर झुका लेना चाहिये।

इसके पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर इसका कारण क्या है? मैं तो इसका यह कारण समझ पाया हूं कि जितनी भी चुनाव संस्थायें हैं उनमें हरिजन वर्ग या पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं है और उनका प्रतिनिधि होता तो ऐसा अन्याय कभी नहीं हो पाता। मान लिया कि यह मेरा भ्रम ही हो लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिये चुनाव संस्थाओं में और लोक सेवा आयोग में हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को क्यों नहीं रखा जाता है? उनकी संख्या के अनुपात से उनको यहां स्थान क्यों नहीं दिया जाता है? उससे हमें यह बहाना न मिलेगा कि हमारी संख्या इतनी कम क्यों है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संख्या के अनुपात से बैकवर्ड क्लास को ५० प्रतिशत, हरिजनों को १८ के बजाय २५ प्रतिशत का सरकारी सेवाओं में संरक्षण दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि हम लोगों के पिछड़ेपन को देखते हुये योग्यता और स्वास्थ्य की छूट भी हमें मिलना चाहिये क्योंकि प्रस्तावक महोदय ने केवल उम्र की छट की बात कही है। हम हजारों वर्षों से पिछड़े हुए हैं, इसलिये न्याय की दृष्टि से हमें उम्र, योग्यता और स्वास्थ्य की छट मिलनी चाहिये।

चौथी बात यह है कि दूसरे वर्गों को देखते हुये हमारा अनुमान है कि हमारी शिक्षा १० प्रतिशत भी नहीं है । इसलिये हमें शिक्षा की भी सुविधा मिलनी चाहिये । उसके लिये हमें छात्रवृत्ति तथा अन्य आर्थिक सहायता देने वाली संस्थाओं में भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

अब मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात उठाना चाहता हूं । सरकार को सोचना चाहिये कि सरकार केवल सवर्णों के बल पर ही सत्तारूढ़ नहीं हुई है । अंग्रेज केवल सवर्णों के बल पर ही नहीं चला गया । इस मंत्रिमंडल को बनाने में हम लोगों ने साथ दिया और यहां तक साथ दिया कि आपने कांग्रेस के किसी भी आदमी को कहीं से भी खड़ा कर दिया, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, उसको आंख मीच कर वोट दिया, फिर क्यों हमारे साथ अन्याय किया गया, क्योंकि कैबिनेट में पिछड़े वर्ग का कोई मंत्री नहीं है ? हां, यादव जी एक हैं, लेकिन वे मंत्री नहीं हैं, उपमंत्री हैं और फिर वे तो अपने को पिछड़े वर्ग का मानते हैं नहीं । हरिजनवर्ग के दो एक मिनिस्टर ले लिये गये हैं लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य है । वे इसलिये लिये गये हैं कि उनका सरकारी सेवाओं के लिये रिजर्वेशन १८ प्रतिशत निश्चित हो चुका था परन्तु सरकारी नौकरियों में इस अनुपात से उनको नहीं लिया गया । इसलिये उनसे यह कहने के लिये कि तुम में से कुछ को मंत्रिमंडल में तो ले लिया है इस प्रकार फटे रूमाल से उनके आंसू पोछने के लिये ही ऐसा किया है ।

मैंने ऊपर आर्यजाति के बारे में कुछ कहा है और अंग्रेजों बारे में भी कहा, उसी के संबंध में बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है, वाल्यूम ३, पेज ३० पर:—

"आर्य जाति एक आक्रमणकारी थी हिन्दुस्तान के मूल निवासियों पर । उन्होंने अगर ज्यादा बुरा नहीं किया तो कम से कम वैसा ही सलूक किया जैसा कि हमारे अंग्रेज आक्रमणकारी आज हमारे साथ कर रहे हैं ।"

यह बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है ।

श्रीमन्, चूंकि समय कम है इसलिये एक दो बातें मैं और कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक २१ अप्रैल, को साम्प्रदायिकता की निन्दा करते हुये बड़े गर्व के साथ इस सदन में कहा था कि हम साम्प्रदायिकता को कुचल देंगे । उनका कहना ठीक है, मुख्य मंत्री हैं, सामर्थ्यवान हैं, ऐसा कह सकते हैं । इस समय वे सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं वे मेरे टूटे फूटे शब्दों को उन तक पहुंचा दें कि उनका संकेत हम लोगों की तरफ से आवाज उठाने से था या पार्टीज की तरफ संकेत करते हुये उन्होंने यह कहा था कि वे साम्प्रदायिकता को कुचल देंगे । क्या वे खुद या वे उनके पार्टीज के लोग जो साम्प्रदायिकता को बरतते हैं उसे भी कुचलने का प्रयास या चेष्टा करेंगे ? इसलिये मैं साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री होने की हैसियत से उनको साम्प्रदायिकता को कुचलने का हक है तो प्रत्येक दल के लिये एक सी दृष्टि रखें कि अगर इसी तरह से साम्प्रदायिकता पर इकतरफा वार वे करते रहे, और यही उनका रवैया रहा तो हम भी उनकी सरकार को खतम कर देंगे, उसे कुचल देंगे । हम मर जाना पसन्द करेंगे लेकिन यह अन्याय नहीं देख सकते ।

अब सामाजिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । सरकार आज तक क्या-क्या सामाजिक सुधार कर सकी है ? इस सरकार को आसीन हुये १४ साल हो गये, लेकिन क्या वह कह सकती है कि सामाजिक रूप से भी कुछ सुधार हुआ है ? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि बड़े-बड़े शहरों में भले ही कुछ सुधार दिखलाई देता हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ देहातों में चल कर देखें तो मालूम होगा कि आज समाज की व्यवस्था क्या है । एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । आजकल शादियां हो रही हैं । आज चल कर देखें कि जब पांत बैठती हैं तो सबसे पहले सवर्ण बैठते हैं, फिर बैकवर्ड क्लास के बैठते हैं और उसके बाद अछूतों का नम्बर आता है जो महीनों से लिपाई पोताई करते हैं, और उनकी सेवा करते हैं । उसको जमीन पर कहीं रास्ते में बैठा दिया जाता है । रात के १२ बजे अगर कहीं सामान कम हो गया तो उसे कम ही सामान मिलता है और इस तरह से कोई भी सामाजिक सुधार व्यापक रूप से नहीं हुआ है ।

[श्री रघुवीरसिंह]

श्री हरीसिंह ने एक बात कही जिसका जवाब देना मैं उचित समझता हूं। उन्होंने बातें तो बहुत सी कहीं, लेकिन इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि आजकल हरिजन वर्ग को ऊंची जातियां जो सवर्ण कही जाती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जितना सताते हैं उससे कम बैकवर्ड क्लास में अहीरों का खासतौर से नाम लिया, कम नहीं सताते हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि क्या अहीरों ने ही धर्मशास्त्र लिखा था जिसके आधार पर हरिजन लोगों को मन्दिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, क्या अहीरों ने वेद लिखा है जिसका पाठ करने से भी वे वर्जित थे और क्या अहीरों ने ही वह धर्मशास्त्र लिखा है कि वेद की ऋचायें सुनने पर भी शूद्रों के कानों में गर्म रांगा डाल दिया जाता था? उनको बहुत सोच-समझ कर बात कहनी चाहिये। मैं तो समझता हूं कि पहले आर्यों ने कुछ छुआछूत को कम करके बैकवर्ड क्लास को अपने पक्ष में किया और अछूतों को बुरी तरह कुचला और अब सरकार अछूतों को अपने पक्ष में करके वह बैकवर्ड क्लास को कुचलने की चेष्टा कर रही है।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, पिछड़े इलाके या पिछड़े वर्ग की तरक्की होनी चाहिये, इसके मानने में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। सही बात यह है कि किसी देश की तरक्की या किसी समाज की तरक्की का पता भी इस बात से चलता है कि उनके जो पिछड़े हुये अंग हैं वे तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिये जो भाव यहां व्यक्त किये गये, उसमें मुझे किसी से मतभेद नहीं है। सिर्फ मुझे जो थोड़ी-सी कहने की प्रेरणा हुई वह इस जगह से हुई कि जिस ढंग से इस मसले को पेश किया जा रहा है, उसके बारे में मैं अदब से कहना चाहता हूं कि मुझे उससे इत्तफाक है। मैं जानता हूं कि सदन में जितनी स्पीचेज हुई हैं, चाहे उधर से हुई हों, चाहे इधर से हुई हों, ज्यादातर ऐसी हैं, जिनके तर्ज से मुझे इत्तफाक है। मेरी राय से कुछ लोग खिलाफ हो सकते हैं मगर फिर भी काफी सोचने के बाद और एक दो दफा सदन में आने-जाने के बाद मैं इस नतीजे पर आया कि मुझे अपने विचार जरूर व्यक्त करने चाहिये। जहां चारों तरफ से "हां-हां" की आवाज है वहां "न" भी होना चाहिये और "न" की भी आवाज सुननी चाहिये।

मैं यह बात कहता हूं कि जहां पिछड़ा वर्ग है यह कोई भारत की ही बात नहीं है। यह प्रश्न सभी देशों में जो आजाद होते हैं, उठते हैं और उनकी एक भूख होती है, एक इस तरह की कोशिश उठने की होती है, एक मांग होती है। यह सब एक प्राकृतिक चीज है। हमारे यहां भी अगर आज यह आवाज उठाई जाती है, यह मतालबा किया जाता है तो यह कोई अप्राकृतिक बात नहीं है, बल्कि वह एक प्राकृतिक मांग है।

अब सवाल यह है कि इस प्रश्न को हल कैसे किया जाय और उसके हल करने का जो तरीका हमारा है वह ठीक है या नहीं? आज का जो हमारा तरीका है जिस पर जोर दिया जाता है वह यह है कि सेवायें या सर्विसेज जो हैं उनमें उन वर्गों के साथ एक प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट रहे, कुछ अधिक सुविधायें उनको मिलें। मैं आप के द्वारा उन अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में किसी वर्ग की तरक्की करने का केवल सेवायें ही एक साधन नहीं हैं, वह तो उन बड़े साधनों में से एक छोटा सा साधन हो सकती हैं। बड़े साधन तो वह हो सकते हैं कि जिस से उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो, उन लोगों को टेक्निकल ज्ञान और शिक्षा का अधिक मौका मिले। अगर हम आज चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ किसान तरक्की करे तो एक तरक्की यह है कि ४-५ हजार किसानों में से एक को कोई नौकरी मिल जाय और दूसरा तरीका यह है कि सभी पिछड़े किसानों को ज्यादा तकावी मिले, उसका हल बैल सुधरे उसमें तरक्की हो, उसको नये प्रकार के औजारों की सुविधा दी जाय। इस तरह की तरक्की से वाकई में उस पूरे वर्ग का एक बुनियादी लाभ हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा विचार है कि यह जो नौकरियों में अधिक हिस्सा मांगने का तरीका है वह एक दूषित वातावरण पैदा कर रहा है । मेरा निजी अनुभव भी है कि जो लड़के नौकरियों में इस आधार पर आते हैं उनकी कुछ जहनियत ऐसी हो जाती है कि वह स्वयं तो पिछड़े वर्ग के नाम पर तरक्की करते रहें और दूसरे अपने वर्ग के लोगों को पिछड़ा ही बनाये रखें । मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी भी इस प्रश्न को लेकर काफी दिलचस्पी रही है । कभी सवाल आया कि सयासी या सामाजिक तरीके से क्या ईश्वर ने ही किसी को ऊंचा और नीचा बनाया है या यह मनुष्य मनुष्य का उनकी योग्यता का भेद है ? बावजूद इसके कि आज लोगों के विचार आगे बढ़े हैं, सभी पढ़े-लिखे और हर तरह के लोग उसको मानते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो हरिजन आगे बढ़ गये हैं और पदों पर पहुंच गये हैं उनके घर पर ही आम हरिजन कई कई घंटे से मिलने के लिये इंतजार करते हैं और हरिजन मंत्रियों से हरिजन ही जल्दी नहीं मिल पाते हैं । उनके अन्दर सवर्णों के प्रति एक गुस्सा होता है और इसीलिये वह स्वयं सवर्णों की तरह अपने को बनाने की इच्छा रखते हैं । ऐसा मुझे अनुभव हुआ है कि बैकवर्ड क्लास के लड़के जो नौकरियों में चले गये वह नौकरियों के मसालब में ही फंसे रहते हैं । मेरा खयाल है कि जो वाकई में पिछड़े वर्ग के लोगों की तरक्की के उपाय हैं उन को प्रयोग करने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिये, रुपया भी कितना ही खर्च हो वह करना चाहिये। किसी की भी तरक्की का प्रश्न हो उस में रुपया तो खर्च होता ही है, जो लाखों करोड़ों इन्सान पिछड़े हुये हैं उन पर रुपया तो खर्च होना ही चाहिये । (व्यवधान)

मेरी बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं । मुमकिन है कि जो लोग मेरी बात तवज्जह से सुनते रहते हैं आज उन के गले से इस सम्बन्ध में मेरे विचार न उतरें । हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने विचार पहुंचाये, लेकिन हर आदमी को अधिकार है कि वह उसको नजरन्दाज कर दे, अपनी अलग राय रखे ।

मेरी राय है कि पिछड़े लोगों की तरक्की के लिये ज्यादा जोर उन के प्रोडक्शन के साधनों की तरक्की पर और ज्यादा आर्थिक सुविधायें देने पर देना चाहिये । इस से उस समूचे वर्ग की तरक्की होती है । दो चार हजार आदमियों में नौकरी पाकर एक आदमी तरक्की कर जाय तो वह तरीका लाखों करोड़ों आदमियों की जो समस्या है उससे वह जुड़ नहीं पाता, ऐसा मेरा खयाल है ।

आखिर पिछड़े हुये लोग कौन हैं ? वही तो हैं जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, जिनका समाज में सामाजिक या आर्थिक स्थान नहीं है । हरिजन हो या किसी भी पिछड़े वर्ग के हों, अगर उस व्यक्ति के पास कोई मिल या फैक्टरी है तो उसे पिछड़ा हुआ नहीं समझा जायेगा । अगर फैक्टरी का मालिक कोई स्वीपर हो जाता है तो उसे कोई सवर्ण भी स्वीपर नहीं समझता है । तो इसके लिये बहुत हद तक आर्थिक असमानता जिम्मेदार है । अगर आप सही माने में पिछड़े वर्ग की तरक्की चाहते हैं तो नौकरियों से ज्यादा जोर इस बात पर दें कि उनको आर्थिक सुविधा ज्यादा मिले । लेकिन अगर आपको हजारों लाखों की तरक्की नहीं चाहिये और चन्द लोगों को चाहिये तो मुबारक रहे आपको वह तरीका । नौकरियों में अगर उन्हें थोड़ी बहुत सुविधा मिलती है तो अच्छी बात है, मिलनी चाहिये । हरिजन और बैकवर्ड लोगों को नौकरियों में जो सुविधा मिलती है और वह ज्यादा भी मिल जाय तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर नौकरियां ज्यादा मिल सकें तो मुझे कोई गुरेज की बात नहीं है, लेकिन मैं इम्फेसिस की बात कर रहा हूं । क्या सिर्फ सेवाओं पर ही जोर होना चाहिये या गरीब से गरीब के पास टेक्नालाजी की मदद पहुंचाने की जरूरत है ? मेरा अनुभव यह है कि आज जो हमारा तकावी का कानून है उसने लाखों पिछड़े हुये लोगों को उस फायदे से वंचित रखा है जो कि हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं । मान लीजिये बजट में रुपया एलाट भी कर दें और हमारे कायदे कानून १००-५० साल पहले के हों, तो उससे फायदा नहीं होता । तो एक महत्व की बात है कि जिस चीज ने उनको उस फायदे से

[श्री गोविन्दसहाय]
वंचित कर रखा है उसको बदलवाने की तरफ आवाज न उठाकर केवल नौकरियों की ही बात क्यों कही जाय ?

अभी एक भाई ने कहा कि हमारा जूतों का काम छीन लिया और फलां काम छीन लिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद दी जाती है वह तो पुराने पेशा करने वाले जो लोग हैं उनको उन्नत साधनों के साथ उस काम को करने के लिये मिलनी चाहिये . . . . .

श्री भूपकिशोर---इसके माने यह हैं कि जो कोई भंगी का काम करता है वह भंगी का ही काम करता रहे ?

श्री गोविन्द सहाय---मैं समझ रहा हूं कि आप पर गैर मामूली असर है जाति पांति का। लेकिन मैं किसी पेशे को बुरा नहीं समझता। हर पेशा बड़ा बाइज्जत काम है। भंगी का पेशा भी बाइज्जत है। सही माने में मैं कहना चाहता हूं कि "वर्क इज वरशिप" (Work is workship)। यह जो एक चीज पैदा हो गई है कि अमुक काम की वजह से वह छोटा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर सही माने में तरक्की करनी है तो काम की इज्जत और काम करने वाले की इज्जत करनी पड़ेगी। एक जो यह एप्रोच है कि कुछ पेशे छोटे लोगों के लिये हैं, मैं इसे नहीं मानता। कैपिटलिस्ट समाज के अन्दर यह बात होती है। सोशलिस्ट समाज में यह बात छोड़नी पड़ती है। हर काम बाइज्जत काम है।

मान लीजिये, सर्विस कोआपरेटिव हैं। कितने बैकवर्ड लोग उससे फायदा उठाते हैं और कितने लोग कोशिश करते हैं कि उनको फायदा पहुंचाया जाय ? आगरे के अन्दर अगर जूतों की तिजारत होती है, तो जो जूते बनाते हैं, तिजारत करते हैं, उसकी कला को जो जानते हैं, उन्हें और साधन दिये जायं तो वह ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे बजाय उसके कि जो एक बीच का आदमी काम करेगा।

(इस समय, ४ बजकर ५ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पिछड़े हुये लोगों की तरक्की तो होनी चहिये मगर उस बहस में अगर जाति-पांति की बात आ जायगी तो उससे बहस का रुख दूसरा हो जायगा। बैकवर्ड होना एक कम्पैरेटिव बात है। हिन्दुस्तान एक बड़ा बैकवर्ड देश है दुनिया में। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश एक बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश है। तो बैकवर्ड होना तो एक कम्पेरेटिव चीज है। इसे अगर आप जाति-पांति की तरफ मोड़ेंगे तो मेरा खयाल है कि उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उससे अगर फायदा पहुंचाना है तो मैं एक ही तरीका समझता हूं और वह यह कि जो कुछ हमारे आर्थिक साधन हैं उन साधनों को उस तबके के प्रत्येक लोगों तक पहुंचाना चाहिये और कायदे कानून जो हैं वे तबदील कर देने चाहिये जिससे पिछड़े से पिछड़े आदमी उन साधनों का उपयोग कर सकें। इससे समूचे वर्ग की तरक्की होगी। आपके तरीके से थोड़े लोगों की तरक्की होगी।

अभी एक विरोधी दल के सदस्य ने कहा कि सरकार में कितने मंत्री इस वर्ग के हैं, कितने लोग इस आधार पर हैं ? यों तो इलेक्शन का इसको लोग आधार बना सकते हैं मगर मैं इसे गलत आधार समझता हूं। अगर यह मतालबा इस आधार पर होगा तो फिर नये किस्म के अंदाज शुरू हो जायेंगे। केवल मिनिस्ट्री में आ जाने से कौम की सेवा नहीं हो जाती जब तक कि मिनिस्टर मशीन को दबा कर काम लेना न जानता हो। किसी खास जगह बैठ जाने से तरक्की कौम की नहीं होती है बल्कि बैठकर अगर मशीनरी से काम निकालना नहीं जानता है तो ब्यूरोक्रेसी की ताकत-बढ़ेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो यही चाहती है कि मिनिस्टर उनसे इनफीरियर हो। इसके माने यह नहीं हैं, मैं जानता हूं आजकल बहस को किसी तरफ मोड़ा जा सकता है . . . .

श्री भूपकिशोर---अंग्रेजों को क्यों फिर यहां से निकाल दिया गया जब वह काबिल थे ?

श्री गोविन्दसहाय---आपका खयाल हो सकता है कि अंग्रेज हमसे ज्यादा काबिल था, लेकिन मैं जानता हूं वह हमसे ज्यादा काबिल नहीं थे, इतिहास भी बताता है। जो मतालबा

आज आजादी के जमाने में कर रहे हैं वह आजादी की लड़ाई में कभी नहीं लड़ते थे । आपको जोश गैर मामूली तरीके पर आ रहा है । लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसे ऐनेलाइज कीजिये । अंग्रेज इसलिये नहीं ठहरा हुआ था कि वह हमसे ज्यादा काबिल था, बल्कि वह इसलिये ठहरा था कि उसके पास साइंस की ताकत थी ।

इसलिये मैं एप्रोच के बारे में कह रहा हूं । आज सारी पार्टियों से यही कोशिश होती है कि किसी कौम का अगर मिनिस्टर बन जाय, जाति के आधार पर, उत्तर, दक्षिण के आधार पर, बनिया, ठाकुर या ब्राह्मण के नाम पर, लेकिन इस तरह से जो सरकार बनती है वह बड़ी लचर होती है । मौजूदा जमाने में अगर डेमोक्रेसी यहां फेल होगी तो उसका कारण यह होगा कि लोगों को किसी खास जगह पर बैठने का शौक था । सरकार कैसे चलनी चाहिये, कैसी विचार-धारा होनी चाहिये, उस पर जोर नहीं था । मैं जानता हूं आज कांग्रेस पार्टी में भी इसका असर है, उसमें भी कुछ जाति-पांति की बात चलती है । यह बातें बुरी हैं । इतनी सिर्फ अच्छाई है कि कांग्रेस वालों में यह जुर्रत है कि गलत बात को गलत समझते हैं । इसलिये यह चेष्टा सारे मुल्क में फैलाई जाय, अच्छा नहीं होगा ।

इसलिये मैं यही कह रहा हूं कि जो प्रस्ताव है, मुझे उससे गुरेज नहीं है, सिर्फ एप्रोच को नापसन्द करता हूं कि केवल सेवाओं में ऐसा किया जाय । जो इस प्रस्ताव की मंशा है, उससे सही माने में पूरे पिछड़े वर्ग की तरक्की नहीं कर सकते हैं । पिछड़े तो वह रहेंगे क्योंकि कमपैरेटिव हैं । लेकिन फिर भी उस आधार पर मैं यही समझता हूं कि पिछड़े वर्ग की तरक्की होगी । इसलिये मेरी भावना आपके साथ है, सिर्फ साधन में फर्क है ।

*श्री रूर्मसिंह (ज़िला शाहजहांपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही मामूली सा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव के जरिये सरकार की और सरकारी पक्ष में बैठे हुये पिछड़े वर्ग के लोगों की परीक्षा का समय है । इस प्रस्ताव के मान लेने में सरकार की तरफ़ से यह भी सवाल नहीं उठता कि हमारे लिये मजबूरी है, इसमें पैसे का सवाल है, तो ऐसी बात भी नहीं है । सवाल सिर्फ इतना है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में तीन साल की छूट दी जाय । यों तो माननीय गोविन्दसहाय जी ने एक सवाल यह पैदा किया कि नौकरियों में जगह पा जाने से पिछड़े वर्ग का कोई उत्थान नहीं होगा और तकावी इत्यादि की सलाह दी । मैं माननीय गो विन्दसहाय जी से प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान में जो सवाल उनके सामने आये उसी पर अपने विचार प्रकट किया करें और इधर-उधर के दूसरे सवाल उठा कर असली सवाल को नज़र अन्दाज करने की कोशिश न किया करें, तभी समाज का और देश का उत्थान हो सकता है ।

हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी बुद्धिमान, विद्वान और राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी इस बात को मान चुकी हैं कि जब तक देश के अन्दर जातियां हैं तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता है और न मनुष्यता ही स्थापित हो सकती है । आज जाति का सवाल जब उठाया जाता है तो कई सदस्यों को ऐसा खयाल है कि इससे देश के अन्दर द्वेष की भावना पैदा होगी । मैं उन सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि आज जाति के संघर्ष के जरिये से ही देश के अन्दर जातियों का विनाश हो सकता है और वास्तव में एक इन्सान की जाति कायम हो सकती है । इसलिये अगर आप देश का उत्थान चाहते हैं और चाहते हैं कि देश समृद्धशाली बने, इसके अन्दर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, तो हम और आप, सब का फर्ज है कि जो पिछड़े वर्ग, हरिजन या अनुसूचित जातियों के लोग हैं इनको हम कोशिश करके समानता पर ले आयें । यों तो कांग्रेसी सरकार भी कहती है कि हम इनके उत्थान के लिये कोशिश करते हैं, विधान सभा में भी इस प्रकार के भाषण होते हैं और जब जनता के सामने जाते हैं मंत्री लोग या कांग्रेस पार्टी के सदस्य तो यही कहते हैं कि पिछड़े वर्ग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रूपसिंह]

और हरिजनों का उत्थान करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव उनके उत्थान के लिये विधान सभा में आता है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं।

माननीय गोविन्दसहाय जी ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान किया जाय। कल ही एक प्रस्ताव इस सदन में आया था कि तीन एकड़ से कम जोत वालों का लगान माफ कर दिया जाय। माननीय गोविन्दसहाय जी सदन में उपस्थित नहीं रहे और उसके पक्ष में वोट नहीं दे पाये और जिन दो एक आदमियों ने हिम्मत की उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी अनुशासन की कार्यवाही कर रही है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। मैं माननीय उपमंत्री जी से कहूंगा कि वे भी पिछड़े वर्ग के हैं यह बहुत नन्हा-सा संकल्प है, मेरा खयाल है कि सभी सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के हैं वे सर्वसम्मति से इसे पास करेंगे, यह परीक्षा का समय है। इतना ही कहने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

*श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)——अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जिस प्रस्ताव पर बहस चल रही है उसके सम्बन्ध में चन्द लफ्जों में मैं भी अपने विचार आपकी इजाजत से सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पिछड़ेपन और अगलेपन के मसले के बारे में तारीख और इतिहास के सफहात यहां उलटना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं इस बात का तजकिरा करूं कि हमारे देश में पिछड़ापन या शेड्यूल्ड कास्ट्स की पैदावार किस तरह से हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। वह एक हकीकत है। वह किसी तरह भी पैदा हुई, जिस तरह से भी पिछड़ापन या अछूतपन आया, आया और हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा २५ फीसदी हरिजन करार पा गया और ५२ फीसदी पिछड़ा वर्ग करार पा गया। पिछड़ापन आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं जैसा कि गोविन्दसहाय जी की समझ में आया, बल्कि आर्थिक लिहाज से, माली एतबार से, इक्तसादी ऐतबार से, पिछड़ा तबका पिछड़ा हुआ है। समाजी ऐतबार से भी, सियासी ऐतबार से भी, तालीमी ऐतबार से भी और बहुत से ऐतबारों से पिछड़ा तबका पिछड़ा हुआ है।

आर्थिक ऐतबार से क्यों पिछड़ा है? आर्थिक तरक्की के तीन जराये हैं——खेती, तिजारत और नौकरी। तिजारत में ही जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको भी मैं शामिल कर लेता हूं। इसलिए तीन उनवान हैं——खेती, तिजारत और नौकरी। खेती होती है जमीन पर, आकाश पर नहीं होगी। हमारे मुल्क में हरिजनों के पास कितनी जमीन है, पिछड़े वर्ग के पास कितनी जमीन है, इससे मेरा खयाल है सदन के माननीय सदस्य भली भांति वाकिफ हैं। जो लोग हल की मुठिया पकड़ने को पाप समझते हैं, अपने लिए ऐब गिनते हैं उनके पास जमीनें हैं और बड़ी-बड़ी मिकदार में जमीनें हैं। जो लोग हल को चलाते हैं, कुदाल से गोड़ते हैं, फावड़े से खोदते हैं और गोबर उठा कर खेत में डालते हैं उनके पास खेती नहीं है। उनके पास केवल खेती की मजदूरी है। वह सिर्फ इसलिए है कि सेवा करें, मजदूरी करें। खेती उनके पास नहीं है। अगर है तो न होने के बराबर।

तिजारत में जितने बड़े-बड़े जराये हैं, कल कारखाने, उद्योग-धंधे हैं, यह भी न हरिजनों के पास हैं और न पिछड़े वर्ग के लोगों के पास हैं। छोटे-छोटे काम थे। तेलियों के पास कोल्हू थे। अब तेल पेरने की मशीनें जगह-जगह लगायी जा रही हैं, उन्होंने तेली के उद्योग को उखाड़ कर रख दिया। अब तेलियों के पास तेल पेरने के लिए कोई साधन नहीं रह गया। बढ़इयों के पास लकड़ी का कारोबार था। अब बड़ी जाति के लोगों ने सरकार की मदद लेकर लकड़ी के बड़े-बड़े कारखाने खोल लिये। बढ़ई उसमें मजदूरी कर सकता है, लेकिन उसमें उसका अपना कोई काम नहीं है। लोहार के पास लोहारी का काम था। सरकार की मदद से पूंजीपति लोगों ने लोहारी के कल-कारखाने बनाने शुरू कर दिये। लोहार मजदूर तो है लेकिन उस लोहार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अपना कोई काम नहीं। यही हाल हैंडलूम में है। कारीगर करघा चलाता है, लेकिन न सूत उसका न थान उसका। केवल मजदूरी पा सकते हैं। बनारस में रेशम की साड़ियां बनती हैं। जो सेठ साहूकार साड़ियां बनवाते हैं, वह एक साड़ी पर पचास रुपये कमाते हैं, लेकिन जो मजदूर सात दिन में एक साड़ी तैयार करता है, वह १६ रुपये ७ दिन में पाता है।

अब एक चीज और रह गयी, नौकरी, जिस पर गवर्नमेंट के बजट का एक बड़ा हिस्सा सर्फ होता है। गोविन्दसहाय जी कहते हैं कि नौकरी की बात न करो। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बाबू बनने की जहनियत अच्छी नहीं है। मुझे यह तसलीम है। पर क्या किया जाय? आर्थिक हालत को दुरुस्त करने का एक बड़ा नजरिया हमारे देश में नौकरी है। लिहाजा जब हरिजन लड़के पढ़ कर फारिग हो गये और उन्होंने आपकी सहायता से ऊंची डिग्री प्राप्त कर ली, बैकवर्ड क्लास के कुछ लड़कों ने पढ़ कर बी० ए० पास कर लिया अगर वे नौकरी नहीं पाते हैं तो उनके लिये फिर क्या रास्ता है। वह हल नहीं चलाते हैं। हमारा समाज कुछ ऐसा है कि कोई पढ़ा-लिखा लड़का हल नहीं चलाता है। कोई बी० ए० पास लड़का दुकान नहीं करता है। वह नौकरी के लिये दौड़ता है। लिहाजा हरिजन क्लास के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग अगर यह कहते हैं कि उनकी संख्या के अनुपात से नौकरियों में जगह दी जाय तो मेरा खयाल है कि यह कोई नाजायज मतालबा नहीं करते हैं। वह ऐसा मतालबा नहीं करते कि सरकार उनके ऊपर खफा हो या गोविन्दसहाय जी को उसके ऊपर एतराज हो। उनको एतराज नहीं होना चाहिये। यह प्रस्ताव एक बड़ी जनसंख्या के मुताल्लिक है और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर उसको बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो भी स्थान नौकरियों में सरकार दे सकती है वह देना चाहिये। १८ फीसदी जगह हरिजनों के लिये मखसूस कर दी गई हैं, लेकिन आज १४ साल होते हैं कि हम १२ फीसदी तक भी नहीं पहुंच सके हैं। प्रदेश में ५४ फीसदी बैकवर्ड क्लास बसते हैं। अगर उनकी संख्या से मिलान किया जाय तो ८, १० फीसदी से ज्यादा उनकी संख्या सरकारी नौकरियों में नहीं है। लिहाजा यह मतालबा जो करते हैं, चाहे हरिजन क्लास के आदमी करें और चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग करें, उनकी जनसंख्या के मुताबिक उनको नौकरी में जगह दी जाय। सेवा आयोग में उनका नुमायन्दा हो ताकि उसके तबके के लोग नौकरी पा सकें। यह कोई नाजायज मतालबा मेरे नजदीक नहीं है। इसके ऊपर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

एक बात मुझे यह कहना है कि यह बात बिलकुल सही है कि नौकरी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके पीछे बहुत लड़ाई की जाय। मगर एक बात यह है कि आज मसलन आप सेवा सहकारी समिति बनाते हैं या और तरह की उद्योग सहकारी समिति बनाते हैं, मैं बहुत तरह की मिसाल दे सकता हूं, करघा चलाने वाले अपनी सहकारी समिति बनाते हैं तो उनके सारे कागजात आपके रजिस्ट्रार के आफिस में पड़े हुये हैं। बक्स बनाने वाले लोगों की सहकारी समिति की स्थापना की गई है मगर उसके मुकम्मिल कागजात सहकारी दफ्तर में पड़े हुये हैं। बढ़ई लोगों की सहकारी समिति बनाई गई है, उसके भी कागजात सहकारी विभाग के दफ्तर में पड़े हुये हैं। चूंकि बाबू बढ़ई से हमदर्दी नहीं रखता है, जुलाहे से हमदर्दी नहीं रखता है, लोहार से हमदर्दी नहीं रखता है तो सारी समितियों के कागजात उठा कर वह अलमारी में फेंक देता है। वर्षों पड़े रहते हैं। इसी वजह से यह मांग की जाती है कि हमारे आदमी भी वहां पर हों ताकि हमारे कागजात वहां से निकल जायं और उनको मुल्तवी न किया जाय। मैं समझता हूं कि यह उनका जायज मतालबा है और मुनासिब बात है।

यह बात सही है कि कुछ तबके के पढ़े-लिखे लोग अपने पास वे जराये नहीं रखते कि सरकारी नौकरी पा जायं। वे उम्र में पीछे रह जाते हैं, उनकी उमर ज्यादा हो जाती है। बराबर दरख्वास्त देने के बावजूद भी उनको सालों लग जाते हैं। अगर उनको उम्र में ३ साल की रिआयत दे दी जाय तो जैसा एक भाई ने कहा कि उम्र की छूट से उनको राहत मिलेगी तो मेरा भी यही खयाल है। यह मुनासिब बात होगी बशर्ते कि पहले हम यह तय कर लें कि

[श्री अब्दुल लतीफ नोमानी]

इस तबके को नौकरियों में जगह हमें देना है, लेकिन अगर असली तौर पर हम यह नहीं मानते हैं तो फिर इसके कोई माने नहीं रहते हैं। बहरहाल जो यह प्रस्ताव है मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं और चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ पूरा ध्यान दे।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—पूज्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय श्यामलाल जी यादव के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, संकल्प का समर्थन करते हुये मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के समर्थन में इस ओर से अथवा दूसरे पक्ष से जो बहुत-सी भावनामूलक बातें कही गई मैं उन सबका समर्थन नहीं करता।

प्रस्ताव में सरल और सीधी मांग है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्य विभागों में भी तीन वर्ष की छूट दी जाय। सरकार इसे माने या नहीं, यही निर्णय हमें करना है। यह भी इस सिलसिले में कहा गया कि अनादिकाल से यह प्रयास रहा है और ज्ञात इतिहास के भी बहुत से उदाहरण दिये गये कि ऊंची जातियां दूसरी अन्य जातियों को दबाये रखना चाहती हैं और उनको समानता का अधिकार नहीं देना चाहतीं। आर्य और अनार्यों के आक्रमणों का भी जिक्र किया गया और इतिहास को मनचाहे रूप से यहां प्रस्तुत किया गया। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना कि ५००० वर्ष पूर्व भारतवर्ष में आर्यजन आये। उसकी मर्यादा घटा कर २,००० वर्ष भी की जा सकती है, यद्यपि इस विषय में सोचने के लिये पर्याप्त सामग्री है और इस दिशा में माननीय सदस्य काफी विचार कर सकते हैं कि जातियों की रचना किस प्रकार हुई। मैं समझता हूं कि जब तक संसार में सामाजिक जीवन है, उसमें कुछ न कुछ असमानता तो अवश्य ही रहेगी। भारतवर्ष को छोड़ दें। यहां एक हजार वर्ष की गुलामी ने आर्थिक और सामाजिक जीवन को छिन्न-भिन्न कर दिया है, लेकिन यदि हम योरुप को अपने सामने रखें जहां वैज्ञानिक प्रगति तेजी से हो रही है, वहां भी हम पायेंगे कि आपस में भेदभाव है।

योरुप का समाज चार भागों में विभाजित है। एक ज्ञानोपजीवी है, ला के जानने वाले, प्रोफेसर आदि हैं, एक सेनाओं में है और आश्रितों की रक्षा का भार उन पर है, कुछ व्यवसायी हैं और चौथा वर्ग शारीरिक श्रम से राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने में योगदान करता है। मैं समझता हूं कि इस देश में भी इसी आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की गयी होगी। वेदों और दूसरे स्थानों में भी हम यह विचार पाते हैं कि समाज को वर्गों में विभाजित किया जाय, लेकिन उसकी रचना इसलिये नहीं की गयी थी कि वर्ग संघर्ष हो और लोग एक दूसरे को मिटाने के लिये तुल जायं। समाज को हर एक के श्रम का अधिक से अधिक फल मिल सके और हमारी कार्यकुशलता बढ़े इस विचार से वर्णआश्रम की स्थापना हुई। फिर बाद में यह विकृत भी हुई और समय के साथ-साथ इसका रूप बिगड़ता गया। संसार के सभी राज्यों और समाजों में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं और इसी को हम मानव जाति के उत्थान और पतन का इतिहास कहते हैं। यह केवल जातीय जीवन में ही नहीं चलता, आर्थिक रूप से भी यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसका रूप राजनीतिक जीवन में भी परिलक्षित होता है। वर्णाश्रम धर्म इस देश में था और उसमें चार वर्ण बनाये गये थे। राज्यों के उत्थान और पतन के इतिहास के साथ-साथ यह निर्भ्रान्त सत्य है कि आज हजारों और लाखों लोग साधन और विद्याविहीन हैं, लेकिन जब प्रस्ताव के समर्थक यह कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी जातिवाद की है तो मैं उसे मानता हूं। श्रीमन्, मैं तो देखता हूं कि स्वयं यह संकल्प जो सदन में आया है किसी न किसी वर्ग के आधार पर आया है। इस आधार पर आया है कि पिछड़े वर्ग को सुविधा दी जाय। यह किस ओर संकेत करता है? अगर कोई व्यवस्था आज से हजारों साल पहले थी तो अगर आज वह मौजूद है, इसमें आज के जीवित नागरिकों का कोई दोष नहीं है। और जिन्होंने इस ओर संकेत किया, बैकवर्ड कमीशन स्थापित किया, विश्वबन्धु बापू जी ने जो बार-बार अपने जीवन में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदैव हरिजनों की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनके पिछड़ेपन की ओर ध्यान दिलाया, इसका कारण यह था कि बहुत से लोगों के साथ समाज में बहुत अन्याय हुए थे। लेकिन जब हमारे आदरणीय मित्र पिछड़े वर्ग की उन्नति का स्वप्न देखते हैं, इस तरह से जो एक भेद उत्पन्न करते हैं कि जो लोग दुर्भाग्य या सौभाग्य से उन वर्णों में उत्पन्न हुए हैं जिनको हम सवर्ण कहते हैं या ऊंचा वर्ण कहा जाता है तो उनके संकल्प में कोई सन्यता नहीं है। जब वह इस तरह की घोषणा करते हैं कि सवर्णों में अपने भाइयों के लिए कोई सहानुभूति और संवेदना नहीं है तो वह पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का कोई उपकार नहीं करते और जो आज समाज में नवजागरण के कारण लोगों में एक सहज सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई है उसको वह एक तरह से ठुकरा देते हैं।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस संदर्भ में जो आज संकल्प आया है हम इसे इस रूप में न लें कि हम इससे वर्ग संघर्ष को बढ़ायें--"वर्ग संघर्ष" तो उचित नहीं है, "वर्ग विभेद" को बढ़ायें, बल्कि हमें सहज रूप में इसे रखना चाहिए। मेरे मित्र माननीय झारखंडे राय जी ने कहा था कि इसका आधार आर्थिक है। जो आज पिछड़ापन समाज में दीख पड़ता है, हमें भी आर्थिक आधार ही दिखलाई पड़ता है। १४ मनु हुए जिन्होंने भारतीय जनता के लिए नियामन किया, संहिताओं की रचना की लेकिन आज जो हिन्दू ला चल रहा है उसका संशोधन परिवर्धन या उसकी रचना माननीय अम्बेडकर जी ने की। तो क्या हम मान लें कि उनका स्थान कुछ कम था? हमारे अनेक नेता और समाज-सुधारक हो गये हैं। दयानन्द जी का नाम लिया गया, वह एक ब्राह्मण परिवार में हुए थे। महामना गांधी जी का नाम लिया गया तो वह वैश्य परिवार में उत्पन्न हुए थे। तो यह परिवार की बात लेकर समाज का लेखा-जोखा करने बैठते हैं तो हम देश के साथ अन्याय करते हैं, अपने साथ भी अन्याय करते हैं और न उस विचार को आगे बढ़ाते हैं।

जब एक सुविधा की मांग पिछड़े वर्ग के लिए की गयी है और हमारे प्रदेश की अधिकांश जन-संख्या पिछड़ी हुई है, लोगों के पास उस प्रकार के साधन नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं जिससे वह विद्या में, शिक्षा में समानता पा सकें दूसरे लोगों के साथ, तो हमारा पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि सबको समान अवसर देने के लिए हम सबको समान सुविधाएं देने का प्रयास करें। इस प्रस्ताव में है कि पुलिस विभाग के समान सरकारी एवं अर्ध-सरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट दी जाय, तो जिन कारणों से पुलिस विभाग में आयु की सीमा बढ़ाई जा सकती है, कोई कारण नहीं हैं कि हम और विभागों में उसको न बढ़ायें।

मैंने देखा है कि जो राजनीतिक पीड़ित हैं उनके बच्चों को, आश्रित-जनों को सरकारी सेवाओं में सेवा आयोग द्वारा छूट दी जाती है। इसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि १९३०-३१, १९४१-४२ में आज के बच्चों के जो संरक्षक थे उन्होंने अपना बहुत सा समय स्वतंत्रता संग्राम में दिया, इस कारण वे अपने बच्चों के पालन-पोषण और परिवर्द्धन में अधिक समय न दे सके, इस वजह से उनके बच्चे पिछड़ गये। इसलिए उनको आयु की छूट दी जाती है। तो हम मानते हैं कि वह पिछड़ा हुआ वर्ग है। केन्द्रीय सरकार ने और हमने बहुत से कमीशन बैठाये और अनेक प्रयास किये और बार बार इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रदेश में और देश में लोगों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पिछड़ गयी है। अब किससे पिछड़ गयी है, किसकी तुलना में पिछड़ गयी है और आगे बढ़ने का जरिया क्या है, ये बहुत बड़ी बहस-तलब बातें हैं। लेकिन श्रीमन्, यह स्वीकृत सत्य है कि कुछ लोग पिछड़ गये हैं। यदि वह पिछड़े लोग सुविधा की मांग करते हैं तो उसके सम्बन्ध में यहां पर शास्त्रीय प्रकार की बहस छेड़ने से एक हीनता पैदा होगी।

यदि हम किसी की सहायता करना चाहते हैं तो वह दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उसका स्वयं काम करके और दूसरे उसको सुविधा प्रदान करके उसकी सहायता कर सकते हैं जिससे वह अपने मंतव्य को प्राप्त कर सके। आज पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी सरकारी सेवाओं में आना चाहते हैं। श्रीमन्, निश्चित रूप से यह सत्य है कि आज उनकी अधिकांश जनसंख्या ऐसी है जिनके पास शिक्षा के साधन नहीं हैं। उसका परिणाम यह होता है कि आगे बढ़े हुए लोगों

[श्री रामकुमार वैद्य]

के बच्चों की शिक्षा की अपेक्षा उन बच्चों की शिक्षा देर से शुरू होती है। आज शहरों में इस तरह की प्रवृत्ति चल रही है कि बच्चों को मानटेसरी से शिक्षा दिलाई जाय अर्थात् उन बच्चों की शिक्षा दो-तीन वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाती है। परिणाम यह होता है कि अधिक सम्पन्न लोगों के बच्चों के मुकाबले में कम्पटीशन में पिछड़े वर्ग के बच्चे अयोग्य हो जाते हैं। इस लिये सरकार यह स्वीकार करे कि पिछड़े वर्ग को एक समय तक जब तक कि स्थिति बदल न जाय, जब तक कि उनका अनुपात उनकी जनसंख्या के अनुपात में सर्विसेज में अच्छा खासा न हो जाय उसको प्राथमिकता दी जाय और जब दलित वर्ग के लिये आपने १८ प्रतिशत की संख्या सेवाओं में निर्धारित कर दी है पुलिस विभाग में आपने किया भी है तो फिर कोई कारण नहीं है कि और विभागों में आप उनको सेवा न दे सकें। मैं समझता हूं कि यहां पर इस तरह के प्रसंग को दूर करके और परस्पर विभेद को मिटा कर समाजवादी समाज की ओर बढ़ना है और लोगों में असंतोष की भावना नहीं पैदा होने देना है। मैं समझता हूं कि यह एक राजनीतिक कौशल भी है जिसका प्रयोग सरकार को करना चाहिये। वह जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट कर सकती है बिना मौलिक सिद्धांतों का हनन किये हुये तो उसमें उसको तत्परता दिखानी चाहिये।

श्रीमन्, मैंने राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी। उसमें इस बात का उल्लेख है कि सर्विसेज में इनकी संख्या पूरी नहीं हुई है। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों में क्षोभ पैदा होता है। आज हमारे सामने एक नये प्रकार के समाज की रचना का प्रश्न है तो फिर उसमें इस तरह का अन्तर्भेद क्यों आ रहा है। या तो फिर कमीशन नियुक्त न किये जायं और यदि नियुक्त किये जायं तो उनकी सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया जाय और उन पर अमल किया जाय ताकि पिछड़े हुये लोग भी राष्ट्र के साथ अपने को समझें और उनमें कोई विभेद की भावना न उत्पन्न होने पाये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का फिर से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस सुविधा की मांग इस संकल्प के द्वारा की गई है उसे सरकार शीघ्र से शीघ्र प्रदान करेगी।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत है उस पर इस सदन ने काफी विचार किया और दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार प्रकट किये। यह तो सही है कि कोई भी देश या समाज अगर अपने को उन्नतिशील मानता है तो उस समाज में, उस राज्य में, उस देश में अगर काफी संख्या, ५० प्रतिशत या ५५ प्रतिशत की ऐसी हो जो पिछड़े हुए हों तो वह राज्य या समाज अपने को उन्नतिशील राज्य या समाज नहीं कह सकता है, उसका दावा नहीं कर सकता है। हमारे देश में बदकिस्मती से यह समस्या है कि एक काफी बड़ी जनसंख्या पिछड़े हुए लोगों की है। इसलिये हमें यह विचार करना होगा कि हम उसके लिये क्या कर रहे हैं, और कितनी तेजी से उसके पिछड़ेपन को मिटाने के लिये प्रयत्नशील हैं और क्या कदम उसके लिये हम उठाने जा रहे हैं। हर प्रगतिशील व्यक्ति के दिमाग में यह होना चाहिये कि जो भी प्रगतिशील सुझाव हों उनको अपनी-अपनी जगह पर रखें।

एक मुश्किल हमारे सामने जरूर आती है और वह यह कि पिछड़े वर्ग का आधार क्या हो? यह तो ठीक है कि बैकवर्ड कमीशन एक नियुक्त हुआ था। और शायद उसने अपनी रिपोर्ट भी दी हो, लेकिन अभी केन्द्रीय सरकार ने उस पर विचार नहीं किया है, कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ है और हमारे सामने यह प्रश्न अभी उपस्थित है कि पिछड़े वर्ग का आधार हम क्या बनायें? जो ऐसी जातियां हैं जो छोटी समझी जाती हैं उन जातियों की बिना पर हम उनको पिछड़ा वर्ग मान कर उनकी उन्नति करें या किसी शख्स को हम उसके रोजगार के हिसाब से पिछड़ा हुआ समझें? यहां पर कुछ रोजगार भी ऐसे समझे जाते हैं कि ये छोटे हैं और उनको पिछड़ेपन की नजर से हम देखते हैं---भंगी, नाई, धोबी आदि रोजगार पिछड़े हुए समझे जाते हैं। अथवा इसके अतिरिक्त गरीबी के लिहाज से लोगों को पिछड़ा हुआ माना जाय, यानी जिनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो उनको पिछड़ा हुआ माना जाय? ये ऐसे मूल प्रश्न हैं जिनका

निर्णय पूरे देश के लिये होना अत्यन्त आवश्यक है तभी हमारा दृष्टिकोण साफ हो सकता है। तभी हम यह समझ सकते हैं कि हमें असल में किस समाज का और किस वर्ग का उत्थान करना है और उनके प्रति हमारा क्या नजरिया होना चाहिये।

हम कोई भी आधार लें, लेकिन अभी हम शूद्र वर्ग को ही पिछड़ा हुआ वर्ग समझते हैं। क्या जो उच्च जाति के समझे जाते हैं उनमें पिछड़े हुए लोग नहीं हैं? गरीबी के लिहाज से उन्होंने भी कुछ ऐसे रोजगार अपना लिये हैं जिनको हम छोटे समझते आये हैं या समझे जाते हैं, यह उनके पिछड़ेपन की निशानी है। इसलिये कौन सा ऐसा समाज है या कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें इस प्रकार की बात न हो। इसके लिये भी हमें कोई न कोई आधार अवश्य बनाना होगा। जब तक केन्द्रीय सरकार ने इस मसले को नहीं उठाया था तब तक इस प्रदेश में कुछ जातियों के लिये बात तय हो गयी थी कि इनको पिछड़ी हुई समझें। यह कहना कि इस देश में पिछड़ी जातियों के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया, उनके उत्थान के लिये कोई बात नहीं की गयी, यह तो मेरी समझ में वैसे ही है जैसे और बहुत सी बातें कही जाती हैं कि इस राज्य ने कुछ नहीं किया, यह राज्य निकम्मा है। उस दृष्टिकोण से बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने-लिखने के लिये काफी सहायता दी जाती है, कहीं उद्योग की कोई बात होती है तो उसमें भी उनको तरजीह दी जाती है। जो जो बातें हम लोग उसके लिये कर सकते हैं और जो व्यावहारिक रूप में हो सकता है, उस तरफ कदम उठाया जाता है लेकिन यह जरूर है कि जहां पर जिसके हाथ में सत्ता होती है उसको सिर्फ एक ही चीज को सामने नहीं रखना पड़ता है बल्कि अपने पूरे प्रदेश की सारी समस्यायें जितनी हैं, उन सबका सन्तुलन करना पड़ता है।

हमारी जो आर्थिक दशा है वह तो सब लोगों को मालूम ही है। हमारी माली हालत सीमित है, हम उसके अन्दर ही सभी बातों को करने के लिये तत्पर होते हैं और जितना कि जिस भाव पर जो कुछ भी रुपया किसी तरह से निकाल सकें उतना रुपया उसके लिये देते हैं। यह जरूर है कि हम लोग अब तक पिछड़ा वर्ग समझते रहे हैं, बहरहाल आगे जो कुछ होगा फैसला और जो कुछ दृष्टिकोण बनेगा उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन इस वक्त में क्या यह बात सही नहीं है? और बहुत से लोगों ने यह कहा जितने उद्योग हैं या जितनी खेती है वह सब बड़े-बड़े लोगों के पास हैं यानी ऊंची जातियों के पास हैं, तब सिवा नौकरियों के और रह ही क्या गया? मैं तो इससे इत्तिफाक नहीं करता कि जितने उद्योग हैं या जितनी खेती बारी है वे सब ऊंची जातियों के ही पास है। मेरी समझ में जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिये कहा जा सकता है कि उनके पास जमीन कम है, लेकिन जिनको हम शूद्र वर्ग कहते हैं, जैसे यादव, कुर्मी, मैं नहीं समझता कि उनके पास खेती नहीं है या उनके पास बहुत कम है। इस प्रदेश में उंगली पर गिने हुए थोड़े से लोग हो सकते हैं जो पहले ताल्लुकेदार थे या बड़े-बड़े जमींदार थे, और अगर उन्होंने अपने पास सीर रख ली थी तो ठीक है, लेकिन जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, ग्रामीण कुटीर उद्योग हैं वे छोटी जातियों के ही पास हैं। चूंकि वे मेहनत मशक्कत करते हैं, किसी चीज से घबड़ाते नहीं हैं, इसलिये उनको काफी मौका मिलता है कि वे अपना उत्थान कर सकें। जहां तक नौकरियों में तीन वर्ष तक की छूट देने की बात है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि एक उम्र गुजर जाने के बाद, उसमें तजुर्बा करने पर, उसका सीखना फिर मुश्किल होता है और कुछ काम ऐसे हैं जो नौउम्र में जल्दी आसानी से सीखे जा सकते हैं और उनमें कार्य कुशलता ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो यह एक वैज्ञानिक प्रश्न है, हर जगह एक सी चीज का लागू करना मेरी समझ में ठीक नहीं होगा। अपने देश में एक मसल भी मशहूर है कि 'बुड्ढे सुग्गे राम राम नहीं पढ़ सकते'। हमें देखना होगा कि यह उम्र की चीज कहां लागू की जा सकती है और कहां वह लागू नहीं हो सकती। अगर ज्यादा उम्र में कोई नौकरी शुरू करे तो आगे चल कर ५५ पर या जो भी उम्र पेंशन की मुकर्रर हो उसमें आगे परेशानी हो सकती है, वह उस वक्त काम कर सकेंगे

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

या नहीं, इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। मेरी समझ में इस की भावना तो ठीक है लेकिन आम तरीके से यह कहना कि सभी विभागों में ऐसा कर दिया जाय इस को सोचने समझने की जरूरत होगी और इस दिशा में हम इतनी तेजी से अभी आगे नहीं बढ़ सकते।

(श्री रघुराजसिंह चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—वह बहुत पुराने रईस हैं, उनको बोलने का मौका दिया गया, लेकिन हम भी ५ दफा खड़े हो चुके लेकिन मौका नहीं दिया गया, सदन की मर्यादा के अनुसार यह शोभा की चीज नहीं है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री रघुराजसिंह चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई हुज्जत हो या वह नाकाबिले तसलीम हो। यह प्रस्ताव तो सीधा सादी बात की मांग करता है और वह यह है कि जहां नौकरियों का प्रश्न है, जैसे पुलिस में एक उम्र छूट दी गई है उसी तरीके से दीगर सरकारी मुहकमों और नीम सरकारी मुहकमों में भी दी जाय। जब पुलिस में उम्र की छूट सरकार ने दी तो इसके साफ माने यह हो जाते हैं कि सरकार को इस उसूल से इख्तलाफ नहीं है बल्कि वह इस प्रस्ताव के उसूल को मानती है। जब वह इस के उसूल को मानती है तो कोई किसी माने में भी हुज्जत बाकी नहीं रह जाती। इसके अलावा यह प्रस्ताव सरकार की जानिब बैठने वाले एक सदस्य की तरफ से आया है और मुखालिफ जमाअतों ने उससे इत्तिफाक राय ही नहीं बल्कि और उसकी हिमायत भी की है। वह खयाल जो उधर से पैदा हुआ हो और उसके मोहर्रिक उस जानिब के बैठने वाले हों तो मैं समझता हूं कि आपस में इस मसले पर जरूर बातचीत हो गई होगी अगर इससे जाहिरा तौर से नहीं तो अन्दरखाना सभी जानिब के सदस्य इत्तिफाक करते होंगे। कानून या संविधान भी इसकी रुकावट में नहीं आता, इसलिये कि हमारे विधान में रिजर्वेशन आफ सीट्स का प्राविजन भी है। इसकी मियाद खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस में भी तौसीअ की गई। इस के माने यह है कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हमारी हुक्मरां सरकार ने इस बात को मान लिया और इस बात का अहसास किया और वह समझते हैं कि अभी इस बात की जरूरत बाकी रह गई है कि बिला शुबह कुछ अकवाम ऐसी हैं जिनको सरकार की तरफ से ऐसी सहूलियत बहैसियत पस्त अकवाम यानी पिछड़ी हुई जाति मिलनी लाजिम है। बहुत से मानी में, मसलन माली हालत, सेहत की हालत या तालीम की हालत, उनकी पिछड़ी हुई है। तो यह कोई मतालबा ऐसा नहीं है कि जिससे सरकार को इख्तिलाफ होना चाहिये। जब ऐसी बात न हो तो मुझे ताज्जुब होता है कि इस कदर तूल तवील बहस क्यों हुई। हो सकता है कि मुखालिफ जमाअतों के इत्तफाक से सरकार ने अपने खयाल को तब्दील कर दिया हो। सबसे माकूल दलील मुखालिफ जमात की सचाई की इस प्रस्ताव पर यह है कि जब कभी उस तरफ से अवाम के मफाद में कोई बात पेश की जाती है तो इधर से बिला इखतलाफ उसकी हिमायत होती है। इस सदन में इस किस्म के कई रिजोल्यूशन्स पेश हो चुके हैं और वह उसी जानिब से आये। मुझे यह मालूम करके अफसोस हुआ कि वह अवाम के मफाद के प्रस्ताव जो उधर से आये थे और वह सरकार की हिमायत से वापस नहीं हुए, इसलिये उन माननीय सदस्यों के खिलाफ गालिबन अनुशासन की कार्यवाही की गई है। यह तो एक सही और आजाद खयाल को दबाना है। कौन सी इसमें ऐसी बात नजर आती है कि जिसके अमल में सरकार को कानूनी दिक्कत होगी या रुपये पैसे का कोई बड़ा भारी सवाल आ जायगा? मेरे पास इस वक्त भी एक ताजा मिसाल मौजूद है कि रिटायर्ड होने की उम्र ५५ के बजाय ५८ साल कर दी गयी है।

आगामी कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण अगले असरकारी दिन जारी रखेंगे क्योंकि दो ही मिनट रह गये हैं और मैं एक सूचना देना चाहता हूं और वह सूचना यह है कि तारीख ९, १०

और ११ के बारे में जो पूछा गया था कि उस दिन कौन से विधेयक लिये जायेंगे, तो उस वक्त परिषद् की ओर से पारित होकर विधेयक छपकर नहीं आये थे, अब दो विधेयक आ गये हैं--एक उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९६१ और दूसरा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९६१। ये एक-एक, दो-दो खंड के हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक भी पारित हो कर आ गया है लेकिन वह छपा नहीं है। पहले नोटिस में यह दिया था कि ९,१० को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक लिया जायगा, लेकिन अब वह ९ को नहीं लिया जायगा बल्कि भांडार अधिग्रहण विधेयक पहले लिया जायगा और दूसरे नम्बर पर गोवध निवारण विधेयक लिया जायगा क्योंकि एक-एक, दो-दो खंड के हैं और फिर तीसरे नम्बर पर सहकारिता मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारिता समिति विधेयक, १९६० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। विधेयकों की प्रतियां सदस्य लोग पिजियन होल में से ले लें। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक भी, मैं समझता हूं, ९ तारीख को छपकर आ जायगा, तो वह वितरित हो जायगा और १० या ११ को इनके बाद उसे लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, पहले से प्रोग्राम था तो छपकर क्यों नहीं आया? हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई काम नहीं है इसलिये..

श्री अध्यक्ष--पारित होकर तो परिषद् से अभी आया है। एक-एक खंड वाले तो जल्दी से छप गये, लेकिन क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक जो है उसमें बहुत से संशोधन हो गये। उन संशोधनों की वजह से छपने में एक, आध दिन की देर होगी, शायद कल शाम तक छपेंगे।

अब हम उठते हैं और मंगलवार, तारीख ९ मई को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे मंगलवार, ९ मई, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ मई, १९६१।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तरांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

पशुओं की बीमा संबंधी पाइलट रिसर्च योजना

इस पाइलट रिसर्च स्कीम का उद्देश्य पशुधन का सहकारिता द्वारा बीमा कराये जाने की संभावना तथा लाभों की जांच करना तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये अनुभवी कार्य-कर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना है जिससे कि योजना को कार्य रूप में परिणित किया जा सके।

यह योजना सहकारिता बीमा समिति द्वारा दो केन्द्रों में चलाई जायेगी। इनमें से एक केन्द्र हरियाना क्षेत्र में मेरठ जिले में होगा तथा दूसरा अलीगढ़ जिले में होगा जहां पैकेज स्कीम कार्यान्वित होगी। प्रत्येक केन्द्र १५० वर्ग मील क्षेत्र में होगा जिसमें ३०,००० बैल और दुधारु गाय और भैंसें होंगी। यह समितियां प्रत्येक केन्द्र में स्थापित की जायेंगी। यह सहकारी समितियां दो प्रकार की जानवरों की बीमा करेंगी। (१) अल्प सामयिक बीमा पालिसी (२) लम्बी अवधि की इन्डाउमेन्ट बीमा पालिसी। बीमा किये हुए पशुओं की मृत्यु पर ही मुआवजा दिया जायगा। निश्चित आयु के ही पशु बीमा के लिये स्वीकृति किये जायंगे। बीमा किये हुए पशुओं का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में होगा। बीमा किये हुए पशुओं को मार डालने, प्रलोभन से सुरक्षा देने के लिये बीमा की पालिसी में मृत्यु संबंधी नियमिततायें होंगी।

ये समितियां १,००० रु० के आरम्भिक अनुदान पायेंगी और ६०० रु० की आवर्त्तक अनुदान भी दी जायगी। फिर से बीमा कराने की सहुलियतें भी समितियों को दी जायगी जिससे कि वे मांगों को दे सके यदि वार्षिक प्रीमियम से आमदनी बढ़ जाती है। इस योजना में १,३९,००० रु० पांच वर्ष में व्यय होने का प्रस्ताव है जिसमें १,३१,००० रु० आवर्तक तथा ८,००० रु० अनावर्तक व्यय होगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर]

सूची

जिले का नाम	निर्मित आवास गृहों की संख्या	जिले का नाम	निर्मित आवास गृहों की संख्या
१—देहरादून ..	८	१८—जौनपुर ..	२
२—सहारनपुर ..	२	१९—गाजीपुर ..	३
३—मुजफ्फरनगर ..	१५	२०—बलिया ..	३
४—अलीगढ़ ..	१	२१—देवरिया ..	५
५—मथुरा ..	९	२२—नैनीताल ..	२
६—आगरा ..	२	२३—सीतापुर ..	५
७—मैनपुरी ..	२	२४—हरदोई ..	३
८—एटा ..	३	२५—खीरी ..	७
९—बरेली ..	९	२६—फैजाबाद ..	१
१०—मुरादाबाद ..	३	२७—गोंडा ..	८
११—शाहजहांपुर ..	६	२८—बहराइच ..	२
१२—फर्रुखाबाद ..	८	२९—सुल्तानपुर ..	४
१३—इटावा ..	२	३०—प्रतापगढ़ ..	२
१४—कानपुर ..	१९	३१—बाराबंकी ..	११—७ परिषद् द्वारा शेष रफी मेमोरियल कमेटी द्वारा।
१५—फतेहपुर ..	१		
१६—झांसी ..	२		
१७—वाराणसी ..	६		
		योग ..	१५६

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर]

क्रम-संख्या	जिले का नाम	बालिकाओं के मान्यता प्राप्त उ० मा० स्कूलों की संख्या			योग
		राजकीय	सहायता प्राप्त	सहायक	
१	२	३	४	५	६
मेरठ मंडल					
१	देहरादून	..	१	८	..	९
२	सहारनपुर	..	१	१०	..	११
३	मुजफ्फरनगर	..	१	४	२	७
४	मेरठ	..	..	१७	७	२४
५	बुलन्दशहर	..	२	६	२	१०
आगरा मंडल						
६	अलीगढ़	..	..	७	..	७
७	मथुरा	..	..	४	१	५
८	आगरा	..	..	१३	१	१४
९	मैनपुरी	..	१	१	..	२
१०	एटा	..	१	२	..	३
बरेली मंडल						
११	बरेली	..	१	८	१	१०
१२	बिजनौर	..	१	५	१	७
१३	बदायूं	..	१	४	..	५
१४	मुरादाबाद	..	१	७	३	१६
१५	रामपुर	..	१	..	..	१
१६	शाहजहांपुर	..	१	२	१	४
१७	पीलीभीत	..	१	..	२	३
कुमायूं मंडल						
१८	नैनीताल	..	३	..	१	४
१९	अल्मोड़ा	..	२	२	..	४
२०	पौड़ी-गढ़वाल	..	३	..	..	३
२१	टेहरी-गढ़वाल	..	१	..	..	१
इलाहाबाद मंडल						
२२	फर्रुखाबाद	..	१	४	१	६
२३	इटावा	..	१	३	..	४
२४	कानपुर	..	..	१३	४	१७
२५	फतेहपुर	..	१	..	..	१
२६	इलाहाबाद	..	१	१५	..	१६
२७	झांसी	..	२	१	४	७
२८	जालौन	..	१	२	१	३
२९	हमीरपुर	..	२	..	..	२
३०	बांदा	..	१	..	..	१

क्रम-संख्या	जिले का नाम	बालिकाओं के मान्यता प्राप्त उ० मा० स्कूलों की संख्या			योग
		राजकीय	सहायता प्राप्त	सहायक	
१	२	३	४	५	६
वाराणसी मंडल					
३१	वाराणसी	..	१	९	..	१०
३२	मिर्जापुर	..	..	१	..	१
३३	जौनपुर	..	१	..	..	१
३४	गाजीपुर	..	१	..	..	१
३५	बलिया	..	१	..	..	१
गोरखपुर मंडल					
३६	गोरखपुर	..	१	४	..	५
३७	देवरिया	..	१	..	..	१
३८	बस्ती	..	१	१	..	१
३९	आजमगढ़	..	१	१	..	२
४०	गौंडा	..	१	२	..	३
४१	बहराइच	..	..	१	..	१
४२	फैजाबाद	..	१	१	३	५
लखनऊ मंडल					
४३	लखनऊ	..	..	२३	..	२३
४४	उन्नाव	..	१	..	१	२
४५	राय बरेली	..	१	..	..	१
४६	सीतापुर	..	..	१	..	१
४७	हरदोई	..	..	२	..	२
४८	लखीमपुर खीरी	..	..	१	..	१
४९	प्रतापगढ़	..	१	..	..	१
५०	बाराबंकी	..	१	..	..	१
५१	सुल्तानपुर	..	१	..	..	१
उत्तराखंड मंडल					
५२	चमौली	..	..	..	..	..
५३	पिथौरागढ़	..	१	..	..	१
५४	उत्तरकाशी	..	..	..	..	..
	योग	..	४९	१८३	३६	२६८

विधान सभा प्रदर्शन

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६ — उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "अथवा प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से बीस दिन के अन्दर" निकाल दिये जायं;

(२) उपधारा (३) के खन्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(क) साड़ या बैल पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु का है, अथवा" तथा

(३) उपधारा (४) में शब्द "सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन आज्ञा से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से २० दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा; राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे।" निकाल दिये जायं;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६ की धारा १० का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के खन्ड (कक) में शब्द "और अपीलों" निकाल दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ (उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६) की धारा ३ को संवैधानिक वैधता को भारत के उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई थी वह "भारत का संविधान" के अनुच्छेद १९ (१) (च) तथा (छ) के अधीन मूल अधिकारों का अतिलंघन करती है।

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा ३ के उपबन्ध सांड़ों और बैलों के वध के व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के अधिकारों पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाते हैं और उनके मूल अधिकारों का अतिलंघन करते हैं तथा उस हद तक वह अवैध हैं।

अतएव उक्त अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (च) तथा (छ) के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से अधिनियम को प्रस्तावित संशोधन विधेयक में दिये गये ढंग से शोधित करना आवश्यक है।

चरणसिंह,
गृह मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९५५ जारी रखने का

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को आगे कुछ अवधि तक

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९५५ की धारा १ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९६१" के स्थान पर संख्या "१९६६" रख दी जाय।

विधान सभा सचिवालय

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१,१९५५) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २३, १९५६) और उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, १९५८) द्वारा जारी रखा गया है और जिसके अधीन राज्य सरकार को खाद्यान्नों तथा खाद्य पदार्थों के लिये भांडारिक आवासों के अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त है, ३० जून, १९६१ को समाप्त हो जायगा।

इस समय यद्यपि खाद्य-स्थिति सन्तोषजनक है फिर भी वह अस्थिर है। सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिये खाद्यान्नों के वितरण की योजना अभी चालू है और कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तथा प्राकृतिक आपदाओं की दशा में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी सुरक्षित भांडार (बफर स्टाक) रखने की नीति का अनुसरण करते हुए उदग्रहण प्रणाली (Levy System) के अधीन चावल खरीदे जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में जब कभी आवश्यक हो भांडारिक आवासों के अधिग्रहण के वर्तमान अधिकारों को बनाये रखने के लिये उपर्युक्त अधिनियम की अवधि को योजनावधि तक, अर्थात ५ वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तदनुसार उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ पुरः स्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बी० एस० यू० पी० ए० पी०—८७ एल० ए०—१९६१—८४५।